प्रथम परिच्छेद
शोध आकल्प

1.1 समस्या की पृष्ठभूमि

किसी भी समाज समुदाय के सर्वांगीण विकास में चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक लेकिन इन सबसे ज्यादा सर्वप्रथम शैक्षिक विकास प्रमुख स्थान रखता है। भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकों ने शिक्षा को महत्त्वपूर्ण माना था और उन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य भी किये। उन्होंने यह अनुभव किया कि पिछड़ी जातियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान केवल शैक्षणिक सुधार द्वारा ही संभव है।

शिक्षा के स्तर के आधार पर ही किसी समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि शिक्षा का संस्कृति के साथ अभूतपूर्व सम्बन्ध होता है। इसलिए विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं उसके वातावरण के बीच परस्पर सम्बन्ध पाया जाता है। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है और वह इन सबसे निर्देशित होता है। अतः शिक्षा संस्कृति पर निर्भर है और सस्कृति शिक्षा से सम्बंधित है। आदिवासी समुदाय आज भी अपने सामाजिक बन्धनों एवं धार्मिक अंधविश्वासों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया है। अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं की उपस्थिति के कारण तात्कालिक समाज में 'पिछड़े हुए' और असभ्य मानव समूह समझते रहे हैं। 'आदिवासी' नाम उन लोगों को दिया जाता है जो

पहले से ही इन क्षेत्रों में बसे हुए थे।[1] इनके पिछड़े हुए होने का प्रमुख कारण आदिवासी शिक्षा का स्तर अन्य जातियों से निम्नतम स्तर पर होना है।

जनजाति के लोग आर्थिक क्षेत्र में पराश्रित, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए और सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक कष्टभोगी, अलगाव व अस्पृश्यता के शिकार रहे हैं, जहाँ तक आदिवासियों का सम्बन्ध है उनकी सबसे बड़ी समस्या या कठिनाई अलगाव है, जिसके फलस्वरूप इनमें शिक्षा का अभाव है।

1.1.1 भारत में जनजाति विकास व उसका प्रशासन

स्वतंत्रता की वेला पर देश के आदिवासियों के समक्ष अशिक्षा, निर्धनता, बेरोज़गारी, व्यापक स्तर पर कुपोषण, ऋणग्रस्तता, बहुस्तरीय अत्याचार, बंधुआ प्रथा जैसी समस्याएँ एवं सामाजिक कुरीतियाँ बाहें फैलाए खड़ी थी। इसके अतिरिक्त उनके समक्ष कृषि योग्य भूमि पर प्रभावशाली वर्ग का अधिकार तथा अवैध भूमि हस्तांतरण होना, साहूकारों, ठेकेदारों एवं बिचौलियों द्वारा आर्थिक शोषण करना, वनों के नष्ट होने पर सरकार की नीति के कारण आजीविका का संकट हो जाना जैसी समस्याएँ भी व्याप्त हो गई थी।

इन कठिन सामाजिक–आर्थिक संस्थागत समस्याओं के निराकरण हेतु देश में लोक–कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया जो आदिवासियों के लिए सुखद पहलू रहा। इसके लिए आधार बना 'संविधान' एवं माध्यम बना' प्रशासन' और शुरू हुआ 'अछूते विषयों' का समाधान।[2]

संविधान के अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान किया गया है कि देश के कमजोर एवं पिछड़े विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ सम्बन्धी

हितों में अभिवृद्धि की जाएगी। राज्य का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत भारत में जनजाति विकास के विशिष्ट प्रयास नियोजित विकास के आरम्भ (1951) से ही शुरू कर दिये गये।[3] संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जब 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया तो इस योजना में प्रावधान किया गया कि देश में समाज के दुर्बलतम एवं पिछड़े वर्गों को विकास के लिए प्रगतिपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयास किये जायेंगे। सरकार इन वर्गों के कल्याण हेतु सामाजिक क्षेत्र के विकास के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। इसके प्रमुख लक्ष्य उन विविध कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करना रहा है जिससे अनुसूचित जनजाति जैसे पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के शैक्षणिक, आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान तथा सामजिक सुरक्षा हो।

राजस्थान में विकास प्रशासन जहाँ एक ओर जनजातियों तथा उनके क्षेत्र के विकास में संलग्न हैं वहीं दूसरी ओर उनके लिए सामाजिक सुरक्षा तथा समाज सुधार जैसे अनेक प्रगतिशील क्षेत्रीय कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। संविधान के विशेष सुरक्षात्मक उपायों के अनुरूप 'अनुसूचित क्षेत्र' में कुछ विशिष्ट कार्य किये गये हैं परन्तु सारे प्रयत्नों का इच्छित परिणाम नहीं निकल पाया। इस कारण समय व स्थान क्षेत्र से कहीं तीव्र तो कहीं धीमी गति से सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया के औचित्य व उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा है।[4] ऐसी चुनौतियों या समस्याओं के रहते हुए भी देश में एक और वैश्वीकरण का प्रभाव हो रहा है वहीं दूसरी ओर देश समावेशी शिक्षा का सपना देख रहा है। समय का तकाजा है कि देश में सुशासन मन, वचन, कर्म से लागू हो जिससे आप लोग कई प्रकार की समस्याओं से बचें।[5]

1.1.2 जनजातियों की अवधारणा

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से मानव समाज का आरंभिक अध्याय जनजातियाँ हैं। उनकी संस्कृति इस विकास यात्रा का मूलतत्व है। सामान्यतया जनजाति शब्द ऐसे मानव जातीय समूह का चित्रण प्रस्तुत करता है जो प्रायः नगरीय सभ्यता से दूर कठोर भौगोलिक परिस्थितियों में निवासरत हैं। इन समूहों के पास आज भी विरासतयुक्त सांस्कृतिक परिवेश है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप में प्राचीन और सरल है। इन मानवजातीय समूह की आर्थिक गतिविधियाँ अस्तित्वोन्मुख है। ये सीमान्त्वासी हैं।[6]

❖ **जनजातियों की उत्पत्ति:–**

प्रमुख मानवशास्त्रियों के मत अनुसार आधुनिक सामाजिक संगठन विकास की प्रमुख तीन अवस्थाओं से माना जाता है–

- **प्रथम चरण :** मानव का आरंभिक सामाजिक संगठन 'झुण्ड' था। इस अवस्था में विकास की गति धीमी थी।[7] ये मुख्यतः मातृपक्षीय हुआ करते थे लेकिन कुछ झुण्ड पितृ–मातृ प्रकार के भी थे। इनका नेतृत्व एक नायक करता था। आमतौर पर ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। ये झुण्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम–घूम कर अपना जीवन बिताते थे। इसलिए इन्हें 'खानाबदोश' कहा जाता था। इनका जीवन भ्रमणकारी अर्थव्यवस्था पर आधारित था। ये झुण्ड पूर्व पाषाण युग एवं मध्य पाषाण युग में सामाजिक संगठन के आधारस्तंभ थे।
- **द्वितीय चरण :** इस चरण में आते–आते मानव अब स्थायी ग्रामवासी बन चुके थे। यह घटना नवपाषाण युग के आरंभ की घटना है। इस काल में मानव प्रकृति और पशुओं से संघर्ष में विजय प्राप्त करना सीख गया था। विकास के इस चरण

में एक जैसे झुण्ड के लोग विभिन्न गाँव बसाकर वहाँ रहने लगे। सामूहिक आवश्यकता उनमें पनपने लगी थी। कुछ समूह को नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस नाम के प्रचलन के कारण ही जनजाति का उद्गम माना जाता है।[8]

- **तृतीय चरण :** इस चरण में जनजातियाँ एक भौगोलिक क्षेत्र के एक साधारण शासन के अंतर्गत रहने लगीं। अब जनजातीय बाहुल्य वाले राज्य का जन्म हुआ। इस काल में स्वशासन की प्रणाली का विकास हुआ लेकिन बाहरी हस्तक्षेपों एवं आक्रमणों के होने के कारण इनको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा लेकिन तब भी इन्होने अपनी संस्कृति के मूल गुणों को संजोये रखा। कालांतर में समूह भारत के अलावा विश्व के कई क्षेत्रों में निवासरत हैं।

❖ 'जनजाति' का अर्थ :–

विद्वानों के विश्व में 'जनजाति' शब्द का अर्थ जानने की लालसा शुरू से ही रही है। 'आदिजाति' या 'ट्राइब' शब्द की परिभाषा देश, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है।[9] **डी.एन. मजूमदार** की परिभाषा के अनुसार, "जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक सामान्य नाम होता है। इसके सभी सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, एक निश्चित भू–भाग में निवास करते हैं तथा विवाह, व्यवस्था आदि में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा पारस्परिक कर्त्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर चुके होते हैं।"[10]

आमतौर पर जनजाति के सदस्य अन्तः विवाह का समर्थन करते हैं और समूह के सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के भीतर विवाह करते हैं।

मानवशास्त्र शब्दकोष (1971) के अनुसार, "जनजाति एक सामाजिक समूह है जो कि एक निश्चित भू–भाग पर रहता है जिनकी भाषा सभ्यता तथा सामाजिक संगठन है। इसके कई उपसमुदाय होते हैं। इनका सामान्यतः एक मुखिया व संरक्षक होता है।"

ब्रिटिश मानवशास्त्रियों के एक समूह अनुसार, "जनजाति एक स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक संगठन तथा स्वशासी समुदाय है।

भारत की आदिजाति को विद्वानों ने अलग–अलग नामों से संबोधित किया है। प्रसिद्ध नेतृत्व शास्त्री एच.एच. रिजले लेके, गियर्सन, सोलर्ट, टेलेट्रस, सेनविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक ठक्कर ने इन्हें 'आदिवासी' शब्द से संबोधित किया है।[11]

समाजशास्त्री धुरये ने भारतीय समाज के सन्दर्भ में इन्हें 'तथाकथित आदिवासी' अथवा 'पिछड़े हिंदू' कहा है। इन्होने इसके लिए प्रस्तावित किया है कि इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' के नाम से संबोधित किया जाये।[12]

दुबे के अनुसार, "ये लक्षण छोटे समुदायों जैसे खाद्य संकलन, परिवर्तित कृषि करने वालों, आदिम धातु कार्यों तथा कलाकारों के लिए ठीक हो सकते हैं लेकिन बड़े आदिवासी समूह के लिए नहीं।" वे आगे लिखते हैं कि 'जनजाति' एक जातीय वर्ग है जिसमें वंश सूत्र काल्पनिक हो सकता है। इस वर्ग की एक सामूहिक पहचान होती है और समाज के व्यक्तियों में सांस्कृतिक समन्वय के समान अवयव देखने को मिलते हैं।"[13]

आंद्रे बीते के अनुसार, "जनजातियों का वर्गीकरण उसके जीवन यापन के आधार पर किया जाना चाहिए।" इनके अनुसार, "अभी तक जनजाति की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। इसका कारण संभवतः जनजाति के आकार, रहन–सहन एवं सम्बन्धों में भिन्नता का होना है। वे आगे लिखते हैं –

1. जनजाति की अपनी सरकार तथा एक सामान्य क्षेत्र हो।
2. जनजातीय समूह में अंतर्विवाह हो।
3. उनकी भाषा समूह तक निहित हो।
4. कार्य का विभाजन आयु, लिंग एवं नातेदारी के आधार पर हो और विशिष्ट कार्य से तात्पर्य पुजारी और ओझा जैसे लोगों से है न कि अविकसित अर्थव्यवस्था की विशिष्टता।
5. समूह का प्रत्येक सदस्य उस समूह की सामान्य संस्कृति का द्योतक हो।
6. उत्पादन सम्बन्ध एक जैसा हो अर्थात् जनजातीय समाज में स्तरीकरण नगण्य हो।

जनजाति की परिभाषा का पुनरावलोकन करते हुए **आंद्रे बीते** लिखते हैं कि, "एक सीमा तक सांस्कृतिक सीमे में बंधा समाज है जिसका मूल आकार नातेदारी होता है और जहाँ सामाजिक वर्गों की विभिन्न परिभाषाओं की भांति जनजाति की यह परिभाषा आदर्श स्वरुप है।"[14]

हट्टन ने इन्हें 'प्राचीन जनजाति' कहा है।[15]

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, "स्थानीय जनजातीय समूहों का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक आम क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक आम संस्कृति होती है।[16]

गिलिन एवं गिलिन ने जनजाति की मुख्य विशेषता आम निवास स्थान बतलाया है। उनकी मान्यता है कि इसके अभाव में जनजाति की आम भाषा एवं आम संस्कृति रुपी विशेषताएँ भी ख़त्म हो जाती हैं। इस आम निवास स्थान के कारण जनजाति क

सदस्यों के बीच एकता बनी रहती है। इसके अभाव में इनमें एकता बनती नहीं, बिखर जाती है।

सिन्हा के अनुसार, "पुराने एवं मध्यकालीन ग्रंथों तथा वर्तमान ग्रामीण भारत में जनजाति के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है। ग्रामीण भारत में विभिन्न जातियों एवं जनजातियों को जाति के नाम से ही जाना जाता है।" बहुत कम देखने को मिलता है कि इन्हें आदिवासी, गिरिजन, वनवासी या अन्य नामों से सम्बोधित किया जाता हो। अधिकांशतः ये अपनी जाति के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। जैसे भील, गौड़, मरेविया इत्यादि।[17]

वर्तमान में पश्चिमी लेखकों के अनुसार जनजाति शब्द का अर्थ सामान्यतः भौगोलिक दृष्टि से विलग अथवा अर्ध–विलग एक नृवंशी समूह है, जिन्हें एक निश्चित सीमा क्षेत्र की परिधि में पहचाना जाता है तथा जिसकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएं तथा प्रथाएँ भिन्न हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस शब्दार्थ में विशेष रूप से स्वतंत्रता के पश्चात् की अवधि में और भी परिवर्तन हुए हैं। इस समुदाय के सामाजिक स्तर के अनुसार अनेक प्रकार हैं जैसे– प्राचीन जनजाति अथवा आदि स्वामी, आदिम जनजाति और पहाड़ी जनजाति, आंतरिक जनजाति, आदिवासी, जंगली तथा जिप्सी जनजाति, पिछड़ी जनजाति, आपराधिक जनजाति, विंचिक एवं आपराधिक जनजाति आदि।[18]

विभिन्न विद्वानों के अनुसार दी गई परिभाषाओं तथा एथनोग्राफिक विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति समुदाय मानव समुदाय का प्राचीनतम एवं जीवंत समूह में से एक है। ये एक विशिष्ट एवं मौलिक भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का धनी है। आमतौर पर एक निश्चित भू–भाग में ही निवास करती है।

प्रत्येक जनजाति की न्यूनाधिक रूप में सामान्यतः प्रचलित विशेषताएँ निम्नानुसार है–

(i) उनका एक आम नाम होता है।

(ii) उनका एक निश्चित निवास स्थान होता है।

(iii) उनकी आम संस्कृति होती है।

(iv) उनके अपने सामाजिक नियम होते हैं।

(v) उनके द्वारा अपनाये गये अंतः विवाह नियम होते हैं।

(vi) ये गोत्र बहिर्विवाही नियम का पालन करती है।

(vii) उसके अलग देवी–देवता, अनुष्ठान तथा पुजारी होते हैं।

(viii) इन समुदायों का अपना एक राजनीतिक संगठन कार्यरत रहता है।

(ix) उसका परंपरागत पेशा होता है।

(x) उसके सभी सदस्य खान–पान सम्बन्धी निषेधों का पालन करते हैं।

(xi) जनजाति के परिवारों के बीच पारंपरिक गैर–बाज़ार तथा गैर–मुद्रा विनिमय व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती हैं।

(xii) ये समुदाय एक भौगोलिक संगठन है।

(xiii) एक जनजाति में अनेक गोत्र समूह होते हैं।

नायक[19] के अनुसार निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जनजाति को पहचाना जा सकता है :–

1. जनजाति समाज में आर्थिक अवलम्बन नगण्य होना चाहिए, अर्थात् वह पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा उस जनजाति की सम्पूर्ण आवश्यकताएँ बिना किसी समुदाय से विनियोग या सहायता के पूर्ण होनी चाहिए।
2. जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़ी होनी चाहिए–

   (1) मुद्रा के लेन–देन के विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए एवं उनकी आवश्यकताएँ उसी समग्र से उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ निवास करती हैं।

   (ब) अपनी प्रचलित विधियों से प्राकृतिक संपदाओं का उत्खनन या दोहन कर रहे हो।

   (स) आर्थिक व्यवस्था अविकसित हो।

   (द) आर्थिक दोहन की बहुत सी विधियाँ हो।
3. इनके रहने का स्थान अलग हो। अन्य समाजों के साथ मिलकर न रह रहे हो।
4. इनकी बोलचाल की भाषा सामान्य हो।
5. जातीय समस्याओं को हल करने के लिए समाज में पंचायत व्यवस्था हो अर्थात् राजनैतिक संगठन होना चाहिए।
6. समाज में परिवर्तन की प्रवृत्ति न्यूनतम हो तथा अपनी संस्कृति एवं रीति–रिवाजों से चिपके हुए हो।

नायक के अनुसार जो समूह जनजाति कहलायेगा उसमें उपरोक्त लक्षण विद्यमान होने चाहिए। समुदाय में परसंस्कृतिकरण हो सकता है। परसंस्कृतिकरण की मात्रा समाज के रीति–रिवाजों, देवी देवताओं तथा भाषा के तुलनात्मक अध्ययन से पता

चल सकती है। यदि परसंस्कृतिकरण की मात्रा अधिक होती तो उस समूह को जनजाति से भिन्न माना जाना चाहिए।

विद्यार्थी[20] ने लिखा है कि, "एक अनुसूचित जनजाति दूसरे समाजों से पूर्ण अथवा आंशिक मात्रा में अलग–थलग, समान अवयवी, अलग व्यक्तित्व वाली एवं आत्मनिर्भर होती है। जमीन तथा प्राक्रतिक संपदाओं पर उसके कानूनी अधिकार होते हैं। आदिवासी की एक विशिष्ट–पद्धति एवं सामाजिक नियम होते हैं तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए पंचायत व्यवस्था होती है। इनमें सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक जीवन एवं सांस्कृतिक निरंतरता भी परिलक्षित होती है।

दुबे[21] निम्नलिखित लक्षणों क जनजाति का आधार मानते हैं–

1. जनजातीय समूह उस क्षेत्र के पुराने निवासी होते हैं। यदि वे उस स्थान के मूल निवासी न हो तो भी कहा जा सकता है कि वे वहाँ के पुराने निवासी हैं।
2. जनजातीय समाज अन्य समाजों से दूर पहाड़ों एवं जंगलों के आस–पास रहते हैं। वे पूर्णतः या आंशिक रूप से अलग–थलग रहते हैं।
3. जनजातीय समाज में लिखित इतिहास नहीं होता है। उन्हें जो भी याद है वही उनका इतिहास है। पाँच एवं छः पीढ़ी की घटनाएँ पौराणिक हो जाती हैं।
4. उनका आर्थिक एवं तकनीकी विकास कम होता है।
5. जनजातीय समाज के सांस्कृतिक मूल्य अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। उनके रीति–रिवाज, विश्वास, भाषा और स्थान अलग होते हैं। यदि व्यक्तियों का सामाजिक स्तर समान न हो तो भी उनमें स्तरीकरण एवं विलगता दिखाई नहीं पड़ती है।

दुबे आगे लिखते हैं कि जनजाति एक जातीय वर्ग है जिसमें वंश–सूत्र काल्पनिक हो सकता है। इस वर्ग की एक सामूहिक पहचान होती है और समाज के व्यक्तियों में संस्कृति के सामान अवयव देखने को मिलते हैं।

1.1.3 भारतीय संविधान में जनजाति की अवधारणा

स्वतंत्र भारत के संविधान (1950) के अनु. उपखण्ड 342(1) में जनजाति की परिभाषा को इस प्रकार स्वीकार किया गया है। इस प्रावधान के अनु. राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों. जनजाति या जनजातियों के भीतरी समूह में परिभाषित किये जाएंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेंगे। सन् 1950 में 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति माना या जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 541 है।[22]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में यह कहा गया है कि "वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे।" अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष से सम्बन्धित है। किसी राज्य में किसी सम्प्रदाय को यदि अनुसूचित जनजाति को घोषित किया है तो आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हो।[23]

1.1.4 जनजातियों के लिए विशेष प्रकार के प्रशासन सम्बंधित रक्षोपाय

भारत के संविधान में जनजातियों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं–

- राज्य का कार्य है कि वह उसके लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों

को विशेष ध्यान में रखकर बढ़ावा देना है। सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करना है। (अनुच्छेद 46)

- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से सहायता, अनुदान तथा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करना।[24] –अनुच्छेद 275 (1)
- देश के लोकप्रिय सदन 'लोकसभा' में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। (अनुच्छेद 330) वर्तमान में लोकसभा की 47 सीटें देशभर में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से 3 सीटें उदयपुर, बाँसवाड़ा–डुंगरपुर तथा दौसा, राजस्थान के हिस्से में हैं।[25]
- राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्य कि विधानसभाओं में जनजातियों के लिए देश भर में 315 स्थान आरक्षित है।[26]
- देश के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के लिए अनुसूचित जनजातियाँ समझे जाने के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट करना। (अनुच्छेद 342)
- राजस्थान जैसे अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग राज्यों में नियुक्त करने का प्रावधान। (अनुच्छेद 339)
- प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण से सामंजस्य रखने को ध्यान में रखते हुए संघ या राज्य के मामलों के सम्बन्ध में सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रावधान है।[27] (अनुच्छेद 335)

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण का उपबंध है। (अनुच्छेद 340)
- इस प्रावधान के परिणामस्वरूप राजस्थान में सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है। संविधान की पंचम अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य की अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के लिए पैरा–मेडिकल प्रवेश, मेडिकल प्रवेश तथा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी 45 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य प्रवेश परीक्षाओं में भी इस प्रकार के आरक्षण की मांग की जा रही है।[28]

1.1.5 प्रमुख जनजाति क्षेत्र

भारत में जनजाति को भौगोलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टि से समाजशास्त्रियों ने कई भागों में बांटा है क्योंकि वह अलग–अलग परिस्थितियों तथा भिन्न प्रकार की जलवायु एवं मैदानी पर्वत, जंगल और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनमें से **गुहा तथा मजूमदार** ने जनजातियों को तीन बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है–

1. **उत्तरी एवं उत्तर–पूर्वी क्षेत्र:–** इस क्षेत्र में हिमालय के पूर्वी भागों को सम्मिलित किया गया है। हिमालय की जनजातीय जनसंख्या के वितरण को पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है–
   (i) उत्तर–पूर्व हिमालय क्षेत्र
   (ii) मध्य हिमालय क्षेत्र

(iii) उत्तर–पश्चिम हिमालय क्षेत्र

उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत असम, मेघालय, बंगाल (दार्जिलिंग), अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा की जनजातियाँ सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कुकी, बुसाई, खासी, गारों, भूटिया, रेग्मा आदि हैं।

मध्य हिमालय क्षेत्र के अन्दर बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के तराई क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ आती हैं।

उत्तर–पश्चिम हिमालय क्षेत्र में जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियाँ आती हैं।

2. **मध्यवर्ती क्षेत्र:–** इस क्षेत्र में देश का मध्य भाग आता है। यह क्षेत्र उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में कृष्णा नदी के उत्तर तक फैला हुआ है। इसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ मुंडा, बेगा, संथाल, खोंड, हिल मारिया, भील, मीणा, गौंड आदि आती हैं। इनके अलावा राजस्थान में सहरिया तथा गरासिया भी जनजातियाँ भी निवास करती हैं।

3. **दक्षिणी क्षेत्र:–** इस क्षेत्र में देश के दक्षिणी भाग को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में कृष्णा नदी के दक्षिणी प्रदेश की सभी जनजातियाँ आती हैं। इस क्षेत्र में आंध्रप्रदेश की चेचू जनजाति, कोचीन एवं त्रिवांकुर की पहाड़ियों से लेकर

कुमारी अंतरीप तक निर्जन जंगलों में रहने वाली, काहुर, कपिक्कर और नीलगिरी के जंगलों में रहने वाली टोडा और बैगा पनियान, करुम्बा आदि हैं।[29]

सारणी संख्या 1.1

जनजातियों का क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण[30]

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य	जनजातियाँ
01	उत्तर–पूर्वी भाग	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा	फेन्याम, मोई, जेनरिया, साईनटेग, हाजोरा, माला, जाला, आबोई, खासी, कुर्की, रामास, नागा, आपालानी, मिसहली, रिषी, मूची, मेहरा मचारी, मिकीर, हमार, चकमा, बाट, पानरी आदि।
02	पूर्वी क्षेत्र	बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा	केप्टा, राबहा, किसारूहा, संथाल, गेडी आदि।
03	उत्तरी क्षेत्र	उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश	राजी, भाटे, गुज़र, जाट, नेगा, गेड्डी, खासी, थारू आदि।
04	मध्य व पश्चिमी क्षेत्र	गोवा, दमन, महाराष्ट्र, दादर व नागर हवेली, गुजरात,राजस्थान	मीणा, कथौडी, गरासिया, बेगा, वसना, टाडवी, कोदना, टोजिया, गोडबा, बारड़ा, भील, मात्रीना, सहरिया आदि।
05	दक्षिणी क्षेत्र	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	पुलाया, सम्बाड़ा, झार, चेंचूए बारदा, कोरगा, आदिमान, पुरावालेन व कोरगा आदि।
06	द्वीप	लक्ष्यद्वीप तथा अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	मिनीकोयन, जराबा, लिकाद्वीप तथा सेनिटलियस निकाबारीज आदि।

भारत में जनजातियों के जनसांख्यिक वितरण को निम्न मानचित्र की सहायता से समझा जा सकता है–

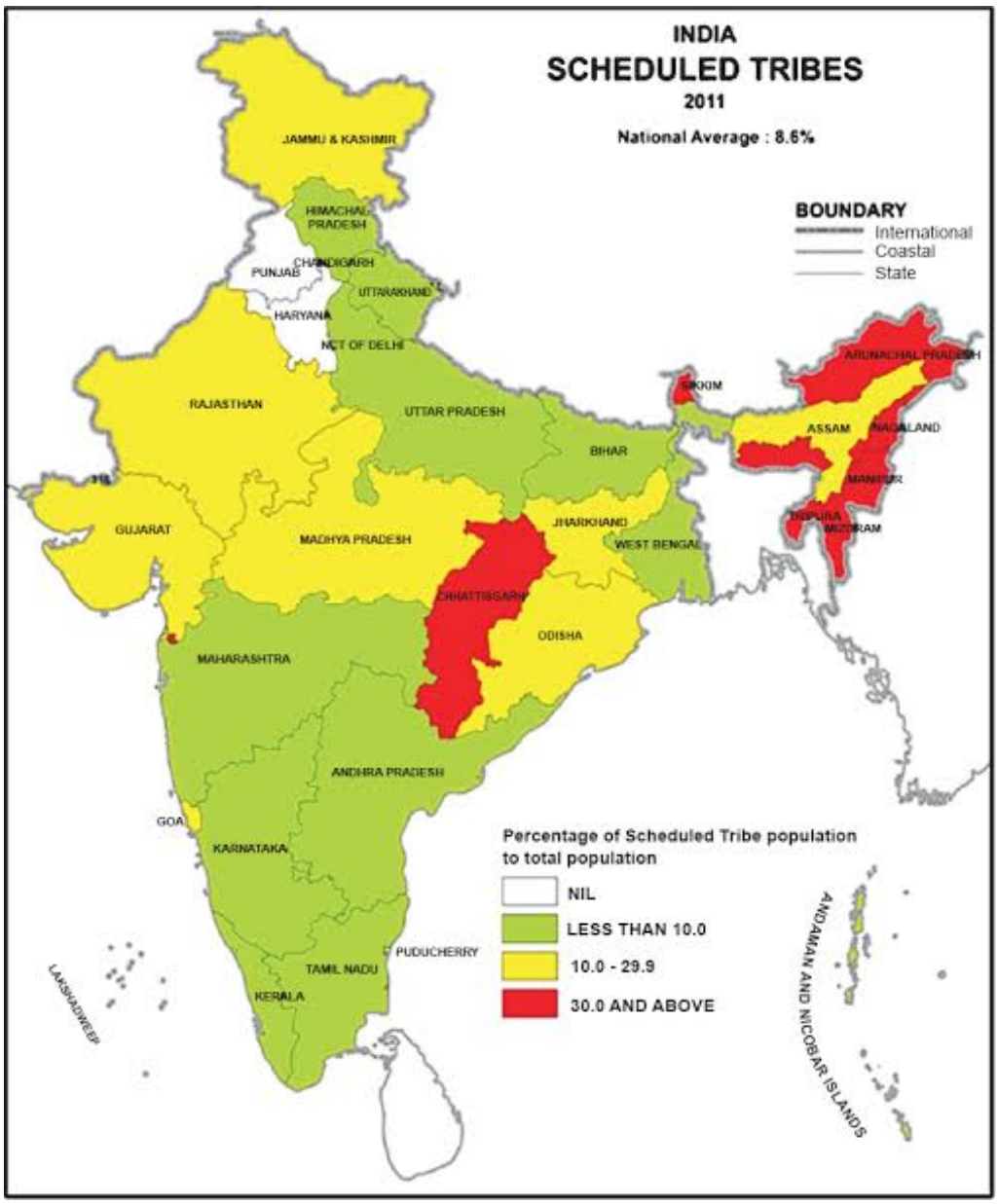

आरेख 1.1 भारत में जनजातियों का क्षेत्रवार वितरण

स्पष्ट है की भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में जनजातियों का प्रतिशत 30 प्रतिशत से अधिक है। पश्चिमी तथा मध्य भारत में इनका प्रतिशत 10 से 30 प्रतिशत के

बीच में तथा दक्षिणी भारत के राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम है। पंजाब और हरियाणा दो एसजे राज्य हैं जहाँ जनजातियों का कोई अस्तित्व नहीं है।

1.1.6 राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ

राजस्थान में भी देश की प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, डामोर, मीणा और भील जनजाति की जनसंख्या अधिक है। ये जनजातियाँ अरावली पहाड़ियों के मध्य राजस्थान के कुल 2077756 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में समाहित हैं जो प्राचीन काल से वन उत्पादों पर निर्भर हैं। शैक्षिक दृष्टि से यह एक वंचित वर्ग है

राजस्थान में जनजातियों के जनसांख्यिक वितरण को निम्न मानचित्र की सहायता से समझा जा सकता है–

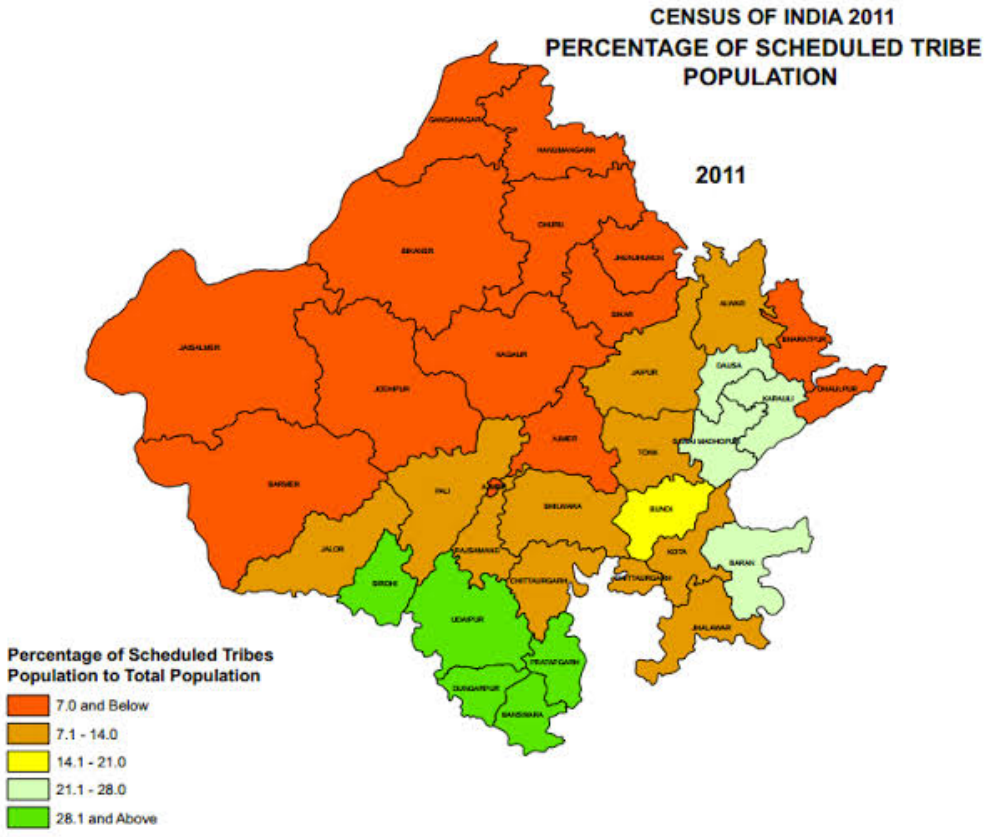

आरेख 1.2 राजस्थान में जनजातियों का क्षेत्रवार वितरण

स्पष्ट है की राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में जनजातियों का प्रतिशत 28 प्रतिशत से अधिक है। दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र में प्रतिशत 21 से 28 प्रतिशत, बूंदी जिले में 14 से 21 प्रतिशत एवं पश्चिम राजस्थान के जिलों में 7 प्रतिशत से कम है। इस प्रकार राजस्थान के हर क्षेत्र में जनजातीय समुदायों का अस्तित्व विद्यमान है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 1950 में राज्य की अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है 1952 में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सूची जारी की गई 1956 में इस सूची में अन्य कुछ और जनजातियों को जोड़ा गया है। बाद में इस प्रावधान में 'जनजातीय संशोधन आदेश', 1976 के द्वारा राज्य की जनजातियों को बारह भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं–

1. भील, भील गरासिया, डूंगरी गरासिया, तहुवी भील, ढोली भील, डूंगरी भील, मेवासी भील, रावत भील, भिलाया, भगलियाँ, बसावा, पावरा।
2. भील–मीणा
3. गरासिया, डामोर।
4. तेतरिया, धानका, वालवी, तडवी।
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. काथोडी, सोन कत्ताकारी, ढोर कत्ताकारी, ढोर, सोन काथोडी
7. कूकना, कोकना, कोकनी।
8. कोलचा, कोली ढोर, टोकरे, कोलघा।
9. मीणा।

10. नायका, नाना नायका, नायकड़ा, चोलीवाला, नायका, कापड़िया, नायका, मोटा नायका
11. पटेलिया।
12. सहरिया, सेहरिया, सेहाशिआ।[31]

उपर्युक्त सूची में वर्णित जनजातियों में अलावा अन्य जनजातीय समुदाय भी राजस्थान में निवास करते हैं। इन्हें अनुसूचित समुदाय या खानाबदोश समुदाय कहा जाता है। खानाबदोश समुदाय में गाडोलिया लोहार, बंजारा, सांसी, कालबेलिया आदि आते हैं जबकि अर्द्ध खानाबदोश आदिवासियों में जोगी, रेबारी, मसानी समूह आते हैं।

❖ भील जनजाति

इन्हें भील भिलाला या भील गरासिया के नाम से भी जाना जाता है। भील मुख्यतः राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश के सीमावर्ती पहाड़ी, पर्वतीय क्षेत्र में पाये जाते हैं। भील शब्द का सर्व प्राचीन उल्लेख मुणाध्य के 'कथा सरितसागर' ग्रन्थ में मिलता है। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति मनु के वंशजों से मानी जाती है। एक दूसरे मत के अनुसार महादेव एवं एक वन कन्या की गन्धर्व संतान से इनकी उत्पत्ति मानी गई है

भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में भागवत पुराण में वर्णन है कि ऋषियों ने मंथन करके एक अन्य मानव उत्पन्न किया जो अत्यंत काला और लाल आँखों वाला था। उस मानव ने दीनता व नम्रता से हाथ जोड़कर पूछा कि 'मैं क्या करूँ?' जब ऋषियों ने कहा–'निषाद्', इसका अर्थ होता है–'बैठ जा'। इसी शब्द से भील 'निषाद्' कहलाये।

भीलों की उत्पति के बारे में शिव–पुराण में भी वर्णन मिलता है। शिव–पुराण के अनुसार शंकर के एक पुत्र के वंशज आगे चलकर भील या निषाद् के नामे से जाने जाने

लगे। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में रामायण में भी उदाहरण मिलते हैं। रामायण के रचियता वाल्मिकी, निषादराज नाम का राजा तथा भक्तिमती शबरी स्वयं भील थे। महाभारत के अनुसार एकलव्य जो कि गुरुभक्ति तथा धनुर्विद्या के लिए जाना जाता है, निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था। टॉलमी (1500 ई.) ने भीलों को 'फिलाईट' कहकर संबोधित किया है

कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों की उत्पत्ति वनों से सम्बंधित बताई है और भीलों को वन या प्रकृति पुत्र कहा है। वह मानते हैं कि भीलों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी का अभाव है जो कि यह बता सके कि भील जनजाति वैदिक काल में भी थी। लेकिन फिर भी यह मान्य है कि 625 ई.पू. में गहलोत राजवंश ने नागदा (एकलिंग जी के पास, उदयपुर) क्षेत्र पर विजय जिस जनजाति की सहायता से प्राप्त की, वह भील जनजाति थी [32]

भील जनजाति के अर्थ एवं उत्पत्ति के बारे में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। भील जनजाति के सम्बन्ध में काफी सारी जानकारी हमें भारतीय वांगमय में उपलब्ध है [33] भीलों को ही सबसे मुख्य और अन्य जनजातियों की जननी कहा जाता है। अर्थ, उत्पत्ति और प्रजाति की दृष्टि से यह जनजाति कोल–मुण्डा जनजाति की शाखा से सम्बंधित है। यह छोटा नागपुर से नर्मदा घाटी के साथ गुजरात व दक्षिणी राजस्थान पहुँची एवं भील जनजाति कहलाई

भील वास्तविक आदिवासी था जो बाहर से आया हुआ था। इस समय बहुत सी समस्याओं एवं विवादों के बीच इस क्षेत्र में मानव बसावट का निर्माण हुआ। आहड़ का पंद्रह बार निर्माण दुबारा प्री–हिस्टोरिक समय के दौरान हुआ और तीन बार पुनः निर्माण

हिस्टोरिक समय से पहले हुआ था और मूल भीलों की बस्तियों की स्थापना 2000 ई.पू. के बाद नहीं हुई थी [34]

ये लोग कृषि करते थे, अपना भोजन स्वयं बनाते थे धातुओं में ये लोग तांबे के बर्तनों पयोग करते थे। ये नियोजित मकान में रहते थे [35]

भील का शाब्दिक अर्थ होता है–'कमान' जो कि द्रविड़ (तमिल) भाषा के 'बिल्ल' या 'वीलू' शब्द से बना है जिसका तात्पर्य 'कमान' से है। दूसरी और संस्कृत में भील शब्द का मूल रूप 'भिल्ल' होता है जो छेदन करना या काटना अर्थ वाले भिल् या भिद् क्रिया से बना है जो कि बाण चलाने में इनकी कुशलता को सूचित करता है। भील प्रारंभ से ही धनुर्विद्या में निपुण रहे हैं तथा ये निर्भय होकर राजस्थान सहित देश के पश्चिमी भाग में तथा अरावली पर्वतमालाओं में निवासरत हैं

प्राचीनकाल में राजस्थान के कई क्षेत्रों में भील राजाओं ने शासन किया था इनमें डूँगरपुर के डूँगरिया भील, बाँसवाड़ा के बाँसिया भील, कोटा के कोटिया भील मुख्य हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग के मूल निवासी भील थे। भीलों को पराजित करके राजपूतों ने अपना शासन स्थापित किया [36] 16 वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा पूँजा भील की बहादुरी एवं सेवाओं से प्रभावित होकर महाराणा प्रताप ने उसे 'राणा' का ख़िताब दिया

इस प्रकार भीलों की उत्पत्ति एवं अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों का विभिन्न दृष्टिकोण देखने क मिलता है। भील समुदाय की उत्पत्ति किस प्रकार भी हुई हो लेकिन यह सत्य है कि आर्यों के भारत आगमन के पहले से ही ये इस देश में निवास करते थे। इनके वनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। ये राजस्थान के दक्षिण–पश्चिमी हिस्से में निवास करते हैं जो कि पथरीला है [37]

वर्तमान समय में यह भील समुदाय देश के 100 जिलों में निवासरत हैं। भील राजस्थान के प्रत्येक जिले में निवास करते हैं।[38] राजस्थान के डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों की अरावली पर्वतमालाओं में ये समुदाय निवासरत हैं। इसके अतिरिक्त ये राज्य के सभी जिलों में निवास करते आ रहे हैं

❖ मीणा जनजाति

मीणा जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। संख्या की दृष्टि से राज्य में मीणा सर्वाधिक हैं [39] मीणा जनजाति की उत्पत्ति के विषय में कई मिथक, आख्यान एवं घटनाएँ प्रचलित हैं यह मान्यता प्रचलित है कि मीणा शब्द की उत्पत्ति 'मीन' शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ 'मछली' है मीणा जनजाति का गण–चिन्ह 'मीन' (मछली) था [40] मीन से मीणाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार से जोड़ी जाती है जैसे भीलों की उत्पत्ति 'बिल्ल' या 'तीर–कमान' से जोड़ी जाती है

प्राचीन समय में मीणाओं को मीना, मैना, मीणा, मैणा आदि शब्दों से हुई है आज भी राजस्थान के कई भागों में इन्हें इस नाम से सम्बोधित किया जाता है मध्यप्रदेश राज्य में इनको 'मीना' सम्बोधित किया जाता है

जैन मुनि श्री मगन सागर के 'मीन पुराण' नामक ग्रन्थ में मीणा जनजाति का सम्बन्ध भगवान के मत्स्यावतार से माना जाता है [41] इस ग्रन्थ में मीन क्षत्रियों की एक पौराणिक जाति की कल्पना की है जो कि दुष्टों का संहार करती थी

सिन्धु घाटी सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों ने मीणा जनजाति के अस्तित्व को प्रमाणित किया है इसका तात्पर्य है कि यह जाति समुदाय आर्यों से पहले ही देश में निवास करते थे

कुछ धारणाएँ परस्पर विरोधी मानी जाती है ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी होने के कारण यह निश्चित रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि गीता में 'मीना एकादश्भौवतु' तथा 'मीना एकादश्भाक्षितिम', अग्नि पुराण में कश्यपजी जी से ब्याही गई एवं ऊषा की पाँच कन्याओं के भक्त या जैन मत के अनुसार भगवान ऋषभदेव के सौ पुत्रों में से एक के नाम से 'मीना' का जन्म हुआ

कर्नल जेम्स टॉड : शेरिंग (1881) ; कुक (1896) एवं रसेल और हीरालाल ने मीणा का उल्लेख किया है विद्वान कुक ने मीणाओं को राजपुताना के मूल निवासी माना है इस क्षेत्र के मीणाओं को मेव, मेर, मेवाती शब्दों से सम्बोधित किया है मेवाती का अभिप्राय मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों से है मेवात का तात्पर्य मछली शब्द से है

राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति है राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ में इनका भाग 27.99 लाख है राजस्थान में मीणा अधिकतर जयपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है

राजस्थान के मीणाओं ने अन्य जनजातियों के पिछड़ेपन के कारण संविधान में जनजातियों को जो सुविधा दी है, उसका सर्वाधिक लाभ उठाया है और प्रतिष्ठा प्राप्त की है प्रारंभ से ही इनकी आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में अच्छी रही है अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं में जयपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर आदि पूर्वी तथा उत्तर–पूर्वी राज्य में निवासरत जनजाति समुदाय में से चयन हुआ है

- **गरासिया जनजाति**

गरासिया जनजाति केवल तीन जिलों तक ही सीमित हैं। इन जिलों में सिरोही की आबू रोड़ और पिंडवाड़ा तहसीलों, पाली की बाली तहसील एवं उदयपुर की कोटड़ा तहसील में ही गरासिया जनजाति के लोग बहुतायत में पाये जाते हैं

कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रन्थ 'एनाल्स एण्ड एक्टिविटीज़' में इनकी उत्पत्ति ग्रास (घास) से मानी है इनके अनुसार मेवाड़ में राजपूत दो प्रकार के थे– गरासिया ठाकुर या जमीदार और भूमिया जिनके पास भूमि (गिरास) के पट्टे थे वे गरासिया कहलाये जो राजकुमार द्वारा इनकी विशेष सेवाओं के बदले में स्वीकृत किये जाते थे

इनका उल्लेख 13 वीं शताब्दी से मिलता है यह उल्लेख सर्वप्रथम मारवाड़ की सेंसस बुक में इस प्रकार किया गया है कि सन् 1388 के आस–पास ये जालौर के चौहान कान्हड़देव के वंशज राजपूत गरासिया कहलाये जो लगभग छः सौ वर्ष पूर्व पराजित होकर पर्वतों पर भाग गये थे और समय के साथ अपने राजपूती आचार–विचार को भूल गये थे और आदिवासी भीलों की तरह हो गये थे इनकी जीवन शैली भीलों से मिलती है ये पहाड़ों में भीलों जैसी झौंपड़ियों में रहते हैं और धनुषबाण का उपयोग करते हैं लेकिन गरासिया लोग भीलों से उच्च माने जाते हैं

गरासिया मूलतः अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं इनके राजपूतों और भीलों के साथ निकट सम्बन्ध थे चाहे इनको किसी भी नाम से पुकारा जाये लेकिन सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं कि गरासियों के सम्बन्ध राजपूतों से रहे हैं इस जनजाति का सांस्कृतिक परिवेश अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक रंग–बिरंगी है

- **सहरिया जनजाति**

सहरिया जनजाति को राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति माना जाता है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य की सहरिया जनजाति को सबसे पिछड़ी जनजाति में रखा इनकी सर्वाधिक संख्या बारां जिले की शाहबाद तहसील में रहती है उदयपुर, झालावाड़, डूँगरपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर तथा भरतपुर जिलों में भी कुछ सहरिया पाये जाते हैं

सहरिया जनजाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि सहरिया भारत के निवासी थे मध्यपदेश इनका मूल निवास माना जाता है लेकिन इन्हें देश के विभिन्न भागों में अलग–अलग नामों से जाना जाता यथा- सवर, सवारा, सओरा, सोरा आदि ऐसी मान्यता है कि इन्हीं शब्दों से मूल शब्द 'सहरिया' की उत्पत्ति हुई है

'सहरिया' शब्द का वास्तविक अर्थ अभी तक ज्ञात नहीं है इसके बारे में कई मत प्रचलित हैं एक मत के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द 'शेर' से हुई है जिसका तात्पर्य जंगल होता है मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने जंगल में निवास करने के आधार पर इन्हें सहरिया नाम दिया

गेरीसन का मानना है कि सहरिया बारां जिले के उत्तर में शाहबाद तक फैले हुए थे [42] 'इम्पीरियल गजेटियर ऑफ़ इण्डिया' में उल्लेख मिलता है कि संभवतया एक बार भील, गौड़, सहरिया एवं अन्य आदिवासी के पूर्वजों ने मध्य भारत पर अधिकार कर लिया था। इसी के परिणामस्वरूप ये आज भी विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में निवासरत हैं [43]

- **डामोर जनजाति**

डामोर या डामरिया जनजाति का मूल स्थान गुजरात है राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये जनजाति निवास करती है ये अधिकांशतः गुजरात के सीमावर्ती जिले तथा डूँगरपुर जिले की सीमलवाड़ा तहसील में निवास करते हैं इनका शेष भाग बाँसवाड़ा एवं उदयपुर जिले में निवासरत है इनकी बहुलता के कारण यह क्षेत्र 'डामरिया' क्षेत्र कहलाता है [44]

डामोर अथवा डामरिया जनजाति की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट प्रामाणिक स्रोत नहीं है डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बताते हैं इनके गोत्र एवं नाम राजपूतों के समान है इनके विभिन्न गोत्रों की उत्पत्ति के बारे में कई किवदंत्तियाँ प्रचलित हैं

प्रथम, पादरिया गोत्र के डामोर अपनी उत्पत्ति गुजरात के सेज गाँव से मानते हैं इस गोत्र के डामोर निम्न वर्ग के माने जाते हैं इनका निवास स्थान 'हूका' क्षेत्र समतल भूमि होने के कारण 'पादर कहलाया तथा वहाँ के निवासी 'पादरिया' कहे जाने लगे

द्वितीय, सिसोदिया गोत्र के डामोर अपनी उत्पत्ति चित्तोड़ के सिसोदिया राजपूतों से मानते हैं ये स्थानीय डामोरों से विवाह के कारण 'डामोर' कहलाए इसी तरह चौहान, राठौड़, साटोलिया, सौलंकी गोत्रों के डामोर भी अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं

तृतीय, इस प्रकार 'खाँट' गोत्र के डामोर खुद की उत्पत्ति राजपूतों से ही मानते हैं एक मान्यता के अनुसार 700 वर्ष पूर्व गुजरात राज्य के एक गाँव बारिया से दो राजपूत भाइयों में खुनी जंग के बाद एक 'खाँट' के घर में शरण ली इसी कारण आस–

पास के लोगों ने उसे 'खाँट' कहना शुरू किया इसके तीन उपगोत्र हैं– मोडिया, कोयला तथा मालविया

चतुर्थ, परमार गोत्र के डामोर बम्बई प्रान्त के किसी स्थान को अपना मूल स्थान मानते हैं एक मान्यता है कि बम्बई प्रान्त के परमार राजा के वंशज के दो भाई भगवान मनजी और बावसी मनजी थे ये दोनों भाई 14 वीं शताब्दी में गुजरात आये तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी भगवान मनजी ने एक पटेल के घर पर पानी पिया लेकिन छोटे भाई ने पानी पीने से पहले जाति पूछी तो उसने डोम जाति बताई इस घटना के बाद डोम के घर पानी पीने वाली संतानें 'डामोर' कहलाई

विद्वानों के अनुसार डामोर/डामरिया मूलतः गुजरात के निवासी हैं जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में रहते हैं अधिकांशतः ये डूँगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत में निवास करते हैं

❖ कथौड़ी जनजाति

यह जनजाति मूलतः महाराष्ट्र राज्य में है ये व्यवसाय की तलाश में राजस्थान आये और यहीं बस गये वर्तमान में यह जनजाति मात्र उदयपुर जिले की कोटड़ा, गोगुन्दा तथा झाड़ोल पंचायत समितियों में निवास करती है यह जनजाति राजस्थान की सबसे कठिन और बदतर स्थिति में जीवन व्यतीत करती है [45]

कथौड़ी जनजति कत्था बनाने में दक्ष होती है वर्तमान में खेर के वृक्षों की संख्या लगभग सैम, ख़त्म हो जाने के कारण इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया जिससे इनकी आजीविका का अब कोई साधन नहीं है इसी कारण इनकी आर्थिक स्थिति विचारणीय हो गई है

1.1.7 अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

भारत में जनता की उन्नति के लिए अनेक विविध उपक्रम का अमल करने के बावजूद भी अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक शैक्षिक परिस्थिति सन्तोषजनक नहीं है। समाज का यह बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित न रह जाए। उन्हें शिक्षित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आज की आवश्यकता बन गई है। उनके रहन–सहन और तौर–तरीके से पता लगता है कि वे लोग आज भी समाज में कितने पीछे हैं। अनुसूचित जनजाति का शिक्षा प्रमाण औसत से कम है, इसका प्रमुख कारण कुपोषण आर्थिक दरिद्रता काम की अयोग्य आदतें, अकेलापन, आत्मविश्वास का प्रभाव उच्च वर्ग के लोग तथा छात्रों के साथ समायोजन की समस्या आदि हैं। आजादी के बाद प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ विशेष प्रावधान रखकर उनकी उन्नति की कोशिश की गई। अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में मुख्य समस्या उनकी बोली व भाषा है क्योंकि पाठशाला में मानक भाषा का उपयोग होता है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा को सीखना पड़ता है। इसलिए छात्र पाठशाला में आने से अप्रसन्न होते हैं।

1.2 अनुसन्धान का औचित्य

कोई भी शोध कार्य या अध्ययन सार्थक नहीं होता जब तक उसका कोई महत्त्व या औचित्य नहीं होता या स्वयं में विशिष्ट न हो। इस कार्य या अध्ययन का औचित्य व्यावहारिक योग्यता पर आधारित है। अतः समस्या का मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है

जनजाति बालिकाओं की शिक्षा वहाँ कि भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होती है। राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों को अधिकतर पिछड़े

हुए क्षेत्रों में माना जाता है। युग–युगांतर से जनजाति लोग पिछड़े हुए और अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं। इन्हीं बन्धनों के फलस्वरूप जनजाति शिक्षा का विकास अन्य दूसरे वर्गों की अपेक्षा निम्न स्तर पर हुआ है प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से जनजाति बालिकाओं की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, समस्या एवं भविष्य में अवसरों जाना जा सकता है तथा इसके अनुरूप आवश्यक सुधार की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाये जा सकते हैं

राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा सामंतीय एवं निजी नियंत्रण में होने के कारण जनजातीय शिक्षा की उपेक्षा होती थी। कुछ व्यक्तिगत एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा स्वतंत्रता पूर्व जनजाति शिक्षा के लिए अल्प एवं अस्थाई प्रयास हुए थे जो कि व्यापक जनजाति क्षेत्र की शिक्षा के लिए कम थे। इनमें सबसे प्रमुख प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया जिन्हें अंग्रेजों द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जाता था इन्हीं व्यवस्थाओं से जनजाति शिक्षा कितनी लाभान्वित हुई, यह जानने का प्रयास किया जाना आवश्यक है

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जनजाति क्षेत्रों को विशेष क्षेत्रों में बांटा गया है साथ ही संविधान द्वारा जनजाति को विशेष लाभ एवं आरक्षण प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान किया गया है इन प्रावधानों ने जनजाति शिक्षा को कितना प्रभावित किया है तथा जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा में अब भी क्या–क्या समस्याएँ आ रही हैं, को जानने हेतु शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य करने का निर्णय लिया गया है

1.3 समस्या कथन

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् दक्षिणी राजस्थान की शहरी तथा ग्रामीण बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं तथा भविष्य में इनके

अवसरों के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए अपनी शोध समस्या को एक अभिकथन के रूप में निरुपित किया है जो निम्नलिखित है–

"दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों का अध्ययन"

1.4 शोध उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य को निश्चित दिशा देने के लिए उसके उद्देश्यों का निरूपण अत्यन्त आवश्यक होता है। ये वस्तुतः शोध प्रश्नों पर आधारित होते हैं जिन्हें औपचारिक भाषा में लिखा जाता है। प्रस्तावित शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का पृथक–पृथक अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का पृथक–पृथक अध्ययन करना।
4. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं के भविष्य में अवसरों का पृथक–पृथक अध्ययन करना।
6. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं के भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.5 परिकल्पनाएँ

परिकल्पना किसी समस्या के वे संभावित परिणाम होते हैं जिनका परीक्षण संभव होता है। प्रस्तावित शोध कार्य में सोशल मीडिया के विभिन्न प्रभावों के अध्ययन हेतु निम्नलखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण तथा शहरी जनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य के अवसरों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.6 पारिभाषिक शब्दावली

प्रस्तुत अनुसन्धान में शोधार्थी ने समस्या में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का अर्थ निम्नानुसार लिया है–

- **उच्च शिक्षा :–** प्रस्तुत शोध में उच्च शिक्षा का अर्थ स्नातक स्तर की शिक्षा से लिया गया है।
- **जनजातीय बालिकाएँ :–** जनजातीय बालिकाओं से तात्पर्य उन आदिवासी जाति की बालिकाओं से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

- **वर्तमान स्थिति :–** इसमें जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक स्थिति को सम्मिलित किया गया है।
- **समस्याएँ :–** इसमें जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सम्मिलित किया गया है।
- **भविष्य में अवसर :–** भविष्य में अवसर से शोधार्थी का आशय सरकार द्वारा की गई उन शैक्षिक व्यवस्थाओं तथा इनके प्रति जनजातीय बालिकाओं की जागरूकता एवं दृष्टिकोण से हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् इन्हें उपयुक्त रोज़गार दिलवाने में सहायक सिद्ध होगा।

1.7 शोध अध्ययन का परिसीमन

किसी भी वृहद् क्षेत्र के अध्ययन को सरल एवं प्रभावी बनाने हेतु उसका परिसीमन करना आवश्यक है। यदि समस्या स्पष्ट एवं सीमित होगी तो उसका अध्ययन गहनता से किया जा सकता है। अतः अनुसन्धान की वैधता, विश्वसनीयता व उपयोगी परिणामों को निर्धारित समय में प्राप्त करने हेतु अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन आवश्यक हो जाता है। अतः शोधार्थी ने भी अध्ययन की सुलभता व समयाभाव के कारण शोध का परिसीमन किया है यथा –

1. प्रस्तुत अध्ययन में दक्षिणी राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र को ही लिया गया है क्योंकि यही राजस्थान का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला निवास क्षेत्र है।

2. प्रस्तुत अध्ययन में दक्षिणी राजस्थान के चार जिलों– उदयपुर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ को ही अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

1.8 न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा न्यादर्श का चयन निम्न प्रकार से किया गया है–

- **बालिकाओं का चयन :–** जनजातीय बालिकाओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा निम्न प्रकार से किया गया–

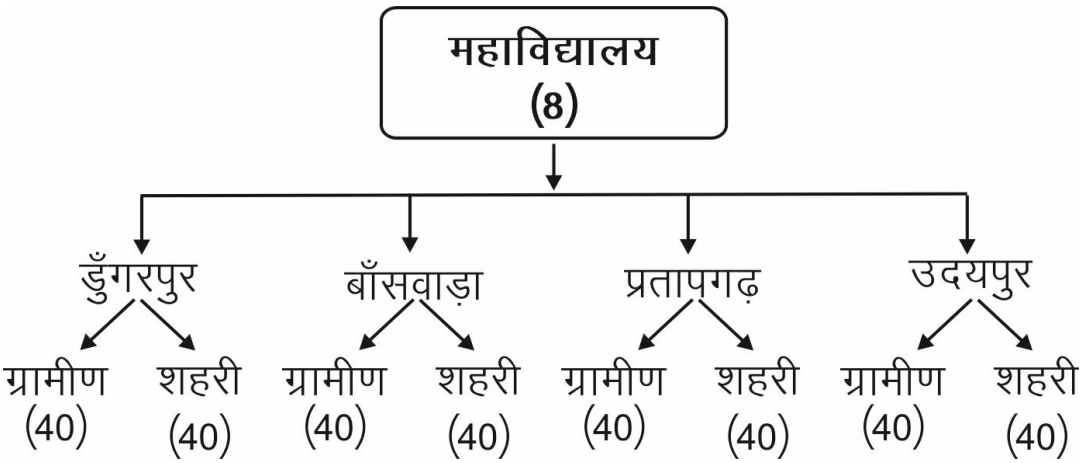

इस प्रकार 160 बालिकाएँ ग्रामीण तथा 160 बालिकाएँ शहरी क्षेत्र से चयनित की गई।

- **अन्य अभिधारकों का चयन :–** जनजातीय बालिकाओं के अलावा समस्या से जुड़े अन्य अभिधारकों जैसे– प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं अभिभावकों का चयन सौदेश्य प्रतिचयन विधि द्वारा निम्न प्रकार से किया गया–

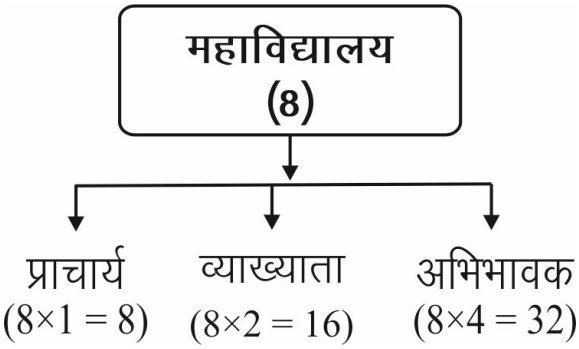

इस प्रकार कुल 376 न्यादार्श का चयन दत्त संकलन हेतु किया गया।

1.9 विधि

सुखिया, मेहरोत्रा; मेहरोत्रा के अनुसारः– "अध्ययन विधि वह मार्ग है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जा सकती है।"

शोधार्थी द्वारा अपनी समस्या की प्रकृति एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है। यही वह विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या की वस्तुस्थिति, समस्याओं तथा विद्यालयी उपलब्धि से सम्बंधित दत्त एकत्रित किये जा सकते हैं। सर्वेक्षण विधि के द्वारा तथ्यपूर्ण सामग्री या दत्त जो अज्ञात एवं अछूते होते है, को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा कम समय में अधिक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं।

1.10 दत्त संकलन

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के दत्त अर्थात् आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। द्वितीयक आंकड़े जहाँ सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन हेतु संग्रहित किये गये हैं वहीं प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण चयनित न्यादर्श से उपकरणों के माध्यम से किया गया है।

1.11 उपकरण

किसी भी अध्ययन में दत्त संकलन के लिए उपकरण एक प्रभावी माध्यम होता है। प्रस्तावित शोध कार्य में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित है–

(i) साक्षात्कार अनुसूची:– प्राचार्यों के लिए।

(ii) साक्षात्कार अनुसूची:– व्याख्याताओं के लिए।

(iii) साक्षात्कार अनुसूची:– अभिभावकों के लिए।

(iv) व्यक्तिगत सूचना पत्रक :– बालिकाओं के लिए।

(v) अवलोकन अनुसूची :– शोधार्थी के लिए।

1.12 दत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक दत्तों के गणनात्मक विश्लेषण में निम्न सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है यथा–

(i) प्रतिशत (ii) मध्यमान

(iii) मानक विचलन (iv) टी–परीक्षण

1.13 शोध चरण

शोध एक प्रक्रिया है जिसे कुछ निश्चित सोपानों से होकर गुजरना ही पड़ता है। यदि इस कार्य को चरणबद्ध ढंग से नहीं किया जाये तो कई रिक्तताएँ रहने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं साथ ही इसके विभिन्न पक्षों में तारतम्यता भी नहीं रह जाती। परिणास्वरूप

एक अपूर्ण शोध तस्वीर ही प्रकट हो पाती है। यही कारण है कि प्रस्तावित शोध कार्य में भी समस्त कार्य चरणबद्ध ढंग से ही किये गये हैं जिन्हें संक्षिप्त रूप से निम्न रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है–

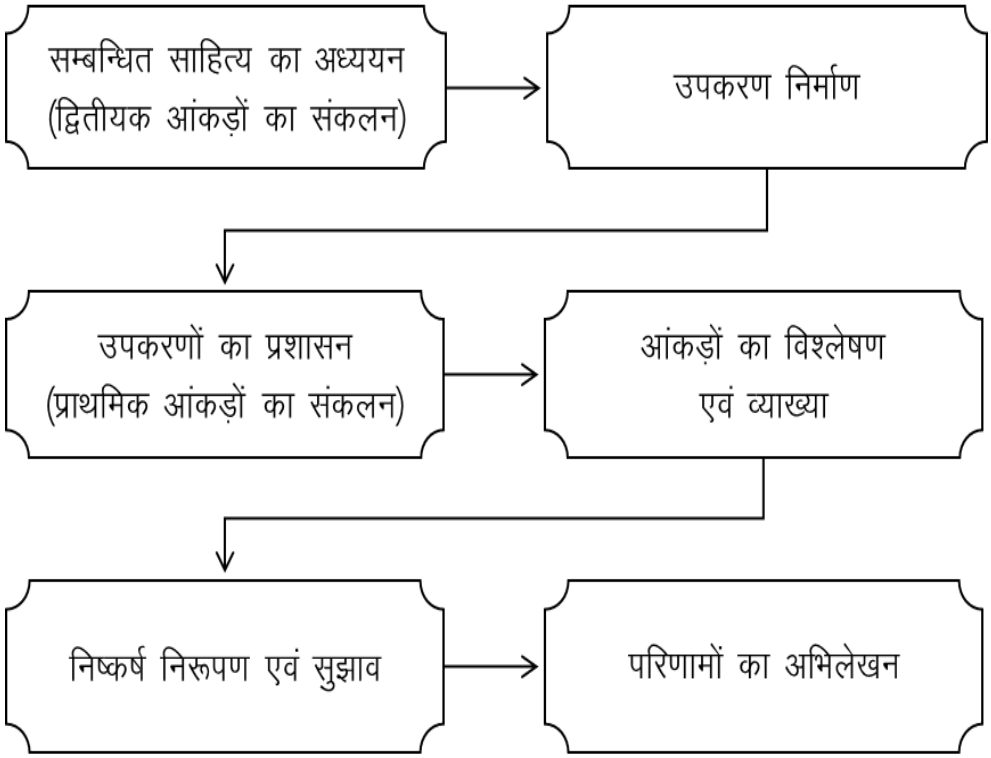

1.14 शोध प्रतिवेदन का प्रारूप

किसी भी शोध अध्ययन का अंतिम सोपान शोध परिणामों का अभिलेखन कर उसका प्रतिवेदन तैयार करना होता है। प्रस्तावित शोध का प्रतिवेदन निम्नलिखित परिच्छेदों के अन्तर्गत तैयार किया गया है–

- **प्रथम परिच्छेद (शोध आकल्प):–** इस परिच्छेद में समस्या एवं संबंधित पक्षों की प्रस्तावना, औचित्य, उद्देश्यों, परिकल्पनाओं, पारिभाषिक शब्दावली, परिसीमन, न्यादर्श, उपकरण, शोध विधि, सांख्यिकीय प्रविधि इत्यादि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

- **द्वितीय परिच्छेद (सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा):–** इस परिच्छेद में समस्या से सम्बद्ध सभी पक्षों पर भारत एवं विदेशों में किये गये शोध कार्यों का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें शोध केन्द्रीय विषय, अध्ययन क्षेत्र, उद्देश्य, न्यादर्श शोध पद्धति एवं परिणामों को प्रमुखता दी गई है।
- **तृतीय परिच्छेद (शोध कार्यप्रणाली):–** इस परिच्छेद में शोध में अपनाई गई कार्यप्रणाली के समस्त तत्वों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। न्यादर्श चयन की प्रक्रिया, उपकरण निर्माण की प्रक्रिया, विधि, प्रविधि, दत्त संकलन एवं विश्लेषण इस परिच्छेद के प्रमुख बिंदु हैं।
- **चतुर्थ परिच्छेद (उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति):–** इस परिच्छेद में विभिन्न उपकरणों से प्राप्त उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का गुणात्मक तथा गणनात्मक विश्लेषण किया गया है।
- **पंचम परिच्छेद (उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याएँ):–** इस परिच्छेद में विभिन्न उपकरणों से प्राप्त उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का गुणात्मक तथा गणनात्मक विश्लेषण किया गया है।
- **षष्टम परिच्छेद (उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसर):–** इस परिच्छेद में विभिन्न उपकरणों से प्राप्त उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का गुणात्मक तथा गणनात्मक विश्लेषण किया गया है।

- **सप्तम परिच्छेद (शोध सारांश, निष्कर्ष, निहितार्थ एवं सुझाव):–** इस अंतिम परिच्छेद में अब तक किये गये समस्त शोध कार्य की संक्षिप्तिकरण, शोध निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

1.15 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद में समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसन्धान की आवश्यकता, शोध कार्य हेतु प्रयुक्त समस्या, संबंधित चरों, उद्देश्यों, परिकल्पनाओं एवं शोध अध्ययन की समस्त कार्यप्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। साथ ही शोध प्रक्रिया के चरणों एवं शोध प्रतिवेदन हेतु परिच्छेदों का भी उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर सम्पूर्ण शोध कार्य का भवन खड़ा किया गया है। आगामी परिच्छेद में सम्बंधित साहित्य का अध्ययन किया जायेगा।

सन्दर्भ

1. Mahatma Gandhi (2008). *Mere Sapanon ka Bharat*. (Page-255) Kashmiri Gate, Delhi: Rajpal and Sons.
2. आर्थिक सर्वे 2009–10, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 271
3. पालीवाल, एल.एल. (2003). ट्राइब-35, *माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान*, अंक 3-4, उदयपुर, पृ. 1
4. वही, पृ. 3
5. शर्मा, सुभाष (2009). *भारत में मानवाधिकार*, नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया
6. प. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 1952 में हुए 'अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित क्षेत्र सम्मेलन' में दिया गया भाषण, आदिवासी लोग, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार (1959), पृ. 2
7. साक्त्यायन, राहुल (2008). *मानव समाज*, पृ. 1
8. गया, पांडे (2007). *भारतीय जनजातीय संस्कृति*, नई दिल्ली : कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी
9. अटल, योगेश एवं यतीन्द्र सिंह सिसोदिया (2011). *आदिवासी भारत*, नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशंस, पृ. 2
10. मजूमदार, डी.एन. (1958). रसेस एंड कल्चर, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ़ इण्डिया, बम्बई: एशिया पब्लिशिंग हॉउस, पृ. 356
11. उत्प्रेति, हरिश्चंद्र (1970). *इण्डियन ट्राइब्स*, राजस्थान विश्वविद्यालय : सामाजिक विज्ञान हिंदी रचना केंद, पृ. 1

12. धुरये, जी.एस. (1943). *द एबओरिजन्स सो काल्ड एण्ड दियर फ्यूचर*, पूना, पृ. 36

13. Dube, S.C. (1977). *Tribal Heritage of India.* Page-24

14. Bite, Andre (1977). *The Definition of Tribal Confuting in Ramesh, Thapar*: Tribal Cast and Religion. New Delhi: Macmillan Company, Page-57

15. हट्टन, जे.एच. (1938). *सेन्सस रिपोर्ट ऑफ़ इण्डिया 193*, वॉल्यूम–1, नई दिल्ली: प्रिंट

16. Gilin & Gilin (1987). *Cultural Psychology*. Newyork: The Macmillan, Com, Page-282.

17. Sinha, Surjeet (1980). Tribal and Indian Civilization. A Perspective Man in Indian, 60 : 1.2

18. सेन्सस ऑफ़ इण्डिया (1961), वॉल्यूम-1, पार्ट वी.बी. (11), पृ. 2–3

19. नायक, टी.बी. (1968). *वाट इज द ट्राइब*, कोनपिलटीग डेफिनिशन्स इन एल.पी. विद्यार्थी, एम्प्ल्याईड एन्थ्रोपोलोजी, इलाहाबाद : किताब महल

20. विद्यार्थी, एल.पी. एण्ड मिश्रा एन. (1977). *हरिजन टुडे*, नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिकेशन्स

21. दुबे, एस.सी. (1977). *ट्राईबल हेरिटेज ऑफ़ इण्डिया*, नई दिल्ली : विकास पब्लिकेशन्स हाउस

22. भारत का संविधान (1994). इलाहाबाद : सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, पृ. 1441

23. शर्मा, कमल (2008). *जनजातीय विकास के नवीन आयाम* , नई दिल्ली: ए.पी. एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, पृ. 2

24. भारत का संविधान, भारत सरकार

25. वही, पृ. 452

26. गया, पांडे (2007). *भारतीय जनजातीय संस्कृति*, नई दिल्ली : कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी

27. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (2008–09), जनजाति क्षेत्रीय विभाग, राजस्थान सरकार, पृ. 64

28. शोध के दौरान श्री एस.एल. परमार, अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी महासभा, उदयपुर के बताये अनुसार

29. भारत, 2008, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 15

30. रॉय, बी.के. बर्मन (1971). *डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ दी ट्राइबल्स*, पृ. 26–29

31. वार्षिक प्रतिवेदन : 2008–09, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, पृ. 561

32. कर्नल जेम्स टॉड (1880). *एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ़ राजस्थान,* पृ. 304

33. तिवारी, सी.पी. (2003). *जनजातीय पर्यावरण*, आशा पब्लिशिंग कंपनी, पृ. 189

34. सांकलिया, एच.डी. 'बिगेनिंग ऑफ़ सिविलाईजेशन इन राजस्थान', पृ. 13–16

35. वही, पृ. 12

36. कर्नल जेम्स टॉड : एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ़ राजस्थान, भाग प्रथम, पृ. 259–268

37. आहुजा, डी. आर., 'राजस्थान लोक संस्कृति और साहित्य', नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, पृ. 9

38. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1999). *भारत के आदिवासी*, उदयपुर : शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ. 56

39. ट्राइब (2001). माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था, 33(1–4), पृ. 1, अप्रेल 2001

40. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1999). *भारत के आदिवासी*, उदयपुर : शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ. 56

41.ट्राइब (2001). माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था, 33(1–4), पृ. 1, अप्रेल 2001

42. गेरीसन

43. मजूमदार, डी.एन. (1958). रसेस एंड कल्चर, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ़ इण्डिया, बम्बई: एशिया पब्लिशिंग हॉउस, पृ. 356

44. ट्राइब (2001). माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था, 33(1–4), पृ. 1, अप्रेल 2001

45. वही, पृ. 2

द्वितीय अध्याय

सम्बंधित साहित्य की समीक्षा

2.1 प्रस्तावना

मानव के नवीन ज्ञान के सृजन में अतीत के संचित एवं आलेखित ज्ञान की पुनरावृत्ति अति उपयोगी एवं आवश्यक होती है। अनुसंधानकर्त्ता के लिए वह अनिवार्य एवं कठोर परिश्रम का कार्य है फिर भी यह महत्वपूर्ण चरण है। अनुसंधानकर्त्ता अपने कार्य को वैज्ञानिकता, सहजता एवं स्पष्टता प्रदान करने के लिए अपने विषय क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य एवं अनुसंधान का सर्वेक्षण करता है तथा इससे प्राप्त होने वाले उपयोगी घटकों का प्रयोग अपने नवीन कार्यों में करता है। अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित साहित्य सर्वेक्षणात्मक एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन के रूप में होना चाहिए। जिस प्रकार महासागर में मछली अपने भोजन की तलाश में होती है उसी प्रकार मछली रूपी अनुसंधानकर्त्ता साहित्य रूपी महासागर में अपने शोध सम्बन्धित साहित्य को तलाशता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से उसे अनुसंधान सम्बन्धी सही आयामों, विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने शोध कार्य को सही रूप में प्रदान कर सकता है।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार के ज्ञानकोशों, पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता को अपने कार्य करने की दिशा मिलती है। जब तक अनुसंधानकर्त्ता को इस बात का ज्ञान न हो कि किस विधि से कार्य किया जाता है और क्या निष्कर्ष आए हैं

तब तक न तो समस्या का निर्धारण किया जा सकता है और न ही शोध की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

सम्बन्धित साहित्य के बिना अनुसंधानकर्त्ता का कार्य ऐसे नाविक के समान होगा जो महासागर के मध्य दिशा सूचक यंत्र के बिना सामूहिक यात्रा करने का प्रयास करता है। किसी भी विषय के विकास में किसी विषय शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए अनुसंधानकर्त्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली–भांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करनी होती है।

2.2 साहित्य समीक्षा का अर्थ

'साहित्य की समीक्षा' में दो शब्द हैं– 'साहित्य और समीक्षा'। साहित्य शब्द परम्परागत अर्थ से विभिन्न अर्थ प्रदान करता है। यह भाषा के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे– हिन्दी साहित्य, आंग्ल साहित्य, सस्ंकृत साहित्य। इसकी विषय–वस्तु के अन्तर्गत गद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि आते हैं। शोध के क्षेत्र में साहित्य शब्द किसी विषय के शोध के अन्तर्गत सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और तथ्यात्मक शोध अध्ययन आते हैं।

'समीक्षा' शब्द का अर्थ शोध के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की व्यवस्था करना एवं ज्ञान को विस्तृत करके यह दिखाना है कि उसके द्वारा किया गया अध्ययन इस क्षेत्र में एक योगदान होगा। साहित्य के समीक्षा का कार्य अत्यन्त सर्जनात्मक एवं थकाने वाला है क्योंकि अनुसंधानकर्त्ता को अपने अध्ययन को युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करने के लिए

प्राप्त ज्ञान को अपने ढंग से एकत्र करना होता है। 'साहित्य और समीक्षा' दोनों शब्दों का ऐतिहासिक विधि में बिल्कुल भिन्न अर्थ हैं। ऐतिहासिक शोध में शोध कर्त्ता को प्रकाशित तथ्यों की समीक्षा की अपेक्षा बहुत कुछ स्वयं करना होता है, वह ऐसी नई जानकारी को खोजने और एकत्र करने का प्रयास करता है जो पहले भी प्रकाशित नहीं हुई और न ही जिस पर कभी विचार हुआ। सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक शोध की तुलना में ऐतिहासिक शोध में साहित्य की समीक्षा में उपरोक्त विचार प्रक्रिया से भिन्न अर्थ है।

'साहित्य की समीक्षा' शब्दों को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया गया है। शोध के सन्दर्भ में इसका विशेष अर्थ होता है।

होर्ग. डब्ल्यू. आर. (1963) के अनुसार, "शैक्षिक अनुसंधान से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किसी अनुसंधानकर्त्ता के लिए किसी समस्या विशेष के निकट पहुँचने का महत्वपूर्ण साधन है।"

बोर्ग के अनुसार, "सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किसी भी शोधकार्य को इस योग्य बना देता है कि पहले हुए अनुसंधान को खोज सके, उसका अध्ययन कर सके तथा अपनी स्वयं की समस्या के अनुसंधान कार्य में उसके महत्व का मूल्यांकन कर सके।"

चार्टर बी. गुड के अनुसार, "मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्त्रोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकरण अध्ययन की विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में

सहायता करती है। वास्तव में रचनात्मक मौलिकता तथा चिन्तन के विकास हेतु विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन आवश्यक है।"

साहित्य की समीक्षा के दो पक्ष होते हैं । प्रथम पक्ष के अन्तर्गत समस्या क्षेत्र में प्रकाशित सामग्री को पहचानना तथा जिस भाग से हम पूरी तरह अवगत नहीं है उसको पढ़ना आता है। हम उन विचारों और परिणामों का विकास करते हैं। जिसके आधार पर हमारा अध्ययन किया जायेगा। साहित्य की समीक्षा के द्वितीय पक्ष में शोध अभिलेख के भाग में इन विचारों को लिखना होता है। यह भाग अनुसंधानकर्त्ता और पढ़ने वाले दोनों के लिए लाभकारी है। अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह उस क्षेत्र में भूमिका स्थापित करता है। पढ़ने वालों के लिए यह विचारों और अध्ययन के लिए आवश्यक शोधों का सारांश प्रस्तुत करता है।

2.3 साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत

सम्बन्धित साहित्य प्राप्त करने के मुख्यतः निम्नलिखित स्रोत हैं :–

- **प्रत्यक्ष स्रोत**

- पत्रिकाओं से उपलब्ध सामयिक साहित्य।
- स्नातक/डाक्टरेट तथा अन्य शोध प्रबन्धक।
- ग्रन्थ, निबन्ध, पुस्तकें, बुलेटिन तथा वार्षिक
- पुस्तकें।
- सी.डी
- इंटरनेट
- सरकारी व गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन

➢ **अप्रत्यक्ष स्रोत**

- शिक्षा सार।
- शिक्षा की सूची पत्र।
- जीवन गाथा सम्बन्धित साहित्य।
- शिक्षा विश्वज्ञान कोष।
- उद्धरण स्रोत।
- विविध स्रोत।

2.4 प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत

प्रस्तुत शोध में सम्बंधित साहित्य का अधिकांश सर्वेक्षण विभिन्न प्राथमिक स्रोतों यथा– विभिन्न विश्वविद्यालयों में किये गये पीएच.डी. स्तरीय शोधप्रबंध, शोध सारांश, शोध पत्रिकाओं तथा इंटरनेट पर आवश्यकतानुसार वेबसाइट सर्फिंग द्वारा किया गया है।

2.5 सम्बंधित साहित्य समीक्षा के उद्देश्य

- समस्या का स्पष्ट प्रतिरूप प्राप्त करना।
- समस्या का व्यापक क्षेत्र ज्ञात करना।
- ज्ञान की वर्तमान सीमा ज्ञात करना।
- विभिन्न समय में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना।
- समस्यानुसार शोध अध्ययन की विधि, प्रविधि का निर्धारण करना।
- एकत्रित समंकों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- अनुसंधान के विधान की रचना करने के सम्बन्ध में अन्तर्दृष्टि प्राप्त करना।

- पूर्व में किये गये कार्यों से करणीय कार्यों को पृथक करना।
- शोध परिकल्पनाओं का विकास करना।
- अध्ययन से सम्बन्धित नवीन समस्याओं को ज्ञात करना।

2.6 सम्बंधित साहित्य समीक्षा का प्रस्तुतीकरण

प्रस्तुत प्रतिवेदन के लिए शोधार्थी ने कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के सम्बंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया जिनकी समीक्षा दो श्रेणियों– भारत तथा विदेशों में किये गये शोध कार्य के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई–

2.6.1 भारत में किये गये शोध कार्य

श्रेबेको डी. लाह (1977) ने उदयपुर शहर के उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में भील बालिकाओं की शिक्षा पर शोध कार्य किया। शोध उद्देश्य में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भील बालिकाओं को प्राप्त सुविधाओं का पता लगाना और उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में भील बालिकओं के शिक्षा में बाधक तत्व का पता लगाना आदि सम्मिलित थे। शोध परिणाम में पाया गया कि छात्रों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, उनको वर्ष में एक बार एक जोड़ी कपड़ा, चप्पल, साबुन तेल आदि दिय जाते हैं। छात्रों की शिक्षा में कई बाधक तत्व हैं–सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक आदि।[1]

पटेल, टी. (1984) ने जनजाति महिलाओं में शिक्षा का विकास विषयक शोध कार्य किया। इसके शोध उद्देश्य जनजाति महिलाओं की शिक्षा के लिए गए प्रयासों की जांच करना, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता विस्तार नामांकन एवं

शैक्षिक उपलब्धि की तुलना हरियाणा राज्य के सामान्य वर्ग की महिलाओं से करना आदि थे। शोध परिणाम में पााया गया कि 19 वीं शताब्दी में गुजरात की ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा को कृषि, मजदूरी तथा सांस्कृतिक रीतियों ने प्रभावित किया हैं ग्रामीण महिला साक्षरता दर प्रति हजार पर 62 पायी गई।[2]

चतुर्वेदी, सुयश (1990) ने झाड़ोल पंचायत समिति के जनजाति व गैर जनजाति निवासियों की प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। इसके शोध उद्देश्य झाड़ोल पंचायत समिति के जनजाति निवासियों की प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता ज्ञात करना, झाड़ोल पंचायत समिति के गैर जनजाति निवासियों की प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता ज्ञात करना आदि थे। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि कई प्रौढ़ अतिरिक्त समय नहीं होने, झिझक व हीनभावना के कारण नहीं पढ़ पाए जबकि वे इसे सार्थक व उपयोगी मानते थे। अधिकांश महिलाओं ने भी इसे स्वीकारा है।[3]

Bharti (1991) ने आदिवासी उत्थान के लिए शिक्षा की भूमिका का अध्ययन किया। शोध परिणामों में पाया गया कि अध्ययन छोड़ने का एक कारण शिक्षकों की कमी है। प्राथमिक स्कूलो में प्रबन्ध कार्य अध्यापक कर रहे हैं। एक कक्षा में कई कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है। ऐसी हालत में शिक्षा का मानक अच्छा नहीं पाया गया। शिक्षकों की कमी, पानी की सुविधा, विद्यालय की दूरी, व्यवस्था बैठक आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव शिक्षा में पाया गया। उन्होंने अभिमत दिया कि बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जाए जिससे विद्यालय छोड़ने की समस्या को दूर किया जा सके।[4]

चौहान, यशपाल सिंह (1992) ने अनुसूचित जनजाति में निरक्षरता एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता का कारण: एक सर्वेक्षण विषयक शोध कार्य किया। इस शोध के

उद्देश्य में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शिक्षा में आने वाले आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवरोधों के प्रति उनके मत जानना, शिक्षा में आने वाले अवरोधों के प्रति अध्यापकों एवं अभिभावकों के अभिमतों को जानना, छात्रों अध्यापकों एवं अभिभावकों के अभिमतों की तुलना करना आदि थे। शोध परिणामों में पाया गया कि शैक्षिक भौतिक अवरोध के अन्तर्गत विद्यालय दूर स्थित होना अभिभावकों का अशिक्षित होना प्रादेशिक भाषा में शिक्षा न होना विद्यालय में पूर्ण सामग्री उपलब्ध न होना, मनोवैज्ञानिक शिक्षण अवरोधों में जनजाति छात्रों के शिक्षा के प्रति उचित उत्प्रेरणा एवं मार्गदर्शन नहीं होता है।[5]

नायर, उषा. (1992) ने पढ़ाई छोड़ने वाली व अनामांकित ग्रामीण हरियाणा राज्य की बालिकाओं का अध्ययन किया। शोध परिणामों में पाया गया कि पढ़ाई छोड़ने वाली व अनामांकित अधिकतर बालिकाओं का संबंध निम्न आय वर्ग के परिवारों से है। घरेलू कार्य व छोटे भाई बहिनों की देखभाल का भार होने को शोधार्थी ने प्रमुख कारण बताया है।[6]

पोखरना, राजमती (1992) ने विशिष्ट छात्रवृति प्राप्त एवं सामान्य जनजाति छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकांक्षा व स्वयं धारणा का अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन के उद्देश्य विशिष्ट छात्रवृति प्राप्त जनजाति छात्रों के स्वसम प्रत्यय का अध्ययन करना, विशिष्ट छात्रवृति प्राप्त जनजाति छात्रों के आकांक्षा स्तर का अध्ययन करना, सामान्य छात्रवृति प्राप्त जनजाति छात्रों के आकांक्षा स्तर का अध्ययन करना आदि थे। शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि विशिष्ट छात्रवृति प्राप्त छात्रों ने व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत बी.एस.टी.सी को प्रथम वरीयता दी जबकि सामान्य छात्रवृति प्राप्त जनजाति छात्रों ने बी.एड को महत्व दिया।[7]

सिंह, धर्मपाल (1992) ने कोटड़ा और झाड़ोल परिक्षेत्र में जनजाति विद्यार्थियों की शिक्षा में पर्यावरणीय अवरोध विषयक शोध अध्ययन किया। इस शोध के उद्देश्य उदयपुर जिले की जनजाति बहुल तहसील कोटड़ा में जनजाति विद्यार्थियों की शिक्षा से सम्बन्धित अवरोधों का अध्ययन करना, कोटड़ा एवं झाड़ोल तहसील में अध्ययनरत् जनजाति विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी पर्यावरणीय अवरोधों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कोटड़ा झाड़ोल परिक्षेत्र में जनजाति शिक्षा में उपस्थित होने वाले पर्यावरणीय अवरोधों को दूर करने हेतु सुझाव देना, जनजाति विद्यालयी बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना आदि थे। शोध परिणाम में पाया गया कि जनजाति क्षेत्रों में यातायात के साधनों का अभाव है जिससे विद्यालय समय से पहुंचने में कठिनाई होती है, जनजाति निवास पहाड़ी क्षेत्रों में है तथा माता–पिता का अशिक्षित हैं, परिवार का अधिक बड़ा होना तथा जाति के साथ समयोजन न होना व विद्यालयों में अपनत्व भाव न मिलना।[8]

चित्तौड़ा, शशि (1993) ने आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों की हीन भावना विषयक अध्ययन किया। शोध के उद्द्देश्य थे– आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर–किशोरियों को हीन भावना, अध्ययन आदत व शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना। आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर–किशोरियों को हीन भावना, अध्ययन आदत का तुलनात्मक अध्ययन, आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर–किशोरियों को हीन भावना, अध्ययन आदत का शैक्षणिक उपलब्धि से सहसंबंध निकालना। शोध परिणाम में आदिवासी छात्रों में गैर आदिवासी छात्रों की अपेक्षा हीनभावना अधिक पाई लेकिन आदिवासी छात्र–छात्राओं की हीन भावना में कोई सार्थक

अन्तर नहीं पाया गया। किशोर विद्यार्थियों की अध्ययन आदत अधिसूची पर प्राप्तांकों एवं उपलब्धि में निम्न धनात्मक सहसंबंध पाया गया।[9]

Singh and Ohri (1993) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि आधुनिकरण और शिक्षा के द्वारा आदिवासियों के बीच सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से बेहतर सुधार हुआ हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बालिकाओं की गैर नामांकन के कारणों की राज्यवार और जिलावार सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म स्तर पर नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरूवात के संचालन के लिए आदिवासी समूहों की पहचान करने, विभिन्न स्त्रोतो से उपलब्ध शिक्षा से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर बनाया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य हैं। ड्रॉप आउट स्कूल में आदिवासी लड़कियों के बीच अपव्यय और ठहराव की समस्याओं के अध्ययन और उनके व्यावसायिक गतिशीलता की जांच के लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में आदिवासी समुदायो में मास मीडिया की भूमिका भी आदिवासियों के शैक्षिक विकास में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।[10]

जैन, प्रमिला (1996) ने जनजाति विद्यार्थियों के मूल्यों पर शिक्षा का प्रभाव विषयक शोध अध्ययन किया। इसके शोध उद्देश्य जनजाति विद्यार्थियों में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना, जनजाति विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों का अध्ययन करना, जनजाति विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों के विभिन्न कारकों की स्थिति का अध्ययन करना, जनजाति के विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों के कारकों पर शिक्षा के प्रभाव का अर्न्तसम्बंध ज्ञात करना आदि था। शोध परिणाम में पाया गया कि जनजाति विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति निम्न प्रकार की है जबकि जनजाति के विद्यार्थियों के विभिन्न मूल्यों का आपस में धनात्मक कोटि का सहसम्बंध है।[11]

श्रीवास्तव, आर.एन (1997) ने अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ज्ञात करना, इन आवश्यकताओं की पूर्ति में समाज कल्याण विभाग की भागीदारी ज्ञात करना आदि था। शोध परिणाम में पाया गया कि जनजाति शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संतोषप्रद पोषण, मेडिकल व्यवस्था की अतिआवश्यकता है।[12]

श्रीवास्तव, कौशल के.; नौरियाल,डी.के.; श्रीवास्तव, तनुजा (1998) ने आदिवासियों का व्यावसायिक ढांचा और उनकी शैक्षिक स्थिति. प्रवर्तीय उत्तरप्रदेश भोटिया आदिवासियों का केस अध्ययन किया। शोध के परिणामों में मिडिल से उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा में भोटिया पुरूषों का औसत अनुपात 15.82 प्रतिशत पाया गया। इस श्रेणी में स्त्रियों का औसत अनुपात 3.33 प्रतिशत पाया गया। स्नातक श्रेणी में भोटिया पुरूषों का औसत अनुपात 1.41 प्रतिशत पाया गया। स्नातक की शिक्षा पानेवाली स्त्रियों का भाग बहुत कम पाया गया तथा औसत अनुपात 0.28 प्रतिशत पाया गया है।[13]

माली, दिनेश चन्द्र (2000) ने विद्यार्थियों की शिक्षा की समस्याएं एवं अभिभावकों की अभिवृति विषयक शोध कार्य किया। इसके शोध उद्देश्य विद्याार्थियों की शिक्षा की समस्याओं के कारणों का पता लगाना, विद्याार्थियों की शिक्षा समस्याओं से सम्बन्धित अभिभावकों की अभिवृति का पता लगाना एवं सुझाव देना आदि थे। शोध परिणाम में पाया गया कि शिक्षा प्राप्त करने में अनपढ़ माता–पिता के कारण 73.3 प्रतिशत, पारिवारिक सोच के कारण 83.3 प्रतिशत, घरेलु कार्यो के कारण 93.3

प्रतिशत, खेती एवं पशुपालन के कारण 96.6 प्रतिशत एवं विषय पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 73.3 प्रतिशत, समस्याएं सामने आई। शिक्षा के प्रति अभिभावकों की सकारात्मक अभिवृति पाई गई।[14]

आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर (2001) में उदयपुर के टी.एस.पी. क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की जागरूकता स्तर का पता लगाने के लिए शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसके लिए उदयपुर जिले के जनजाति उपयोजना क्षेत्र से कोटड़ा के 5 गांवों के 75 लोगों तथा माडा क्षेत्र के 75 लोगों का चयन किया गया। इसके आधार पर अग्रलिखित परिणाम प्राप्त हुए–प्रशासनिक अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में प्रभावी नहीं हैं। अधिकांश लोग केवल पटवारी के बारे में जानते हैं। कुछ लोगों को तहसीलदार कलेक्ट्रेट कार्यालय का ज्ञान है, परन्तु यहां की कार्यवाही से अनभिज्ञ हैं। विकास प्रशासन के अधिकारियों में से ये लोग केवल ग्रामसेवक के बारे में जानकारी रखते हैं।[15]

गुरनानी, मंजु (2003) ने वल्लभनगर तहसील की अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा से पलायन की स्थिति एवं कारणों का अध्ययन किया। इसके शोध उद्देश्य अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर का पता लगाना, अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा से पलायन की वर्तमान स्थिति का पता लगाना, अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा से पलायन के कारणों का पता लगाना आदि थे। शोध परिणाम में अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर निम्न पाई गई, वर्तमान में 46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति बालिकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा से पलायन किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति बालिकाओं से प्राथमिक शिक्षा से पलायन के कई कारणों का पता लगा है जिसमें प्रमुख है आर्थिक कारण माता–पिता की

निरक्षरता, जागरूकता की कमी, सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की असफलता आदि।[16]

Vinoba Gautam (2003) ने अध्ययन का केन्द्र प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जनशाला कार्यक्रम के माध्यम से भारत में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम पर ध्यान केन्द्रित किया। यह कार्यक्रम भारतीय नौ राज्यों में लागू किया गया। अध्ययन में पाया कि जनशाला कार्यक्रम क्षेत्रों में स्कूलो में जो आंकड़े प्राप्त हुए उनमें आदिवासी बच्चों की स्कूल छोड़ने की संख्या अधिक पाई। इसका कारण यह था कि ज्यादातर राज्यों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा आम समस्या थी। जिससे वह पाठ्य पुस्तकों को समझ नही पाते। आदिवासी बच्चो की शिक्षा के लिए गैर आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति जो कि स्कूल के बच्चों की भाषा नहीं समझ पाते और बच्चे शिक्षक की भाषा नही समझते है जो उनके लिए एक समस्या थी। भाषा के मुद्दे आदिवासी शिक्षा के संदर्भ में बहस की जा रही थी। कुछ शोधकर्ता स्कूलों में भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में एक समान नीति के पक्ष में हैं दूसरी और कुछ शोधकर्ता भाषा को शिक्षा प्रक्रिया में बाधा मानते हैं।[17]

मंगल, डॉ. रमेश चन्द्र (2005) ने आदिवासी कल्याण तथा उभरता मध्यम वर्ग विषयक शोध कार्य किया। इस शोध में इन्होंने परिणामस्वरूप पाया कि संवैधानिक विकास की इन प्रक्रियाओं में मीणा जनजाति के लिए दो बड़े प्रश्न उत्पन्न किये हैं– मीणाओं की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और एक समानान्तरण मध्यम वर्ग के उदय के कारण क्या मीणाओं को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से नहीं निकाल देना चाहिये? और दुसरा राजस्थान में आदिवासी केवल भेदभाव हैं, बल्कि साथ ही असमान

वितरण भी है, ये परिस्थितियां संविधान की मूल आत्मा से भिन्न, कहीं न कहीं विचार करना होगा।[18]

लखेड़ा, एस.के.; चौहान, वी.एस. (2007) ने भोटिया जनजाति की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षाएं विषयक शोध कार्य किया। इस शोधकार्य के उद्देश्य उत्तराखण्ड़ की भोटिया जनजाति के अभिभावकों का अपने बालक–बालिकाओं के वर्तमान पाठ्यक्रम, उसकी उपयोगिता, स्कूली विषयों का चयन तथा सरकारी सहायता की प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना आदि थे। शोध के परिणाम स्वरूप पाया गया की भोटिया जनजाति के अभिभावक वर्तमान में अपने परम्परागत व्यवसाय में रूचि रखते हैं। इस व्यवसाय में वे अपनी बालिकाओं के लिएं सर्वोच्च रूचि रखते हैं जबकि वे लड़को के विषयों की प्रधानता चाहते हैं। बालकों व बालिकाओं के व्यवसाय चयन में अभिभावकों के मतों में बड़ा भारी अन्तर पाया गया।[19]

चौहान, कुमार राकेश (2008) ने पश्चिमी मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में भीलाला जनजाति की सामाजिक–आर्थिक संरचना पर एक वैयक्तिक अध्ययन किया। इन्होने शोध निष्कर्ष में पाया कि जनजातियों के विभिन्न वर्गों में भीलाला वर्ग की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका पाई गई है। ये जनजाति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न संस्कृतियों का समावेश संजोए हुए हैं एकता और भाईचारे की मिशाल सामाजिक संगठनों के सामने प्रस्तुत करती हैं निश्चित रूप से भीलाला वर्ग की समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका पाई गई।[20]

मीणा, अशोक कुमार (2008) ने सहरिया जनजाति की शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं कठिनाइयाँ विषयक शोध अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य सहरिया जनजाति के विभिन्न वर्गों की शिक्षा के प्रति प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों

का पता लगाना था। शोधकर्ता ने निष्कर्ष में पाया कि शिक्षा के प्रति जनजाति लोगों में सकारात्मक अभिवृति होती है। जनजाति लोगो को शिक्षा प्राप्त करने में कई कारण बाधक हैं जैसे– आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होना, सामाजिक कुप्रथाएं, बालविवाह, अन्धविश्वास व्याप्त होता। विद्यालय घर से दूर स्थित होना इत्यादि।[21]

नैयर, सोभ्या. (2010) ने छत्तीसगढ़ के भुजियां एवं कमार जनजाति समुदाय के बालक बालिकाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। इन्होंने शोध निष्कर्ष में पाया कि कमार एवं भुजियां जनजाति के बालक–बालिकाये नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं साथ ही विद्यालय नियमित रूप सें पढाई व अन्य गतिविधियां भी कराई जाती है। इन समुदाय के बच्चों में यह पाया गया कि ये पढाई के साथ घर का भी काम करते हैं। सरकार द्वारा उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इनको पंचायत सुविधा प्राप्त होती हैं, इन समुदायों के बालक बालिकाएं सामाजिक नियमों से परिचित है एवं उनका पालन करते हैं। विवाह की उम्र 18व 21 वर्ष है, इस समाज के लोग हिन्दी,छत्तीसगढ़ी, कमार, भुजियां भाषा का प्रयोग करते हैं।[22]

निराला, कुमार संजय.; भगत, कु.अंजनी. (2010) ने छत्तीसगढ़ की भैना जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया। शोध अध्ययन के निष्कर्ष में इन्होंने पाया की भैना जनजाति में बालक बालिकाओं के विवाह 14 से 18 की उम्र में कर दिये जाते हैं, माता–पिता के अर्थोपार्जन के कार्य में संलग्नता के कारण परिवार में अन्य छोटे भाई–बहनों की देख–रेख की जिम्मेदारी का निर्वहन भी इन बालक बालिकाओं को करना पड़ता हैं। अशिक्षित सदस्य द्वारा पारिवारिक दायित्वों में संलग्नता एवं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भी भैना जनजाति के युवा सदस्यों में अपनी भावी पीढ़ी ने शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया।[23]

व्यास, डॉ. आशुतोष (2010) ने राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शिक्षा की स्थिति विषयक शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि दो दशकों में राजस्थान में शिक्षा व साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शिक्षा व साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी में घोषित किया गया है। यद्यपि सर्वशिक्षा अभियान तथा मिड–डे मील योजना के कारण जनजाति छात्राओं की संख्या में वृद्वि हुई है। क्योकि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन और ठहराव को अधिक महत्व दिया गया है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता गौण है। प्राथमिक शिक्षा में ऐसे मूल्यों को महत्त्व दिया गया है जो समाज निर्माण में आवश्यक है। ग्रामीण व जनजातीय महिलाओं के लिए इसकी आवश्यकता और अधिक महत्त्वपूर्ण है।[24]

यदुलाल, कुसुम (2010) ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्कूली छात्राओं की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं पर शोध कार्य किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्राओं की शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं की प्रकृति एवं स्वरूप का पता लगाना था। इन्होंने अपने अध्ययन में परिणाम स्वरूप पाया कि माध्यमिक स्तर की अपेक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राये भावात्मक रूप से अधिक समायोजित हैं साथ ही उच्च शिक्षित एवं अल्पशिक्षित अभिभावको की छात्राओं, बच्चों में तुलनात्मक रूप में भिन्नता पाई गई हैं। अल्पशिक्षित और उच्च शिक्षित छात्राओं के शैक्षिक सामंजस्य में अन्तर है। शोध निष्कर्ष में पाया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की अधिकांश छात्राओं के माता–पिता और

अभिभावक निरक्षर अथवा अशिक्षित हैं वे परंपरागत रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं व बालिका शिक्षा के पक्ष में नहीं होते हैं।[25]

भारद्वाज, गीतिका (2011) ने आदिवासी बालिकाओं में स्वास्थ्य विषयक जागरूकता का अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण व शहरी आदिवासी बालिकाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। इन्होंने ग्रामीण व शहरी 100 आदिवासी बालिकाओं का चयन किया। निष्कर्ष में पाया कि आदिवासी बालिकाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ग्रामीण आदिवासी बालिकाओं की तुलना में अधिक थी, परन्तु ये अन्तर कम पाया गया।[26]

प्रगति, कोल; साईश्वरी (2011) ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के शैक्षणिक विकास पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मेट्रिकोत्तर छात्रवासों का प्रभाव विषयक शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रावासों में रह रहे छात्रों के शैक्षणिक विकास एवं शासन द्वारा दी गई सुविधाओं एवं व्यवस्था का अध्ययन करना था। इन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए छात्रावास खोले गये हैं। इन छात्रावासों में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है जिसका प्रभाव छात्रो के शैक्षणिक विकास पर पड़ रहा हैं। छात्रावासों में रह रहे छात्रों के शैक्षणिक विकास में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।[27]

पारगी, लोकेश (2013) ने जनजातीय विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका विषयक शोध अध्ययन किया और पाया कि जनजातीय विकास के पंचशील सिद्धांन्त विकास के स्थायी एवं मार्गदर्शी सिद्धांन्त है और आज ही जनजातीय विकास योजनाओं को लागू करने में एवं लोगों तक पहुँचाने में गैर–सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण

भूमिका रही है। ये संगठन सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति एवं अधिकारो के प्रति निःस्वार्थ भाव से सामाजिक भावना से कार्य करते हैं इसलिए जनजातिय विकास में गैर–सरकारी संगठनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।[28]

राजपूत, उदयसिंह (2013) ने मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास: प्रयास, बाधाएँ एवं सुझाव विषयक शोध अध्ययन किया। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया की आदिवासी विकास का अर्थ ऊपर से योजना बना कर लागू करना नहीं है वरन आदिवासियों को स्वयं अपने विकास के लिए योजना बनाने योग्य बनाना होगा। आदिवासी विकास की सम्पूर्ण धारणाओं में बदलाव लाना बहुत जरूरी हैं। गरीबी, बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ लोकतांत्रिक समाज की मूल धारणा को लोगों के बीच पहुँचाना परम आवश्यक है।[29]

यादव, शरद कुमार (2013) ने भारत में जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा और विकास की नीतियां विषयक शोध अध्ययन किया। इस शोध अध्ययन के परिणामस्वरूप इन्होंने पाया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में है, आदिवासी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की जरूरत है, शिक्षक आदिवासी भाषा को ठीक से नही समझने के कारण उनके बीच सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाते हैं। आदिवासियों की शिक्षा का स्वरूप उनके समाज की पृष्ठभूमि पर केन्द्रित हो। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शिक्षा के प्रति रूझान तभी बढ सकता है जब शिक्षा का स्वरूप जनजाति समाज की पृष्ठभूमि को केन्द्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण हो। साथ ही इन क्षेत्रों में वंचित बच्चों के लिखने पढने और सिखने

का आनन्दप्रद अनुभव बनाया जाये, दूर–दराज के जनजातियं क्षेत्रों के स्कूलों में दूरदर्शन फिल्मों आदि के जरिये दूरस्थ शिक्षा पद्वति की सहायता भी करने की जरूरत है।[30]

अहारी, रमेश चन्द्र (2014) ने जनजातीय महिला स्वास्थ्य के सांस्कृतिक आयाम विषयक शोध कार्य किया। इस शोध निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि जनजातीय महिलाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की आदतों का परम्परागत होना अधिक प्रतिशत में है, शौचालय प्रयोग एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोने के व्यवहार अपेक्षाकृत कम है, अस्वच्छ से ज्यादा जादू–टोने को बिमारी का कारण मानना यह स्पष्ट करता है कि स्वच्छता रखने से बेहतर स्वास्थ्य की प्रर्याप्त जानकारी दृष्टिकोण एवं व्यवहार परिवर्तन की आवश्कता है।[31]

भारद्वाज, मधुकुमार (2014) ने सहरिया जनजाति तथा विस्थापित बांग्लादेशी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पर शोध कार्य किया इस शोध कार्य का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के सहरिया जनजाति व विस्थापित बांग्लादेशी छात्र–छात्राओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। इस अध्ययन में राजस्थान के हाड़ौती के बाराँ जिले की किशनगंज एवं शाहबाज तहसील के 600 विद्यार्थियों का चयन किया। इस शोध के निष्कर्ष में पाया कि सहरिया जनजाति व बंगाली छात्र–छात्राओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पडता है।[32]

धाभाई, सीमा (2014) ने आदिवासी आवासीय विद्यालयों के शिक्षा के स्तर का विवेचन किया। इन्होंने इस शोध अध्ययन में पाया कि उदयपुर जिले के आदिवासी विद्यालय के तीनों शाखा (कोटड़ा, खेरवाड़ा, सलुम्बर) में छात्र–छात्राओं को उनके

शिक्षा के स्तर के निर्धारित कारकों में से तहसील एवं जिला मुख्यालय की दूरी, परिवहन साधनों की उपलब्धता, अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित आदिवासी की संख्या के निर्भर चर का आवासीय विद्यालयों की छात्रों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पाया गया है। आदिवासी विद्यालयों की छात्रों की संख्या एवं शिक्षा के स्तर पर जनसंख्या एवं जाति वर्ग, चिकित्सा सुविधाओं, अध्ययन क्षेत्र में संचालित शैक्षणिक गतिविधियां, अध्ययन क्षेत्र का स्टाफ, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं जो कि मुख्य रूप से विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है।[33]

जैन, अनिलकुमार; सिंह, रजनीरंजन (2014) ने सीमान्त वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भूमिका का मूल्यांकन किया। इस अध्ययन के उद्देश्य के.जी.बी.वी. ब्लॉक बडागांव डायट बरुआसागर, झांसी में अध्ययनरत बालिकाओं के नामांकन ठराव की स्थिति, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिंया का अध्ययन करना एव बालिकाओं के शैक्षिक और आन्तरिक–बाह्य विकास का अध्ययन करना था। शोध निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक व गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली सीमांत वर्ग की लड़कियाँ जो हाशिये पर धकेल दी गयी थी। विद्यालय में इनके मानसिक विकास के साथ साथ उनके आन्तरिक बाहरी विकास पर भी बल दिया जा रहा है जिससे उनके शैक्षिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है तथा बालिका साक्षरता का स्तर बढ़ा है।[34]

मीणा, मनीराम (2014) ने राजस्थान के जनजातीय समाज में ऋणग्रस्ता के कारणों का अध्ययन किया। इन्होंने शोध के निष्कर्ष में पाया कि राजस्थान की जनजातीय समाज अज्ञानता, अन्धविश्वासी, होने के कारण आज भी सभ्यता से दूर हैं। जनजातीय समाज सामाजिक कुरीतियों जैसे मृत्यु, दहेज, त्यौहार और मेले पर आय से

ज्यादा खर्च कर देता हैं शराब भी पीते हैं तथा कृषि के लिए भी कर्ज लेते हैं जो एक बार लिया गया कर्ज चूकता नहीं और वह ऋणी ही होता चला जाता है। ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। अपनी आय का सही उपयोग नही करने के कारण जनजातीय समाज ऋण में ही डूबा रहता है।[35]

बानोथु, डॉ. बोंद्यालु (2015) ने आदिवासी समाज और आधुनिक शिक्षा: हिड़िम्ब के सन्दर्भ में विषयक शोध अध्ययन किया। इस शोध निष्कर्ष में पाया गया कि आदिवासियों के सम्पूर्ण विकास के लिए, संविधान में कई तरह के प्रावधान दिए गये हैं। सरकार आदिवासियों के लिए एक रूपया देती हैं तो, उसमें नब्बे प्रतिशत, बीच के दलाल खा जाते हैं। आदिवासियों के पास मात्र दस प्रतिशत पहुँचता है, ऐसे में आदिवासियों का विकास कहाँ से होगा। आदिवासी युवक तमाम संघषों के बावजूद, उच्च शिक्षा, पीएच.डी. कर लेते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। आदिवासियों के स्थान पर गैर आदिवासियों को भर्ती किया गया है। अगर इसी प्रकार आदिवासियों का शोषण होता रहा तो आदिवासियों का विकास कैसे सम्भव हैं। आदिवासियों को हर अन्याय के विरोध में संघर्ष करना होगा।[36]

2.6.2 विदेशों में किये गये शोध कार्य

Durie, M. (2005) ने अपने लेख में न्यूजीलैण्ड के माओरी जनजाति के अनुभवों संदर्भ में स्वदेशी उच्च शिक्षा के बारे में किये अपने शोध कार्य का सारांश प्रस्तुत किया है। इस पत्र में माओरी जनजाति की उच्च शिक्षा हेतु चार सिद्धांतों– स्वदेशीयता, अकादमिक सफलता, भागीदारी एवं भविष्योन्मुखता के बारे में चर्चा की गई है। लेख में माओरी जनजाति के लिए अनेक शैक्षिक अवसरों, यथा– राष्ट्रीय नीतियों, शैक्षिक नीतियों, कैम्पस नवाचारों एवं स्वदेशीय नेतृत्व के बारे में भी बताया गया है।[37]

Sorkness, H.L. & Gibson, L.K. (2006) ने मूल अमरीकी निवासियों को समर्पित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में अमरीका के मूल निवासियों 'रेड इंडियंस' के विद्यार्थियों को व्यस्त रखने हेतु प्रभावी शिक्षण–व्यूहरचनाओं पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस पत्र में 'रेड इंडियंस' विद्यार्थियों में बढ़ती ड्रॉपआउट समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। यह शोध कार्य सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया जिसमें प्रभावी शिक्षण–व्यूहरचनाओं के संदर्भ में कई प्रश्न पूछे गये। शोध परिणामों में पाया गया कि 'रेड इंडियंस' की निम्न शैक्षिक उपलब्धि का प्रधान कारण उनकी सांस्कृतिक भिन्नता है। इन विद्यार्थियों हेतु विशिष्ट शिक्षण–व्यूहरचनाओं की ओर इंगित करते हुए शोधकर्ताओं ने शिक्षक की भूमिका एक अधिगमकर्ता के तौर पर विकसित किये जाने पर बल दिया।[38]

Macfarlane, A. et al. (2007) का शोध पत्र न्यूजीलैण्ड के आदिवासी समुदाय 'माओरी' जनजाति की शैक्षिक स्थिति पर किये गये चार शोध कार्यों पर आधारित है। इस शोध पत्र में माओरी, जो कि न्यूजीलैण्ड के मूल निवासी हैं, के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से सुरक्षित विद्यालयों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए माओरी समुदाय के लिये एक ऐसी शैक्षिक रूपरेखा के बारे में कल्पना की गई है, जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की साझेदारी के माध्यम से शिक्षण–व्यूहरचना का निर्माण किया जाये। इस कार्य के लिए दो विभिन्न मानवजातीय वैयक्तिक अध्ययनों से आँकड़े एकत्रित कर उनका अध्ययन किंया गया। इस प्रकार साक्ष्यो पर आधारित यह शोध पत्र माओरी जनजाति के विद्यार्थियों हेतु सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित विद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा करता है।[39]

Aslam, M. (2007) ने पाकिस्तान के आदिवासी जिलों में लिंग के आधार पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन किया। इस शोध के

निष्कर्ष में पाया कि देश के आदिवासी जिलों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की अपेक्षा लड़को की संख्या अधिक है। विभिन्न अध्ययनों से लैंगिक असमानता का पता चला और पाया कि शिक्षा में लड़कियों की संख्या में कमी का कारण ग्रामीण एवं आदिवासी माता–पिता में शिक्षा का अभाव पाया गया।[40]

Price, M. et al. (2007) ने अमरीका के मूल निवासियों 'रेड इंडियंस' के सीखने के तरीकों एवं कक्षा–कक्ष अभ्यास के निहितार्थों पर लेख लिखा। इस लेख में अमरीका के 'रेड इंडियंस' विद्यार्थियों एवं अन्य श्वेत विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि में अन्तर की ओर इंगित किया गया है। इसमें बताया गया है कि 'रेड इंडियंस' विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि श्वेत समुदाय के विद्यार्थियों की तुलना में काफी कम है। साथ ही विद्यालयी शिक्षा बीच में ही छोड़ देने की दर भी इन विद्यार्थियों में श्वेत विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पाई गई, जो कि एक चिंतनीय विषय है। इस लेख में मूल अमरीकी 'रेड इंडियंस' विद्यार्थियों के सीखने के उन तरीकों का भी उल्लेख किया गया है, जो उन्हें अन्य समुदायों के समकक्ष लाने में मदद कर सकता है, यथा– विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, क्रमबद्ध अध्ययन एवं तथ्यपरकता इत्यादि।[41]

Ayub Buzdar, Muhammad; Ali, Akhtar (2011) ने बालिका शिक्षा के प्रति पाकिस्तान के डेरा गाज़ी खान जिले के आदिवासी क्षेत्रों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया। इस शोध कार्य का उद्देश्य आदिवासी माता–पिता का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारको का अध्ययन करना था। शोध कार्य के निष्कर्ष में इन्होने पाया कि अधिकांश माता पिता बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ बालिका शिक्षा को प्रभावित करती हैं। बालिका शिक्षा में कमी का कारण बुनियादी सुविधाओं का अभाव

पाया गया। उन्होंने सिफारिश की कि नऐ स्कूल खोले जाएँ और इन समस्याओं को दूर करने से पहले स्कूल भवन बुनियादी ढ़ाचे का समर्थन, शिक्षकों की कमी दूर की जाए और गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाए।[42]

2.7 सम्बंधित साहित्य समीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

शोधकर्त्री ने प्रस्तुत शोध में लिऐ गये जनजाति बालिकाओं की वर्तमान स्थिति व समस्याएं एवं भविष्य में अवसरों का अध्ययन पर देश तथा विदेशों में हुऐ पूर्व शोधकार्यो का अध्ययन किया। उपरोक्त संबन्धित साहित्य के अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्राओं की संख्या में वुद्धि हुई, क्योकि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन और ठहराव भी कम है। इसलिये प्राथमिक शिक्षा में ऐसे मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया हैं। जो समाज–निर्माण के लिये आवश्यक है।
- जनजातीय महिलाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की आदतों का परम्परागत होना अधिक प्रतिशत में हैं। शौचालय प्रयोग एव शौच के बाद साबुन से हाथ धोने का व्यवहार अपेक्षाकृत कम है।
- कम्प्यूटर आधारित कार्यात्मक साक्षरता शिविरों में कम्प्यूटर द्वारा पढ़ना, लिखना, प्रवेशिका द्वारा पढ़ाना व मनोरंजन गतिविधियां कराई गई तथा कम्प्यूटर द्वारा भाषा ज्ञान, अंकगणित और शासकीय योजनाओं से जुड़ी जानकारियां, व्यावसायिक कौशल तथा स्वास्थ्य एवम् स्वच्छता पर जानकारियां प्रदान करने मे शिविर प्रभावी रहे, शिविरों में महिलाओं की सहभागिता उत्साहवर्द्धक रही।

- भुंजिया जनजाति के बालक–बालिकायें नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं। साथ ही विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई व अन्य गतिविधियां भी कराई जाती हैं।
- विशेष अधिकार देने के बावजूद भी इनके द्वारा अवसरों का पूरी तरह उपयोग नही किया गया हैं क्यों कि कभी कभी तनाव और संघर्ष द्वारा समस्या पाई गई जो कि उनकी ही जाति के लोगों द्वारा इनका विरोध किया गया।
- आधुनिकरण और शिक्षा के द्वारा आदिवासियों के बीच सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से बेहतर सुधार हुआ है। बालिकाओं की गैर नामांकन के कारणों की राज्यवार और जिलावार सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म स्तर पर नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत के संचालन के लिए आदिवासी समूहों की पहचान करने, विभिन्न स्त्रोतो से उपलब्ध शिक्षा से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर बनाया जा सकता है।
- जनशाला कार्यक्रम क्षेत्रों में स्कूलो में जो आंकड़े प्राप्त हुए उनमें आदिवासी बच्चों की स्कूल छोडने की संख्या अधिक पाई। इसका कारण यह था कि ज्यादातर राज्यों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा आम समस्या थी। जिससे वह पाठ्य पुस्तकों को समझ नहीं पाते।
- आदिवासी के लिए विभिन्न प्रावधानों और नीतियों के बावजूद भी अभी भी आदिवासी महिलाओं को कठोर, वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। महिलाएं कई मामलो में पिछ़ड रही हैं उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पडता है।
- शिक्षा छोड़ने का मुख्य कारण आदिवासियों का अलगाव है। आदिवासी लोग गांव में अन्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान देते हैं और शिक्षा के महत्त्व को अनदेखा कर रहे हैं।

- अध्ययन छोड़ने का एक कारण शिक्षकों की कमी पाई गई। प्राथमिक स्कूलों में प्रबन्ध कार्य अध्यापक कर रहे हैं। एक कक्षा में कई कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है ऐसी हालत में शिक्षा का मानक अच्छा नहीं पाया गया। शिक्षको की कमी, पानी की सुविधा, विद्यालय की दूरी, व्यवस्था बैठक आदि बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षा क्षेत्र में पाई गई।

पूर्व में हुए शोधकार्यो के अध्ययन के पश्चात यह तथ्य उभरकर सामने आये हैं, कि जनजाति बालिकाओं एवं समस्याओं पर पर्याप्त शोध हो चुके है लेकिन वास्तव में जनजाति बालिकाओं की उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थिति व समस्याएँ और भावी सम्भावनाओं ऐसे विषय पर किसी भी शोधकर्ता ने अपने शोध में एक साथ अध्ययन नही किया है। अतः यह जानने हेतु इस पर विभिन्न शोध साहित्य को पढ़ने के पश्चात शोधकर्त्री के मस्तिष्क में निम्न प्रश्न उभर कर सामने आये–

(i) क्या जनजाति बालिकाओं की समस्या का प्रभाव उनकी शिक्षा में वर्तमान स्थिति पर पड़ता है?

(ii) ग्रामीण व शहरी जनजाति बालिकाओं की समस्या का स्तर क्या हैं?

(iii) ग्रामीण व शहरी जनजाति बालिकाओं की उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थिति का स्तर क्या हैं?

(iv) ग्रामीण व शहरी जनजाति बालिकाओं की समस्या में क्या अन्तर हैं?

(v) क्या ग्रामीण व शहरी जनजाति बालिकाओं की समस्या व उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थिति में अन्तर हैं?

अतः उपरोक्त शोध प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा ने शोधकर्ती के मस्तिष्क में प्रस्तुत शोध समस्या पर कार्य करने का विचार आया।

2.8 उपसंहार

उपरोक्त सम्पूर्ण साहित्य के अवलोकन के पश्चात यह तथ्य उभर कर सामने आये हैं कि जनजाति बालिकाओं की उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ व भावी सम्भावनाओं से सम्बन्धित कोई अध्ययन देखने को नही मिला है।

प्रस्तुत अध्ययन के सम्बन्ध में विदेशो में अति अल्प शोध कार्य हुआ है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय पर वाछनीय शोध कार्य का सर्वथा अभाव है। जो भी थोड़ा बहुत शोधकार्य हुआ है वह जनजातियों की बाधाएँ, संवेगात्मक, आंकाक्षा स्तर, शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति इत्यादी पर हुआ है।

समस्या से सम्बंधित विभिन्न साहित्य पर तत्परतापूर्वक अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि विभिन्न शोधकर्त्ताओं ने बालिका शिक्षा पर अनुसंधान कार्य किया है परन्तु जनजाति बालिकाओ की उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ, भावी सम्भावनाओं का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ हैं परन्तु किसी ने भी अपने अध्ययन में जनजाति बालिकाओं की उच्च शिक्षा में स्थिति, समस्याएं, भावी सम्भावनाओं पर एक साथ नहीं लिया। अतः शोधकर्त्री ने जनजाति बालिकाओं की उच्च शिक्षा में वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ व भावी सम्भावनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

सन्दर्भ

1. श्रेबेको, डी. लाह (1977). "उदयपुर शहर के उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में भील बालिकाओं की शिक्षा" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर
2. पटेल, टी. (1984). "जनजाति महिलाओं में शिक्षा का विकास" समाजशास्त्र विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय
3. चतुर्वेदी, सुयश (1990). "झाड़ोल पंचायत समिति के जनजाति व गैर जनजाति निवासियों की प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

4. Bharti (1991): *International Journal of Scientific and Research Publications,* 4(1), January 2014.
5. चौहान, यशपाल सिंह (1992). "अनुसूचित जनजाति में निरक्षरता एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता का कारण: एक सर्वेक्षण", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर
6. नायर, उषा (1992): "पढ़ाई छोड़ने वाली व अनामंकित ग्रामीण हरियाणा राज्य की बालिकाओं का अध्ययन." राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली–16
7. पोखरना, राजमती (1992). "विशिष्ट छात्रवृति प्राप्त एवं सामान्य जनजाति छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकांक्षा व स्वयं धारणा का अध्ययन" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर
8. सिंह, धर्मपाल (1992). "कोटड़ा और झाड़ोल परिक्षेत्र में जनजाति विद्यार्थियों की शिक्षा में पर्यावरणीय अवरोध" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर
9. चित्तौड़ा, शशि (1993): "आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों की हीन भावना, अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर
10. Singh and Ohri (1993). Status of Tribal Women in India, *Social Change*, 23(4), 21-26, December 1993.
11. जैन, प्रमिला (1996). "जनजाति विद्यार्थियों के मूल्यों पर शिक्षा का प्रभाव", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

12. श्रीवास्तव, आर.एन (1997). "अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं का अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

13. श्रीवास्तव, कौशल के.; नौरियाल, डी.के.; श्रीवास्तव, तनुजा (1998). आदिवासियों का व्यावसायिक ढांचा और उनकी शैक्षिक स्थिति. प्रवर्तीय उत्तरप्रदेश भोटिया आदिवासियों का केस अध्ययन. *परिपेक्ष्य*, अंक 1–2, अप्रैल–अगस्त 1998

14. माली, दिनेश चन्द्र (2000). "विद्यार्थियों की शिक्षा की समस्याएं एवं अभिभावकों की अभिवृति" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

15. आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर (2001): "उदयपुर टी.एस.पी. क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की जागरूकता स्तर का अध्ययन", टी.आर.आई, उदयपुर

16. गुरनानी, मंजु (2003). "वल्लभनगर तहसील की अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा से पलायन की स्थिति एवं कारण", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

17. Vinoba Gautam (2003). *"Education of tribal children in India and the issue of Medium of Instruction: A Janshala experience Coordinator",* UN/Government Janshala Programme, New Delhi.

18. मंगल, डॉ. रमेश चन्द्र (2005). *आदिवासी कल्याण तथा उभरता मध्यम वर्ग*, Journal of social research , 1(1), January 2005

19. लखेड़ा, एस.के.; चौहान, वी.एस. (2007). भोटिया जनजाति की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षाएं, *वन्यजाति क्रावटरलि जनरल*, वर्ष 55, 14(2), अप्रैल 2007

20. चौहान, कुमार राकेश (2008). *भीलाला जनजाति की सामाजिक–आर्थिक संरचना –एक वैयक्तिक अध्ययन*, वन्यजाति क्रावटरलि जनरल, वर्ष 58, 16(2)

21. मीणा, अशोक कुमार (2008). "सहरिया जनजाति की शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं कठिनाइयाँ" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

22. नैयर, सोभ्या (2010). छत्तीसगढ़ के भुजियां एवं कमार जनजाति समुदाय के बालक बालिकाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन, *परिप्रेक्ष्य*, अंक–1, अप्रैल 2010

23. निराला, कुमार संजय; भगत, कु.अंजनी (2010). छत्तीसगढ़ की भैना जनजाति में शैक्षणिक स्थिति, *Vanyajati Quarterly Journal in English and Hindi*, Oct 2010

24. व्यास, डॉ. आशुतोष (2010). राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शिक्षा की स्थिति, *वन्यजाति क्रावटरलि जनरल* , वर्ष 58, 8(3), जुलाई 2010

25. यदुलाल, कुसुम (2010). अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्कूली छात्राओं की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याएं, *परिप्रेक्ष्य* , अंक–2, अगस्त 2010

26. भारद्वाज, गीतिका (2011). आदिवासी बालिकाओं में स्वास्थ्य विषयक जागरूकता का अध्ययन, *नई शिक्षा* , वर्ष 60, अंक–6, जनवरी 2011

27.प्रगति, कोल; साईश्वरी (2011). अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के शैक्षणिक विकास पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मेट्रिकोत्तर छात्रवासों का प्रभाव, *Vanyajati Quarterly Journal In English And Hindi*, 14(3), July 2011

28.पारगी, लोकेश(2013). जनजातीय विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका, *Vanyajati Quarterly Journal in English and Hindi*, 9(2), April, 2013

29.राजपूत, उदयसिंह(2013). मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास: प्रयास, बाधाएँ एवं सुझाव, *Vanyajati Quarterly Journal in English and Hindi,* अंक–2

30.यादव, शरद कुमार (2013). भारत में जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा और विकास की नीतियां, *परिप्रेक्ष्य* , वर्ष 20, अंक–2, अगस्त 2013

31. अहारी, रमेश चन्द्र (2014). जनजातीय महिला स्वास्थ्य के सांस्कृतिक आयाम *सामजिक शोध प्रत्रिका* , 10(1-2), जनवरी–अप्रैल 2014

32.भारद्वाज, मधुकुमार (2014). सहरिया जनजाति तथा विस्थापित बांग्लादेशी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन, *नई शिक्षा* , वर्ष–13, अंक–12, जुलाई 2014

33. धाभाई, सीमा (2014). आदिवासी आवासीय विद्यालयों के शिक्षा के स्तर का विवेचन, *International journal of social research,* 10(2), (January & April 2014)

34. जैन, अनिल कुमार; सिंह, रजनी रंजन (2014). सीमान्त वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भूमिका का मूल्यांकन, *परिप्रेक्ष्य* , अंक–2, अगस्त 2014

35. मीणा, मनीराम (2014). राजस्थान के जनजातीय समाज में ऋणग्रस्ता के कारण, *International journal of social research* , 10(2), (January & April 2014

36. बानोथु, डॉ. बोंद्यालु (2015). आदिवासी समाज और आधुनिक शिक्षा: हिड़िम्ब के सन्दर्भ में, *वन्यजाति क्रावटरलि जनरल* , वर्ष 63, Vol.-L.XIII, अंक–2

37. Durie, M. (2005). Indigenous Higher Education: Māori Experience in New Zealand. [Online]. *Australian Indigenous Higher Education Advisory Council,* November 1, 2005. Retrieved from http://www.massey.ac.nz/massey/fms/Te%20Mata%20O%20Te%20Tau/Publications%20%20Mason/ Indigenous%20Higher%20Education%20M&_257ori%20Experience%20in%20New%20Zealand.pdf [Accessed: October 22, 2017]

38. Sorkness, H.L. & Gibson, L.K. (2006). "Effective Teaching Strategies for Engaging Native American Students." Presented at National Association of Native American Studies Conference Baton Rouge, Louisiana, February 2006. Retrieved from

http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/oieresearch/conference/sorkness_200602.pdf [Accessed: September 12, 2017]

39. Macfarlane, A., Glynn, T., Bateman, S. (2007). Creating Culturally-Safe Schools for Ma-Ori Students. [Online]. *The Australian Journal of Indigenous Education,* 36. Retrieved from http://www.educationalleaders.govt.nz/content/download/597/5122/creatingculturally-safe-schools.pdf [Accessed: November 18, 2017]

40. Aslam, M. (2007). *"Rates of return to education by gender in Pakistan"*. RECOUP working paper number 01. Retrieved May 23, 2016.

41. Price, M., Kallam, M., Love, J. (2007). *The Learning Styles of Native American Students and Implications for Classroom Practice.* [Online]. *Southeastern Oklahoma State University.* Retrieved from http://www.se.edu/nas/files/2013/03/NAS-2009-Proceedings-M-Price.pdf [Accessed: August 19, 2017]

42. Ayub Buzdar, Muhammad; Ali, Akhtar. (2011). Uks *"Parents' Attitude toward Daughters' Education in Tribal Area of Dera Ghazi Khan (Pakistan)"* Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry; Vol.2, No.1, Jan 2016.

तृतीय परिच्छेद
शोध विधि, प्रविधि, उपकरण एवं न्यादर्श

3.1 प्रस्तावना

समस्या के चयन, उद्देश्य, परिकल्पनाओं एवं परिसीमाएँ निश्चित करने के पश्चात् शोध कार्य की अन्तिम परिणति हेतु शोध प्रणालियों, प्रविधियों एवं उपयुक्त साँख्यिकीय विधियों के चुनाव की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार का अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। अनुसंधान की रूपरेखा एक क्रमबद्ध एवं पूर्ण नियोजित योजना होती है, जो कि अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त सम्पूर्ण विधाओं की विधि कार्यों की प्रक्रियाओं को स्पष्ट एवं सरल रूप से प्रस्तुत करती है तथा निर्धारित अनुसंधान प्रक्रिया को निश्चित दिशा में गतिशील होने में सहायता तथा निर्देशन प्रदान करती है। प्रस्तुत परिच्छेद में निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत शोध कार्य की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को समाहित करने का प्रयास किया गया है–

(i) शोध विधि

(ii) सांख्यिकीय प्रविधियाँ

(iii) शोध उपकरण

(iv) न्यादर्श

3.2 शोध विधि

शोध विधि का निश्चय, शोध अध्ययन के उद्देश्य, प्रकृति तथा संसाधनों पर निर्भर करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वर्तमान अध्ययन हेतु शोध की सर्वेक्षण (सर्वे) अनुसंधान विधि का चुनाव किया गया है। शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का

प्रयोग किसी विद्यमान परिघटना के विस्तृत अध्ययन के लिए आँकड़े एकत्र करने लिए किया जाता है ताकि चालू स्थितियों व पद्धतियों के औचित्य स्थापित करने में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जा सके या उन्हें सुधारने के लिये अधिक अभिज्ञ योजना बनाई जा सके। केवल किसी संस्था, वर्ग, या क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण, व्याख्या और प्रतिवेदन ही उनका उद्देश्य नहीं होता जिससे निकट भविष्य में अभ्यास का निर्देशन हो, बल्कि स्थापित मानकों से तुलना कर पद स्थिति की पर्याप्तता ज्ञात करना भी होता है। कुछ सर्वेक्षणों में तीन प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करने का कार्य होता है; जो इस प्रकार हैं –

(1) विद्यमान पदस्थिति से संबधित आंकड़े

(2) विद्यमान स्थिति की स्थापित स्थिति व मानकों से तुलना

(3) विद्यमान स्थिति के सुधार के साधन

जबकि कुछ इनमें से एक या दो प्रकार की ही सूचनाएँ एकत्र करते हैं। सर्वेक्षण विधि के द्वारा किये जाने वाले शोधों के अधीन समस्या की प्रकृति व उद्देश्य पर निर्भरता के भिन्न–भिन्न स्वरूप हो सकते हैं। वह विस्तृत या संकीर्ण हो सकते हैं। कुछ शोधों मे सर्वेक्षण विधि के द्वारा अनेक देश, राज्य या क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है तो कुछ में केवल एक देश, राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील, शहर, स्कूल, पद्धति या कोई अन्य इकाई हो सकती है। सर्वेक्षण विधि के द्वारा किये जाने वाले शोधों में आँकड़े समष्टि की प्रत्येक इकाई से एकत्र किये जा सकते हैं या निरूपित प्रतिदर्श से। प्राप्त सूचना बड़ी संख्या में संबंधित घटकों के विषय में हो सकती हैं या केवल चयनित मदों तक सीमित हो सकती है।

सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण एक समस्या से सम्बन्धित आँकड़ों के संकलन का महत्वपूर्ण साधन व उपकरण है। शैक्षिक क्षेत्र में सर्वेक्षण विवरणात्मक

अनुसंधान का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग रहा है परन्तु आजकल अधिकतर सर्वेक्षण अनुसंधान के अन्तर्गत न करके, अलग करना ही अधिक तर्क–संगत जान पड़ता है क्योंकि विवरणात्मक अनुसंधान का स्वरूप अत्यधिक विषम, व्यापक व विस्तृत है। वैज्ञानिक कठोरता के इस युग में अब स्थिति–सर्वेक्षण व अन्य साधारण सर्वेक्षण को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अब सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन में प्रतिचयन प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रक्रिया के अन्तर्गत अध्ययन के लिए सम्भाव्यता सिद्धान्त के आधार पर केवल एक समष्टि के प्रतिदर्श द्वारा ही एक सामाजिक अथवा शैक्षिक क्षेत्र से सम्बन्धित एक समस्या अथवा स्थिति के विषय में ऐसे आंकड़ें संकलित किये जा सकते हैं जो कि सम्बन्धित समष्टि के स्वरूप को लगभग पूर्ण रूपेण प्रतिबिम्बित करते हैं। ऐसे वैज्ञानिक प्रतिचयन पर आधारित सर्वेक्षण को प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहते हैं तथा ऐसे वैज्ञानिक प्रतिदर्श–सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययनों को सर्वेक्षण अनुसंधान कहते हैं।

3.2.1 शोध में प्रयुक्त सर्वेक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा

सर्वेक्षण उपागम उन समंकों को एकत्रित करने एवं विश्लेषण करने की विधि है, जो बहुत से ऐसे उत्तर देने वालों के द्वारा संकलित किया जाता है जो एक सुनिश्चित जनसंख्या के प्रतिनिधि हैं।

करलिंगर के अनुसार, "सर्वेक्षण अनुसन्धान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है, जिसके अन्तर्गत व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं (अथवा समष्टियों) का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शों के आधार पर इस आशय से किया जाता है, ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाक्रमों, वितरणों तथा पारस्परिक अन्तः सम्बन्धों का ज्ञान उपलब्ध हो सके।"

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के अनुसन्धान का आधार सम्बन्धित समष्टि का प्रतिदर्श ही होता है, और प्रतिदर्श का आकार प्रसम्भाव्य सिद्धान्त

अथवा यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। यादृच्छिक प्रतिचयन पर आधारित सर्वेक्षण अनुसन्धान का विकास, समाज–वैज्ञानिकों तथा साँख्यकीय–शास्त्रियों के संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है। इस प्रकार के अनुसन्धान की वैज्ञानिक प्रकृति की अभिव्यक्ति, इसके द्वारा अध्ययन किये जाने वाले समाजविज्ञानी तथ्यों, मतों तथा अभिवृत्तियों से स्पष्ट होती है। समाजवैज्ञानी तथ्यों का आधार व्यक्तियों की ऐसी विशेषताओं से होता है, जिनका सम्बन्ध उनकी आय, लिंग, प्रजाति, पद, शिक्षा, राजनीतिक व धार्मिक विचारधाराओं आदि से रहता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इन चरों का सम्बन्ध व्यक्तियों के मतों तथा अभिवृत्तियों से रहता है। सर्वेक्षण–अनुसंधान के द्वारा इन विभिन्न समाजविज्ञानी तथा मनोवैज्ञानिक चरों में पारस्परिक अन्तरा–सम्बन्धों का विस्तृत तथा गहन अध्ययन किया जाता है।

3.2.2 प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि के प्रयोग का औचित्य

निम्नलिखित कारणों से शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य में दत्त संकलन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया–

- प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों का अध्ययन करना है। यह कार्य केवल सर्वेक्षण विधि द्वारा ही संभव है क्योंकि सर्वेक्षण ही वह विधि है जिसके द्वारा किसी चर की वर्तमान स्थिति तथा किसी विशिष्ट समूह के सदस्यों पर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालयों के प्राचार्यों,

व्याख्याताओं, अध्ययनरत बालिकाओं तथा उनके अभिभावकों के एक बड़े समूह को लिया गया है। सर्वेक्षण विधि ही वह एकमात्र विधि है जिसके द्वारा कम समय में इतने बड़े समूह से दत्तों का संकलन सुचारू ढंग से किया जा सकता है। अतः न्यादर्श के आकार को ध्यान में रखकर भी शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

- सर्वेक्षण विधि द्वारा प्राप्त दत्तों का सारणीयन तथा आरेखन अपेक्षाकृत सरल रहता है। अतः विश्लेषण तथा व्याख्या की दृष्टि से भी सर्वेक्षण विधि का प्रयोग शोधार्थी को उपयुक्त लगा।
- शोधार्थी द्वारा जिन आंकड़ों का संकलन प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु किया गया है उनका स्वरूप प्राथमिक है और इस प्रकार के आंकड़ों का संकलन ऐसे स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किया गया है जिनका प्रयोग सर्वेक्षण द्वारा ही किया जा सकता है।

इस प्रकार सर्वेक्षण विधि की विशेषताओं एवं प्रस्तुत शोध कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग शोधार्थी द्वारा किया गया।

3.3 सांख्यिकीय प्रविधियाँ

शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सांख्यिकी का अपना एक विशेष स्थान है। इसका प्रयोग शोध अध्ययनों की परिकल्पनाओं की जाँच के साथ–साथ व्यक्तिक भेदों की माप व व्यवहार की जटिलताओं को समझने में भी उपयोगी है। जिन अध्ययनों में इनका प्रयोग किया जाता है; उन अध्ययनों के परिणाम शुद्ध, विश्वसनीय वैद्य तथा वस्तुनिष्ठ होते हैं। ऐसे परिणामों के आधार पर अध्ययन किये गये व्यवहारों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है।

इस प्रकार सांख्यिकी वह प्रविधि है जिसके द्वारा आँकड़ों का संकलन करके परिणामों को संख्यात्मक मानों के रूप में ज्ञात किया जाता है। प्रस्तुत शोध में दत्तों का विश्लेषण कर निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया हैं–

(i) प्रतिशत

प्रस्तुत शोध में प्रश्नवार तथा विवरणात्मक अध्ययन हेतु प्रतिशत प्रविधि का प्रयोग किया गया है, जिसका सूत्र निम्नलिखित है–

$$\text{प्रतिशत} = \frac{\text{अनुभूत न्यादर्श की संख्या}}{\text{कुल न्यादर्श की संख्या}} \times 100$$

(ii) मध्यमान

मध्यमान किसी समूह की केन्द्रीय प्रवृति का मापन है जिसके आधार पर उस समूह के बारे में यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि उस समूह विशेष का औसत वर्ग कैसा है? यह वर्ग अन्य वर्गों की तुलना में कितना भिन्न अथवा समान है? प्रस्तुत शोध कार्य में शिक्षकों से प्राप्त दत्तों के क्षेत्रवार तथा तुलनात्मक अध्ययन हेतु मध्यमान प्रविधि का प्रयोग किया गया जिसका सूत्र निम्नलिखित है–

$$M = \frac{\sum x}{N} \quad r = \frac{}{\sqrt{\times}}$$ जहाँ–

$\sum x$ = सम्पूर्ण समूह के प्राप्तांकों का योग

N = सम्पूर्ण समूह के सदस्यों की संख्या

(iii) मानक विचलन

मानक विचलन विचरणशीलता का सूचकांक है जिसकी सहायता से प्राप्त मध्यमान की विचलनशीलता तथा विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। मानक विचलन को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है–

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$ जहाँ–

$S.D.$ = मानक विचलन

$\sum d^2$ = मध्यमान से विचलन के वर्ग का कुल योग

N = सम्पूर्ण समूह के सदस्यों की संख्या

(iv) टी–परीक्षण

प्रस्तुत शोध में जनजातीय शहरी व ग्रामीण बालिकाओं की तुलना वर्तमान स्थिति, समस्याओं तथा भविष्य में अवसरों के परिप्रेक्ष्य में 'टी' परीक्षण के द्वारा की गयी है। **गिल्फर्ड** ने 'टी' परीक्षण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है– "'टी' परीक्षण मध्यमान से लिये गये विचलन का अनुपात है और वह प्रतिदर्श सांख्यिकीय की वितरण में उस वितरण की मानक त्रुटि का पैमाना है।" विभिन्न चरों के मध्य सार्थक अन्तर (सिग्नीफिकेन्स डिफरेन्स) है या नहीं, इसे जानने के लिए 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 'टी' परीक्षण के लिये सबसे पहले स्वतन्त्रता का अंश (डिग्री ऑफ फ्रीडम) ज्ञात किया जाता है। इसके उपरान्त इस स्वतन्त्रता के अंश पर कितना "टी" मूल्य सार्थक है; इसका निर्धारण 'टी' परीक्षण की मूल्य तालिका से किया जाता हैं। 'टी' परीक्षण में निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है –

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{SD_1^2}{N_1} - \frac{SD_2^2}{N_2}}}$$ जहाँ–

t ¾ टी मूल्य

M_1 ¾ प्रथम न्यादर्श समूह का मध्यमान।

M_2 ¾ द्वितीय न्यादर्श समूह का मध्यमान।

SD_1	¾	प्रथम न्यादर्श समूह का मानक विचलन
SD_2	¾	द्वितीय न्यादर्श समूह का मानक विचलन
N_1	¾	प्रथम न्यादर्श समूह के सदस्यों की संख्या
N_2	¾	द्वितीय न्यादर्श समूह के सदस्यों की संख्या

3.4 शोध उपकरण

शोध अध्ययन में परिकल्पना के जाँच हेतु तथ्यों या आँकड़ों का संकलन आवश्यक होता है। तथ्य संकलन के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। नवीन ज्ञान के क्षेत्र में तथ्य संकलन करने में सहायक साधनों को शोध उपकरणों की संज्ञा दी गई है। सफल अनुसंधान के लिए उपकरणों के चयन का अत्याधिक महत्व है। विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न प्रकार की सूचना संकलित करने के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के उपकरण प्रयुक्त होते हैं। सौदेश्य पूर्ति के लिए शोधार्थी इन उपकरणों में से एक से अधिक उपकरणों का उपयोग कर सकती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु दत्त संकलन के लिए एक से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

चूँकि दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन के सम्बन्ध में कोई प्रमापीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा प्रमापीकृत उपकरणों के स्थान पर निम्न स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है–

(i) साक्षात्कार अनुसूची:– प्राचार्यों के लिए।

(ii) साक्षात्कार अनुसूची:– व्याख्याताओं के लिए।

(iii) साक्षात्कार अनुसूची:– अभिभावकों के लिए।

(iv) व्यक्तिगत सूचना पत्रक :– बालिकाओं के लिए।

(v) अवलोकन अनुसूची :– शोधार्थी के लिए।

3.4.1 प्राचार्यों के लिए साक्षात्कार अनुसूची

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन हेतु प्राचार्यों से दत्त संकलन हेतु एक अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया है। इसके निर्माण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित है–

- **प्रथम सोपान (प्रथम प्रारूप का निर्माण)**

सर्वप्रथम शोधार्थी ने प्राचार्यों हेतु अर्धसंरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें कुल 15 प्रश्न थे। इन प्रश्नों में मुख्यतः निम्न पदों का प्रयोग किया गया था–

1. महाविद्यालय के शैक्षिक उद्देश्य	2. महाविद्यालय का वातावरण
3. नामांकन स्थिति	4. नामांकन वृद्धि के प्रयास
5. भौतिक सुविधाएँ	6. मानवीय संसाधन
7. पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ	8. शैक्षिक प्रदर्शन
9. समस्याएँ	10. निर्देशन एवं मार्गदर्शन व्यवस्था

- **द्वितीय सोपान (विशेषज्ञों की राय)**

साक्षात्कार अनुसूची का प्रथम प्रारूप 10 विषय विशेषज्ञों को प्रतिपुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। विशेषज्ञों ने अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये–

- ✓ महाविद्यालय के शैक्षिक उद्देश्य एवं महाविद्यालय के वातावरण की इसमें भूमिका से सम्बंधित प्रश्न अप्रासंगिक होने की वजह से हटा दिये जाएँ।

- ✓ नामांकन स्थिति का अध्ययन शोधार्थी द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा किया जाना चाहिए। अतः इसे साक्षात्कार अनुसूची से हटा दिया जाये।
- ✓ भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की स्थिति का अध्ययन भी अवलोकन के माध्यम से किया जाना चाहिए। अतः इनसे सम्बंधित प्रश्न भी साक्षात्कार अनुसूची से हटा दिए जाएँ।
- ✓ शैक्षिक प्रदर्शन से असंतुष्टि के कारणों को दो उप बिदुओं– शैक्षिक एवं ग़ैर शैक्षिक के अंतर्गत संशोधित किया जाये।
- ✓ शैक्षिक स्तर में सुधार के उपाय से सम्बंधित एक नया प्रश्न को दो उप बिदुओं– शिक्षण व्यूहरचना एवं शिक्षण सुविधाओं के सन्दर्भ में जोड़ा जाये।
- ✓ महाविद्यालयी गतिविधियों में जनजातीय छात्राओं की भागीदारी से सम्बंधित प्रश्न को शैक्षिक एवं ग़ैर शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियों के सन्दर्भ में संशोधित किया जाये।
- ✓ जनजातीय बालिकाओं को महाविद्यालयी गतिविधियों से अधिकाधिक जोड़ने हेतु किये जा रहे प्रयासों से सम्बंधित प्रश्न को व्यक्तिगत तथा संस्थागत, दो उप बिन्दुओं के अंतर्गत पूछा जाये।
- ✓ जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं से सम्बंधित प्रश्न को विभिन्न उप बिन्दुओं जैसे– शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत तथा अन्य के अंतर्गत पूछा जाये।
- ✓ उक्त समस्याओं को दूर करने सम्बन्धी प्रयासों को भी तीन उप बिन्दुओं– व्यक्तिगत स्तर, प्रशासनिक स्तर एवं सामाजिक स्तर के अन्तर्गत पूछा जाये।

✓ इसी प्रकार भविष्य में व्यवसाय हेतु निर्देशन एवं मार्गदर्शन व्यवस्था से सम्बंधित प्रश्न को भी बहुविकल्पीय बनाया जाये।

➢ **तृतीय सोपान (अंतिम प्रारूप का निर्माण)**

विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर इसका अंतिम प्रारूप निर्मित कर लिया गया जो निम्न प्रकार से है–

सारणी 3.1

प्राचार्यों हेतु साक्षात्कार अनुसूची का अंतिम प्रारूप

क्र.सं.	**पद**	**उप बिंदु**
1	शैक्षिक प्रदर्शन से संतुष्टि (असंतुष्टि के कारण)	1) शैक्षिक कारण 2) ग़ैर शैक्षिक कारण
2	अकादमिक स्तर में वृद्धि के प्रयास	1) शिक्षण व्यूहरचना के सन्दर्भ में 2) शिक्षण सुविधाओं के सन्दर्भ में
3	जनजातीय छात्राओं की भागीदारी	1) शैक्षिक गतिविधियों में 2) ग़ैर शैक्षिक गतिविधियों में
4	भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन के उपाय	1) व्यक्तिगत स्तर पर 2) संस्थागत स्तर पर
5	जनजातीय छात्राओं की प्रमुख समस्याएँ	1) शैक्षिक 2) सामाजिक 3) आर्थिक 4) संस्थागत 5) अन्य
6	समस्याओं को दूर करने हेतु प्रयास	1) व्यक्तिगत स्तर पर

		2) प्रशासनिक स्तर पर 3(सामाजिक स्तर पर
7	व्यावसायिक मार्गदर्शन	1) काउंसलर की नियुक्ति 2) कैरियर डे का आयोजन 3) संस्थागत भ्रमण 4) प्लेसमेंट की सुविधा 5) कैम्पस इन्टरव्यू का आयोजन 6(अन्य प्रयास

3.4.2 व्याख्याताओं के लिए साक्षात्कार अनुसूची

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन हेतु व्याख्याताओं से दत्त संकलन हेतु एक अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित है–

- **प्रथम सोपान (प्रथम प्रारूप का निर्माण)**

सर्वप्रथम शोधार्थी ने व्याख्याताओं हेतु अर्धसंरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें कुल 15 प्रश्न थे। इन प्रश्नों में मुख्यतः निम्न पदों का प्रयोग किया गया था–

1) जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति

2) शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याएँ

3) कक्षा में जनजातीय बालिकाओं की भागीदारी

4) अभिभावकों के साथ बालिकाओं की समस्याओं पर चर्चा

5) बालिकाओं को पुस्तकालय में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन

6) शिक्षण विधियाँ

7) स्वयं का व्यावसायिक उन्नयन

8) बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

9) जनजातीय बालिकाओं की प्रमुख समस्याएँ

10) समस्याओं को दूर करने के हेतु प्रयास

11) बालिकाओं के उच्च शैक्षिक प्रदर्शन हेतु प्रयास

12) महाविद्यालयी गतिविधियों में बालिकाओं की भागीदारी हेतु प्रोत्साहन

13) कॅरियर के सम्बन्ध में मार्गदर्शन

14) प्राचार्य से जनजातीय बालिकाओं के बारे में विशेष मीटिंग

15) कॉलेज का प्राचार्य होने की स्थिति में जनजातीय बालिकाओं के लिए किये जाने वाले विशेष कार्य

➢ **द्वितीय सोपान (विशेषज्ञों की राय)**

साक्षात्कार अनुसूची का प्रथम प्रारूप 10 विषय विशेषज्ञों को प्रतिपुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। विशेषज्ञों ने अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये–

✓ नामांकन स्थिति का पता अवलोकन अनुसूची के माध्यम से लगाया जाना चाहिए अतः इससे सम्बंधित प्रश्न को साक्षात्कार अनुसूची से हटा दिया जाये।

✓ जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं को अलग–अलग प्रश्नों के माध्यम से न पूछकर एक समेकित प्रश्न के अंतर्गत विभिन्न उप बिन्दुओं के अंतर्गत पूछा जाये।

✓ उच्च एवं निम्न शैक्षिक प्रदर्शन वाली जनजातीय बालिकाओं हेतु किये जाने वाले प्रयासों को विभिन्न उप बिन्दुओं के अंतर्गत पृथक–पृथक पूछा जाये। नवीन

शिक्षण विधियों एवं उपकरणों के प्रयोग को भी इसी में समायोजित किया जाये।

- ✓ जनजातीय बालिकाओं की भागीदारी को भी पृथक–पृथक सन्दर्भों में न पूछकर एक ही प्रश्न द्वारा विभिन्न उप बिन्दुओं के अंतर्गत पूछा जाये।
- ✓ कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन की व्यवस्था को भी विभिन्न उप बिन्दुओं के अंतर्गत पूछा जाये।
- ✓ अभिभावकों के साथ बालिकाओं की समस्याओं पर चर्चा ,बालिकाओं को पुस्तकालय में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन, स्वयं का व्यावसायिक उन्नयन, प्राचार्य से जनजातीय बालिकाओं के बारे में विशेष मीटिंग, कॉलेज का प्राचार्य होने की स्थिति में जनजातीय बालिकाओं के लिए किये जाने वाले विशेष कार्य जैसे प्रश्न अप्रासंगिक होने की वजह से हटा दिये जाएँ।

- **तृतीय सोपान (अंतिम प्रारूप का निर्माण)**

विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर इसका अंतिम प्रारूप निर्मित कर लिया गया जो निम्न प्रकार से है–

सारणी 3.2

व्याख्याताओं हेतु साक्षात्कार अनुसूची का अंतिम प्रारूप

क्र.सं.	पद	उप बिंदु
1	अन्य छात्राओं की तुलना में जनजातीय छात्राओं का शैक्षिक प्रदर्शन	.....

2	कमज़ोर शैक्षिक प्रदर्शन वाली जनजातीय छात्राओं हेतु प्रयास	1) अतिरिक्त शिक्षण 2) शिक्षण व्यूहरचना में बदलाव 3) ICT का प्रयोग 4) निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण 5(अन्य प्रयास
3	उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाली तथा सृजनशील जनजातीय छात्राओं हेतु प्रयास	1) अतिरिक्त मार्गदर्शन देकर 2) अतिरिक्त अध्ययन सामग्री देकर 3) गतिविधियों में अधिकाधिक अवसर देकर 4(अन्य प्रयास
4	सह शैक्षणिक गतिविधियों में जनजातीय छात्राओं की भागीदारी	.....
5	सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन	.....
6	जनजातीय छात्राओं की समस्याएँ	1) विषयगत 2) व्यक्तिगत 3) संस्थागत 4(अन्य
7	कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन	1) विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देकर 2) विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी देकर 3) विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देकर 4(अन्य प्रयास

3.4.3 अभिभावकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन हेतु अभिभावकों से दत्त संकलन हेतु एक अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित है–

- **प्रथम सोपान (प्रथम प्रारूप का निर्माण)**

सर्वप्रथम शोधार्थी ने अभिभावकों हेतु अर्धसंरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रथम प्रारूप तैयार किया जिसमें कुल 15 प्रश्न थे। इन प्रश्नों में मुख्यतः निम्न पदों का प्रयोग किया गया था–

1) संतान का संख्यात्मक तथा शैक्षिक विवरण

2)बालिका शिक्षा की समस्याएँ

3)बालिका हेतु भविष्य की योजना

4)बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से अपेक्षा

5)महाविद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन के प्रति अभिमत

6)बालिका शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में महाविद्यालय की भूमिका

7)बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में सरकारी योजनाएँ

8)बालिका शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं के प्रयास एवं सरकार से अपेक्षा

- **द्वितीय सोपान (विशेषज्ञों की राय)**

साक्षात्कार अनुसूची का प्रथम प्रारूप 10 विषय विशेषज्ञों को प्रतिपुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। विशेषज्ञों ने अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये–

- ✓ संतान के संख्यात्मक विवरण को साक्षात्कार अनुसूची से हटा दिया जाये।
- ✓ छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाएँ।

- ✓ घर पर उपलब्ध अध्ययन–सुविधाओं का विवरण पूछा जाये।
- ✓ बालिका शिक्षा की समस्याओं को उप बिन्दुओं के अंतर्गत पूछा जाये।
- ✓ महाविद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन से सम्बंधित प्रश्न हटा दिये जाएँ।

➢ **तृतीय सोपान (अंतिम प्रारूप का निर्माण)**

विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर इसका अंतिम प्रारूप निर्मित कर लिया गया जिसके पद निम्नलिखित हैं–

1) घर पर उपलब्ध अध्ययन सुविधाएँ

2)छात्रवृत्ति की उपलब्धता

3)छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण

4)अध्ययन सुविधाओं के सम्बन्ध में महाविद्यालय से अपेक्षा

5)बालिका की शिक्षा के सम्बन्ध में महाविद्यालय अधिकारियों से चर्चा

6)बालिका शिक्षा की समस्याओं का बिन्दुवार विवरण

7)बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में सरकारी योजनाओं की जानकारी

8)बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार से अपेक्षा

9)बालिका का व्यावसायिक भविष्य एवं स्वयं के प्रयास

3.4.4 बालिकाओं के लिए व्यक्तिगत सूचना पत्रक

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन हेतु बालिकाओं से दत्त संकलन हेतु एक मिश्रित उपकरण 'व्यक्तिगत सूचना पत्रक' का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित है–

➢ **प्रथम सोपान (प्रथम प्रारूप का निर्माण)**

सर्वप्रथम शोधार्थी ने बालिकाओं हेतु व्यक्तिगत सूचना पत्रक का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

सारणी 3.3

बालिकाओं हेतु व्यक्तिगत सूचना पत्रक का प्रथम प्रारूप

व्यक्तिगत विवरण :– विद्यार्थी का नाम, कक्षा, पिता का नाम, जिला, महाविद्यालय का नाम, संकाय, वैवाहिक स्तर, आयु।

भाग	**प्रश्न क्रमांक**	**पद**	**उप बिंदु / कथन**
वर्तमान स्थिति	1	पारिवारिक विवरण (आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक)	17
	2	उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम	4
समस्याएँ	3	समस्स्याएँ (पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत)	27
	4	अन्य समस्या	1
भविष्य में अवसर	5	महाविद्यालय में कॅरियर सम्बन्धी सुविधाएँ	4
	6	रुचिकर विषय	1
	7	स्नातक के बाद की शिक्षा	1
	8	व्यावसायिक क्षेत्र का चयन	1

➢ **द्वितीय सोपान (विशेषज्ञों की राय)**

व्यक्तिगत सूचना पत्रक का प्रथम प्रारूप 10 विषय विशेषज्ञों को प्रतिपुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। विशेषज्ञों ने अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये–

✓ व्यक्तिगत विवरण में बालिका के भाई–बहनों की शैक्षिक स्थिति भी जोड़ी जाये।

- ✓ प्रश्न संख्या 2 के उप बिंदु क्रमांक 6 एवं 17 हटा दिये जाएँ।
- ✓ प्रश्न संख्या 2 के कथन क्रमांक 11, 19 एवं 25 हटा दिये जाएँ तथा कथन क्रमांक 15, 21 तथा 24 की भाषा में सुधार किया जाये।
- ✓ प्रश्न संख्या 5 में उप बिन्दुओं की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 की जाये।
- ✓ रूचि की गतिविधि से सम्बंधित एक नवीन प्रश्न जोड़ा जाये।

➢ **तृतीय सोपान (अंतिम प्रारूप का निर्माण)**

विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर शोधार्थी द्वारा व्यक्तिगत सूचना पत्रक में आवश्यक संशोधन कर इसका अंतिम प्रारूप निर्मित कर लिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

सारणी 3.4

बालिकाओं हेतु व्यक्तिगत सूचना पत्रक का अंतिम प्रारूप

व्यक्तिगत विवरण :– विद्यार्थी का नाम, कक्षा, पिता का नाम, जिला, महाविद्यालय का नाम, संकाय, वैवाहिक स्तर, आयु तथा भाई–बहनों की संख्या/नाम/अध्ययनरत कक्षा/स्कूल अथवा कॉलेज का नाम।

भाग	प्रश्न क्रमांक	पद	उप बिंदु / कथन
वर्तमान स्थिति	1	पारिवारिक विवरण (आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक)	15
	2	उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम	4
समस्याएँ	3	समस्स्याएँ (पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत)	24
	4	अन्य समस्या	1

भविष्य में अवसर	5	महाविद्यालय में कॅरियर सम्बन्धी सुविधाएँ	5
	6	रूचि की गतिविधि	1
	7	रुचिकर विषय	1
	8	स्नातक के बाद की शिक्षा	1
	9	व्यावसायिक क्षेत्र का चयन	1

➢ **चतुर्थ सोपान (अंकन योजना का निर्माण)**

बालिकाओं हेतु व्यक्तिगत सूचना पत्रक का अंतिम प्रारूप निर्मित कर लेने के पश्चात् उसकी अंकन योजना का निर्माण किया गया जो कि निम्न प्रकार से है–

❖ **प्रश्न क्रमांक 1 के लिए:–**

उप बिंदु	**भारांक**					
1	(i) 2	(ii) 1				
2	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3	(iv) 4	(v) 5	(vi) 6
3	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3	(iv) 4	(v) 5	(vi) 6
4	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3	(iv) 4	(v) 5	
5	(i) 0	(ii) 1	(iii) 2	(iv) 3	(v) 4	(vi) 5
6	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3	(iv) 4		
7	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3			
8	(i) 1	(ii) 2				
9	(i) 2	(ii) 1				
10	(i) 1	(ii) 0				
11	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3			
12	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3			
13	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3	(iv) 4		
14	(i) 1	(ii) 2	(iii) 3			
15	कोई भारांक नहीं					

❖ **प्रश्न क्रमांक 2 के लिए:–**

(i) 3 (ii) 2 (iii) 1 (iv) 0

❖ **प्रश्न क्रमांक 3 के लिए:–**

कथन प्रकार	कथन क्रमांक	हाँ	न हीं	अनिश्चित
सकारात्मक	6/7/8/9/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22	2	0	1
नकारात्मक	1/2/3/4/5/10/18/20/23/24	0	2	1

❖ **प्रश्न क्रमांक 4 के लिए:–**

कोई भारांक नहीं

❖ **प्रश्न क्रमांक 5 के लिए:–**

हाँ (1) नहीं (0)

❖ **प्रश्न क्रमांक 6 से 9 के लिए:–**

कोई भारांक नहीं

3.4.5 शोधार्थी के लिए अवलोकन अनुसूची

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन हेतु एक अवलोकन अनुसूची का भी निर्माण किया गया है। इसके निर्माण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित है–

➢ **प्रथम सोपान (प्रथम प्रारूप का निर्माण)**

सर्वप्रथम शोधार्थी ने अवलोकन अनुसूची का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया जिसके पद निम्नलिखित हैं–

1) जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति : विगत पाँच वर्षों की

2)मानवीय संसाधनों की स्थिति :– प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अन्य कर्मचारी

3)भौतिक संसाधनों की स्थिति :– विभिन्न प्रकार के कक्ष, कक्षा–कक्ष सुविधाएँ तथा अन्य आधारभूत सुविधाएँ

4)परीक्षा परिणाम :– विगत पाँच वर्षों का

- **द्वितीय सोपान (विशेषज्ञों की राय)**

अवलोकन अनुसूची का प्रथम प्रारूप 10 विषय विशेषज्ञों को प्रतिपुष्टि हेतु प्रेषित किया गया। विशेषज्ञों ने अवलोकन के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये–

- ✓ सर्वप्रथम महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या सम्बन्धी प्रश्न रखा जाये तथा मानवीय संसाधन सम्बन्धी प्रश्न हटा दिये जाएँ।
- ✓ जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति विगत पाँच वर्ष की बजाय सिर्फ तीन वर्षों की पता की जाये।
- ✓ भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की संख्या डाली जाये न की सिर्फ उनकी उपलब्धता का पता लगाया जाये।
- ✓ विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री की संख्यात्मक उपलब्धता उप बिन्दुओं के अंतर्गत पता की जाये।
- ✓ खेल के मैदानों की उपलब्धता का पता भी विभिन्न प्रकार के खेलों के सम्बन्ध में अलग–अलग बिन्दुओं के अंतर्गत लगाया जाये।

- **तृतीय सोपान (अंतिम प्रारूप का निर्माण)**

विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर शोधार्थी द्वारा अवलोकन अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर इसका अंतिम प्रारूप निर्मित कर लिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है–

1) महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या

2)जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति : विगत तीन वर्षों की

3)परीक्षा परिणाम :– विगत तीन वर्षों का

4)भौतिक संसाधनों की स्थिति :– विभिन्न प्रकार के कक्ष, खेल के मैदान, आधारभूत सुविधाएँ, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री इत्यादि।

3.4.6 उपकरणों की वैधता एवं विश्वसनीयता

प्रस्तुत शोध हेतु उपर्युक्त पाँचों उपकरण विवरणात्मक दत्त संकलन हेतु निर्मित किये गये हैं। अतः इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता का आकलन सांख्यिकीय विश्लेषण की बजाय गुणात्मक रीति से ही किया गया। प्रत्येक उपकरण को विषय विशेषज्ञों के पास प्रतिपुष्टि हेतु प्रेषित किया गया तथा उनके द्वारा दिए गये सुझावों के आधार पर इन्हें संशोधित किया गया। इस प्रकार विषय विशेषज्ञों ने इन उपकरणों की 'रूप वैधता' निश्चित की जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपकरण में सम्मिलित प्रश्न उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जो शोध हेतु निर्मित किये गये हैं। इसी प्रकार गहन अवलोकन करने के पश्चात् विषय विशेषज्ञों ने इन उपकरणों को पर्याप्त विश्वसनीय भी बताया।

3.5 न्यादर्श

अनुसन्धान में न्यादर्श का उतना ही महत्त्व है जितना कि मानव शरीर में हृदय का होता है। न्यादर्श जितना दृढ़ होगा अनुसन्धान के परिणाम उतने ही शुद्ध एवं विश्वसनीय होंगे। न्यादर्श को तभी उपयुक्त माना जा सकता है जब वह सम्पूर्ण समष्टि का

सही प्रतिनिधित्व करे। न्यादर्श प्रविधि शोध कार्य को व्यावहारिंक तथा समय, धन एव शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती है।

बोगार्ड्स के अनुसार, "पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत इकाइयों का चुनाव ही न्यादर्श है।"

कर्लिंगर के अनुसार– "प्रतिदर्शन जनसंख्या या लोक में लिया गया कोई भाग होता है जो जनसंख्या या लोक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।"

इस प्रकार न्यादर्श एक सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंग है जिसमें समग्र की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिम्ब रहता है।

3.5.1 न्यादर्श चयन हेतु वांछित सावधानियाँ

(i) न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए।

(ii) न्यादर्श चयन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या पक्षपात नहीं होना चाहिए।

(iii) न्यादर्श चयन से पूर्व न्यादर्श चयन प्रविधि की उपयुक्तता पर सभी दृष्टिकोणों से विचार कर लेना चाहिए।

3.5.2 न्यादर्श चयन की विधियाँ

- **यादृच्छिक प्रतिचयन –** यह वह विधि है जिसके द्वारा प्रतिदर्शों में से प्रत्येक के चुने जाने की सम्भावना रहती है। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि समष्टि के सभी सदस्यों की सूची उपलब्ध होना अनिवार्य है।
- **स्तरीकृत प्रतिचयन –** इस विधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण समष्टि में से न चुना जाकर समष्टि के विधि स्तरों में से चयन किया जाता है।

- **सौद्देश्यपरक प्रतिचयन –** इस विधि का उपयोग विशेषज्ञ सीमित विधि के सन्दर्भ में करते हैं। इस प्रतिदर्श के सदस्यों को इस प्रकार चुनते हैं कि प्रतिदर्श एवं समष्टि के ज्ञात गुणों के केन्द्रीय माप एवं विचलन समान हो।
- **युग्म प्रतिचयन –** अनेक बार कुछ अनुसंधानो में से प्रतिदर्श चयन हेतु न्यादर्श चयन की एक से अधिक विधियां अपनाई जाती हैं। ऐसी विधि को युग्म प्रतिचयन विधि कहते हैं।
- **आनुषांगिक या उपलब्ध प्रतिचयन –** अनुसंधानकर्ता जब अपनी सुविधानुसार या किसी विशेष आधार के बिना प्रतिदर्श चयन करता है तो उसे अनुषांगिक या उपलब्ध प्रतिचयन कहते हैं।

3.5.3 प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा स्थान, समय शक्ति को ध्यान में रखते हुए न्यादर्श का चयन निम्नलिखित प्रकार से किया गया–

- **जिलों का चयन:–** सर्वप्रथम सौदेश्य प्रतिचयन विधि द्वारा शोधार्थी द्वारा उदयपुर संभाग के चार जिलों यथा– डूँगरपुर, बाँसवाड़ा प्रतापगढ़ तथा उदयपुर का चयन किया गया। सौदेश्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इस विधि के माध्यम से दक्षिणी राजस्थान की विशिष्ट समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले उल्लेखित चार जिलों का चयन संभव हो पाया। इसके विपरीत यादृच्छिक प्रतिचयन से संभव है कि दक्षिणी राजस्थान की विशिष्ट समष्टि का प्रतिनिधित्व त्रुटिपूर्ण होता।
- **महाविद्यालयों का चयन:–** जिलों के चयन के उपरांत शोधार्थी द्वारा प्रत्येक जिले से दो महाविद्यालयों का स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन किया गया जिसमें

से एक महाविद्यालय ग्रामीण तथा एक शहरी क्षेत्र से था। इस प्रकार कुल 8 महाविद्यालय चयनित किये गये। इस न्यादर्शन में दो स्तर– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र होने से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि महाविद्यालयों के चयन हेतु अपनाई गई।

- **बालिकाओं का चयन:–** प्रत्येक महाविद्यालय से 40 जनजातीय बालिकाओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 320 बालिकाओं का चयन किया गया जिसमें 160 बालिकाएँ ग्रामीण एवं 160 बालिकाएँ शहरी क्षेत्र से थी। इस यादृच्छिक प्रतिचयन हेतु 'दैव निर्देशन' विधि का चुनाव किया गया। इसके अंतर्गत सभी बालिकाओं को एक कागज़ की चिट्ठी पर क्रमांक देकर उनकी गोलियाँ बना ली गई। इन गोलियों को दो अलग–अलग प्यालों (ग्रामीण तथा शहरी) में रखकर दोनों प्यालों से निर्धारित न्यादर्श के अनुरूप 160–160 बालिकाओं का चयन कर लिया गया।
- **प्राचार्यों का चयन:–** प्रत्येक महाविद्यालय से एक प्राचार्य का सौदेश्य प्रतिचयन विधि किया गया। इस प्रकार 4 प्राचार्य ग्रामीण एवं 4 प्राचार्य शहरी क्षेत्रों से चुने गये। चूँकि महाविद्यालय का प्राचार्य ही उसका संस्थाप्रधान होता है इसलिए प्राचार्यों के न्यादर्शन में सौदेश्य प्रतिचयन विधि ही उपर्युक्त थी।
- **व्याख्याताओं का चयन:–** प्रत्येक महाविद्यालय से 2 व्याख्याताओं का सौदेश्य चयन किया गया। इस प्रकार 8 व्याख्याता ग्रामीण एवं 8 व्याख्याता शहरी क्षेत्रों से चुने गये। चूँकि शोधार्थी को अपने स्वविवेक से व्याख्याताओं का चयन करना था इसलिए इनके न्यादर्शन में सौदेश्य प्रतिचयन विधि का ही प्रयोग किया गया।

- **अभिभावकों का चयन:–** प्रत्येक महाविद्यालय से 4 अभिभावकों का सौदेश्य चयन किया गया। इस प्रकार 16 अभिभावक ग्रामीण एवं 16 अभिभावक शहरी क्षेत्रों से चुने गये। चूँकि शोधार्थी को अपने स्वविवेक से अभिभावकों का चयन करना था इसलिए इनके न्यादर्शन में सौदेश्य प्रतिचयन विधि का ही प्रयोग किया गया।

इस प्रकार अंतिम रूप से चयनित न्यादर्श समूहों का विवरण निम्न प्रकार से है–

सारणी 3.5

न्यादर्श समूहों का विवरण

न्यादर्श समूह	**श्रेणी**	**संख्या**	**कुल**
प्राचार्य	ग्रामीण	4	08
	शहरी	4	
व्याख्याता	ग्रामीण	8	16
	शहरी	8	
अभिभावक	ग्रामीण	16	32
	शहरी	16	
बालिकाएँ	ग्रामीण	160	320
	शहरी	160	
		कुल न्यादर्श	**376**

3.6 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद में शोधार्थी ने दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों के अध्ययन हेतु विधि के रूप में प्रयुक्त सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकीय प्रविधि के तौर पर प्रयुक्त प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन, टी–परीक्षण तथा स्वनिर्मित उपकरणों के रूप में

तीन अर्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूचियों, व्यक्तिगत सूचना पत्रक तथा अवलोकन अनुसूची का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है। इस विवरण के अंतर्गत उपकरण निर्माण के सभी चरणों को विस्तार से समझाया गया है साथ ही इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यादर्श, इसके चयन तथा प्रयुक्त विधियों का भी वर्णन किया गया है जो कि शोध को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने हेतु सहायक है।

चतुर्थ परिच्छेद
उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति

4.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत परिच्छेद में दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया है। राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणी जिलों– डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में निवास करने वाली उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् इन जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए शोधार्थी द्वारा विभिन्न उपकरणों के माध्यम से दत्त संकलित किये गये जो कि गुणात्मक तथा गणनात्मक दोनों प्रकार के थे।

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति से संबंधित दत्त इन बालिकाओं से एक स्वनिर्मित 'व्यक्तिगत सूचना पत्रक' के माध्यम से तो एकत्रित किये ही गये साथ ही समस्या से सम्बंधित अन्य व्यक्तियों यथा– प्राचार्य, व्याख्याता तथा अभिभावकों से भी साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से दत्त संकलन किया गया। इतना ही नहीं शोधार्थी द्वारा स्वयं भी एक अवलोकन प्रपत्र के माध्यम से जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति विशेषकर शैक्षिक सन्दर्भ में जानने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार विभिन्न अभिधारकों तथा स्वयं शोधार्थी द्वारा संकलित दत्तों के विश्लेषण से जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का सांगोपांग अध्ययन संभव हो सका। इस विश्लेषण में भी शोधार्थी द्वारा दत्तों की प्रकृति के अनुरूप गुणात्मक एवं सांख्यिकीय, दोनों प्रकार से विश्लेषण किया गया। गुणात्मक विश्लेषण में जहाँ विषयवस्तु

विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया, वहीं सांख्यिकीय विश्लेषण में विभिन्न प्रविधियों यथा– प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति से सम्बंधित दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न क्रमानुसार की गई है–

1. जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या
2. जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या
3. जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या
4. जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या
5. जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

4.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का पृथक–पृथक तथा इस सम्बन्ध में प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं अभिभावकों से प्राप्त दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार है–

4.2.1 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा (कक्षा–12) में इनके शैक्षिक प्रदर्शन को आधार बनाया गया यथा–

सारणी 4.1

उच्च माध्यमिक परीक्षा में ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ का शैक्षिक प्रदर्शन

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
16.25 %	47.50 %	36.25 %

आरेख 4.1

उच्च माध्यमिक परीक्षा में ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.1 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण जनजातीय बालिकाओं में 16.25 प्रतिशत प्रथम श्रेणी से, 47.50 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी से एवं 36.25 प्रतिशत तृतीय श्रेणी से हैं। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि औसत स्तर की ही है। बहुत कम बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि उच्च श्रेणी की हैं। अधिकांश बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि औसत एवं निम्न श्रेणी की ही है।

सारणी 4.2

उच्च माध्यमिक परीक्षा में शहरी जनजातीय बालिकाओं (N = 160) का शैक्षिक प्रदर्शन

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
23.75 %	51.88 %	24.37 %

आरेख 4.2

उच्च माध्यमिक परीक्षा में शहरी जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.2 से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण जनजातीय बालिकाओं में 23.75 प्रतिशत प्रथम श्रेणी से, 51.58 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी से एवं 24.37 प्रतिशत तृतीय श्रेणी से हैं। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि भी औसत स्तर की ही है। हालाँकि ग्रामीण बालिकाओं की तुलना में शहरी बालिकाओं ने अधिक संख्या में प्रथम श्रेणी उतीर्ण की है फिर भी

समग्र रूप में अधिकांश शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि औसत स्तर की ही पाई गई है।

4.2.2 उच्च शिक्षा में जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति

उच्च शिक्षा में ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति का पता लगाने के लिए 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी महाविद्यालयों में संचालित त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में इन बालिकाओं के नामांकन को आधार बनाया गया यथा–

सारणी 4.3

उच्च शिक्षा में ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति

सत्र	बालिकाओं की संख्या
2015–16	301
2016–17	312
2017–18	389

आरेख 4.3

उच्च शिक्षा में ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.3 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महाविद्यालयों में संचालित त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में सत्र 2015–16 के दौरान 301, सत्र 2016–17 के दौरान 312 तथा सत्र 2017–18 के दौरान 389 जनजातीय बालिकाएँ नामांकित थी। इस प्रकार यद्यपि साल–दर–साल ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं का नामांकन उच्च शिक्षा में बढ़ रहा है तथापि स्थिति अभी भी असंतोषजनक ही कही जाएगी।

सारणी 4.4

उच्च शिक्षा में शहरी जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति

सत्र	बालिकाओं की संख्या
2015–16	899
2016–17	999
2017–18	1153

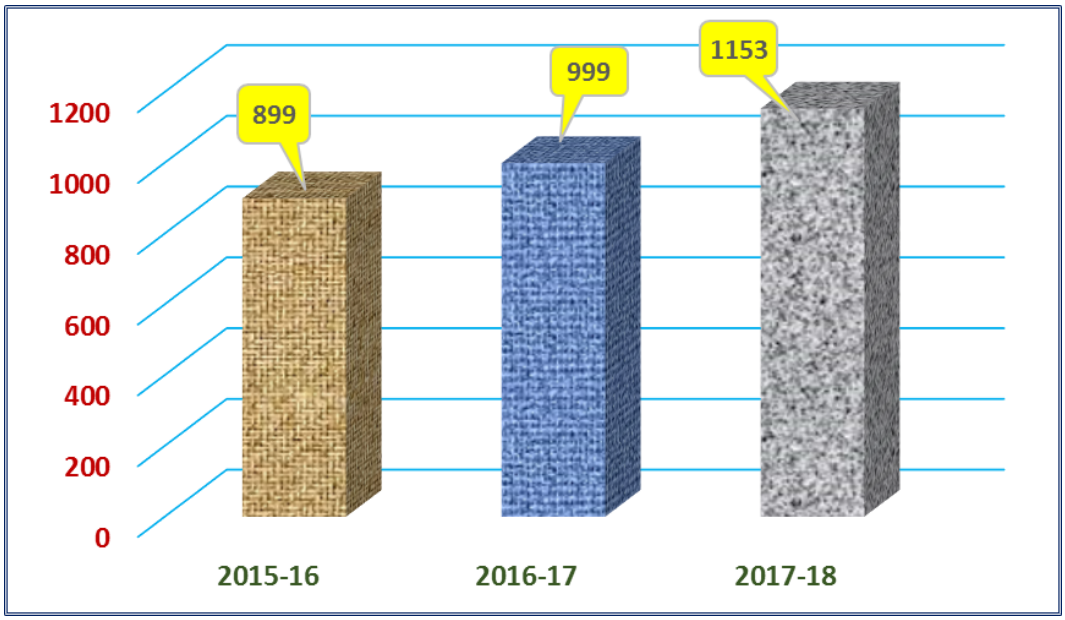

आरेख 4.4

उच्च शिक्षा में शहरी जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.4 से स्पष्ट होता है कि शहरी महाविद्यालयों में संचालित त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में सत्र 2015–16 के दौरान 899, सत्र 2016–17 के दौरान 999 तथा सत्र 2017–18 के दौरान 1153 जनजातीय बालिकाएँ नामांकित थी। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में जनजातीय बालिकाओं का नामांकन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब आवश्यकता इस स्थिति को बनाये रखने की है।

4.2.3 उच्च शिक्षा में जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

उच्च शिक्षा में ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति का पता लगाने के लिए 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी महाविद्यालयों में संचालित त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम को आधार बनाया गया यथा–

सारणी 4.5

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

सत्र	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	अनुतीर्ण
2015-16	28.90 %	63.46 %	5.98 %	1.66 %
2016-17	32.99 %	57.39 %	1.72 %	7.90 %
2017-18	26.27 %	67.41 %	3.48 %	2.85 %

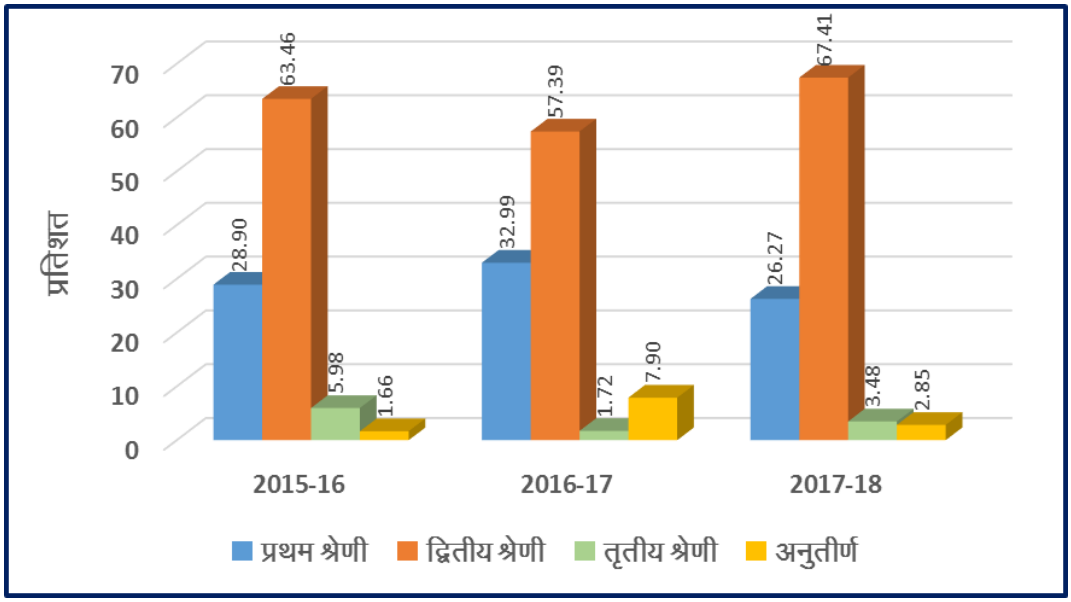

आरेख 4.5

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.5 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सत्र 2015–16 में 28.90 प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ प्रथम श्रेणी से, 63.46 प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ द्वितीय एवं 5.98 प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ तृतीय श्रेणी से उतीर्ण हुई। अनुतीर्ण ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 1.66 पाया गया।

सत्र 2016–17 में 32.99 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ प्रथम, 57.39 ग्रामीण प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ द्वितीय एवं 1.72 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ तृतीय श्रेणी से उतीर्ण हुई। इस प्रकार अधिकांश ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ इस सत्र में उतीर्ण हुई, अनुतीर्ण ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 7.90 पाया गया।

सत्र 2017–18 में 26.27 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ प्रथम, 67.41 ग्रामीण प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ द्वितीय एवं 3.48 प्रतिशत ग्रामीण

जनजातीय बालिकाएँ तृतीय श्रेणी से उतीर्ण हुई। इस प्रकार गत दो सत्रों की अपेक्षा सत्र 2017–18 में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं ने उल्लेखनीय शैक्षिक प्रदर्शन किया है। इस सत्र में अनुतीर्ण ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 2.85 ही पाया गया है।

सारणी 4.6

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में शहरी जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

सत्र	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	अनुतीर्ण
2015-16	9.34 %	62.07 %	18.13 %	10.46 %
2016-17	13.11 %	65.76 %	13.22 %	7.91 %
2017-18	13.98 %	65.31 %	17.45 %	3.27 %

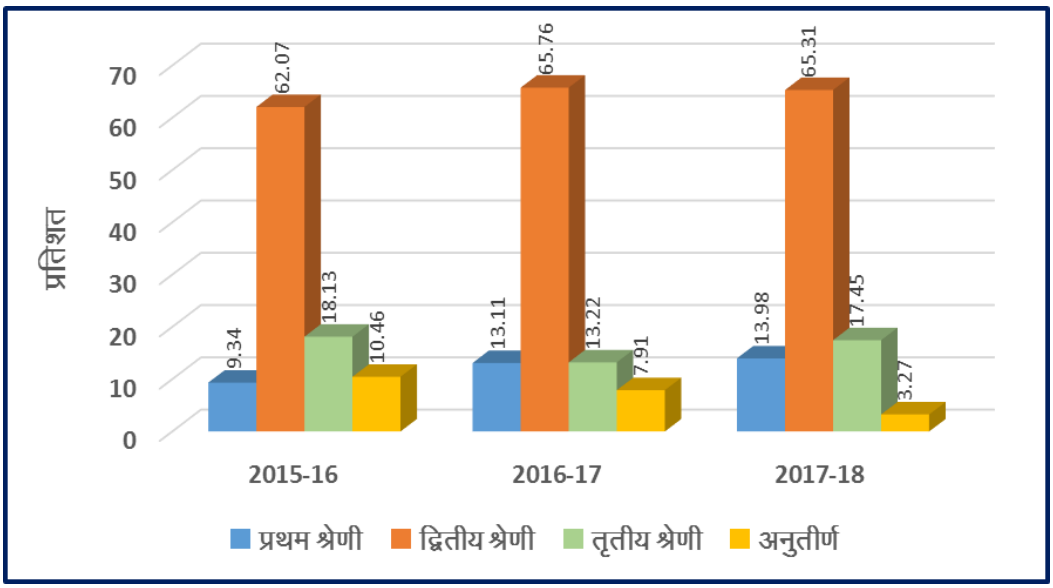

आरेख 4.6

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में शहरी जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.6 से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्रों में सत्र 2015–16 में 9.34 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ प्रथम, 62.07 शहरी प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ द्वितीय एवं 18.13 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ तृतीय श्रेणी

से उतीर्ण हुई। अनुतीर्ण शहरी जनजातीय बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 10.46 पाया गया।

सत्र 2016–17 में 13.11 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ प्रथम, 65.76 शहरी प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ द्वितीय एवं 13.22 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ तृतीय श्रेणी से उतीर्ण हुई। इस प्रकार अधिकांश शहरी जनजातीय बालिकाएँ इस सत्र में उतीर्ण हुई, अनुतीर्ण शहरी जनजातीय बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 7.91 पाया गया।

सत्र 2017–18 में 13.98 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ प्रथम, 65.31 शहरी प्रतिशत जनजातीय बालिकाएँ द्वितीय एवं 17.45 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ तृतीय श्रेणी से उतीर्ण हुई। इस प्रकार गत दो सत्रों की अपेक्षा सत्र 2017–18 में शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं ने मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण से सराहनीय शैक्षिक प्रदर्शन किया है। इस सत्र में अनुतीर्ण शहरी जनजातीय बालिकाओं का प्रतिशत मात्र 3.27 ही पाया गया है।

4.2.4 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं को प्राप्त सुविधाएँ

उच्च शिक्षा में ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं को प्राप्त सुविधाओं का पता लगाने के लिए 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी महाविद्यालयों का भौतिक अवलोकन किया गया यथा–

- **प्रशासनिक कक्ष:–** ग्रामीण तथा शहरी, दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कक्ष जैसे– कार्यालय तथा संकाय कक्ष समान रूप से

विद्यमान है, जिनसे विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक तथा शिक्षण गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

- **सुविधा कक्ष:–** संख्यात्मक दृष्टि से ग्रामीण तथा शहरी, दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कक्ष जैसे– पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ तथा कंप्यूटर इत्यादि विद्यमान हैं लेकिन गुणात्मक रूप से इनमें अंतर पाया जाता है। शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयों में ये कक्ष अपेक्षाकृत ज्यादा सुविधा संपन्न हैं।
- **खेल सुविधाएँ:–** ग्रामीण तथा शहरी, दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे– कबड्डी, बॉलीबाल, फुटबॉल इत्यादि से सम्बंधित मैदान उपलब्ध तो हैं लेकिन इन्हें खेलने हेतु आवश्यक खेल सामग्री ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।
- **आधारभूत सुविधाएँ:–** ग्रामीण तथा शहरी, दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाएँ यथा– शौचालय, महिला शौचालय, बिजली, पानी छात्रावास एवं दूरभाष इत्यादि उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन इनके रखरखाव में ग्रामीण क्षेत्रों में कोताही बरती जाती है।
- **फर्नीचर:–** शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने तथा अध्ययन हेतु आवश्यक फर्नीचर जैसे– टेबल, कुर्सी, बैंच, दरी–पट्टी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाये गये हैं लेकिन शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयों में इनकी उपलब्धता थोड़ी अपर्याप्त ही है।
- **फर्नीचर:–** ग्रामीण तथा शहरी, दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में शिक्षण सामग्री यथा– श्यामपट्ट, मानचित्र, ग्लोब तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञान उपकरण जैसे–

थर्मामीटर, बैरोमीटर, ट्रांसफार्मर, ग्रामोफोन, कम्पास इत्यादि उपलब्ध करवाये गये हैं।

4.2.5 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर प्राचार्यों का अभिमत

उच्च शिक्षा में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर प्राचार्यों का अभिमत जानने के लिए 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी महाविद्यालयों के प्राचार्यों का साक्षात्कार लिया गया था जिसका विश्लेषण निम्नलिखित है–

1. 40 प्रतिशत प्राचार्य जनजातीय बालिकाओं के शैक्षिक प्रदर्शन से संतुष्ट पाये गये जबकि 60 प्रतिशत प्राचार्यों की दृष्टि में जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं है। जनजातीय बालिकाओं के शैक्षिक प्रदर्शन से संतुष्ट प्राचार्यों ने इसके मुख्य कारण व्याख्याताओं एवं बालिकाओं की नियमितता को बताया साथ ही कोचिंग संस्थानों की सक्रियता को भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा जो प्राचार्य जनजातीय बालिकाओं के शैक्षिक प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने इस स्थिति के लिए बालिकाओं की अनियमितता, घर पर आधारभूत सुविधाओं की कमी एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि को उत्तरदायी माना।
2. प्राचार्यों के अनुसार कमजोर शैक्षिक उपलब्धि वाली जनजातीय बालिकाओं के अकादमिक स्तर में वृद्धि हेतु कई प्रकार के प्रयास महाविद्यालयी स्तर पर किये जाते हैं, यथा–
    - शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था
    - मासिक आधारित OMR आधारित टेस्ट

- पुनरावृत्ति कक्षाओं का संचालन
- क्रेश कोर्स की व्यवस्था
- पुस्तकालय में सन्दर्भ पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं की उपलब्धता
- ICT उपकरणों के माध्यम से शिक्षण

3. सभी प्राचार्यों ने माना की जनजातीय बालिकाओं की भागीदारी शैक्षिक गतिविधियों में कम जबकि सह शैक्षिक गतिविधियों जैसे– खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्यिक प्रतियोगिताओं एवं स्काउट इत्यादि में अधिक रहती है।
4. प्राचार्यों ने बताया कि जो जनजातीय बालिकाएँ महाविद्यालयी गतिविधियों में अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाती, उन्हें इसके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित किया जाता है साथ ही संस्थागत स्तर पर उन्हें प्रेरित करने के लिए समय–समय पर महाविद्यालय में कार्यशालाओं एवं विचार–गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिसमें बाहर से विभिन्न विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

4.2.6 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर व्याख्याताओं का अभिमत

उच्च शिक्षा में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर व्याख्याताओं का अभिमत जानने के लिए 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी महाविद्यालयों के कुल 16 व्याख्याताओं का साक्षात्कार लिया गया था जिसका विश्लेषण निम्नलिखित है–

1. 70 प्रतिशत व्याख्याता अपने विषय में जनजातीय बालिकाओं के शैक्षिक प्रदर्शन को औसत से कम स्तर का मानते हैं जबकि शेष 30 प्रतिशत

व्याख्याताओं की दृष्टि में ही जनजातीय बालिकाएँ औसत स्तर का शैक्षिक प्रदर्शन कर पाती हैं।

2. जिन जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन औसत से कम स्तर का पाया जाता हैं उसे ऊपर उठाने के लिए व्याख्याताओं द्वारा कई प्रकार के प्रयास किये जाते हैं, यथा–
    - सामान्य कक्षा–कक्ष अध्ययन के अतिरिक्त शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाशों एवं महाविद्यालय समय से पूर्व तथा पश्चात् अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन।
    - कक्षा–कक्ष शिक्षण के दौरान विभिन्न ICT उपकरणों यथा– प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर इत्यादि का प्रयोग।
    - कमजोर जनजातीय बालिकाओं का निदानात्मक परीक्षण लेकर उनके लिए उपचारात्मक पाठों का आयोजन।
    - समय–समय पर जनजातीय बालिकाओं से व्यक्तिगत संवाद।
3. व्याख्याताओं द्वारा उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाली तथा सृजनशील जनजातीय बालिकाओं के लिए भी कई प्रकार के प्रयास किये जाते हैं यथा–
    - व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त मार्गदर्शन देकर।
    - अतिरिक्त अध्ययन सामग्री जैसे–सन्दर्भ पुस्तकें इत्यादि देकर।
    - विभिन्न शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर देकर।
4. सभी व्याख्याताओं ने स्वीकार किया कि अन्य बालिकाओं की तुलना में महाविद्यालय की सह शैक्षणिक गतिविधियों में जनजातीय बालिकाओं की

सहभागिता अपेक्षाकृत कम रहती है। इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए व्याख्याता इन बालिकाओं को सह शैक्षणिक गतिविधियों का महत्त्व समझाते हैं, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की सफल जनजातीय महिलाओं के उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं।

4.2.7 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर अभिभावकों का अभिमत

उच्च शिक्षा में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति पर अभिभावकों का अभिमत जानने के लिए 4 ग्रामीण तथा 4 शहरी महाविद्यालयों के कुल 32 अभिभावकों का साक्षात्कार लिया गया था जिसका विश्लेषण निम्नलिखित है–

1. अधिकांश अभिभावकों द्वारा जनजातीय बालिकाओं को घर पर पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी तो उपलब्ध करवाई गई है लेकिन पृथक अध्ययन कक्ष की व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है। इसके अलावा कम्प्यूटर जैसी आधुनिक सुविधा तो किसी भी अभिभावक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
2. सभी अभिभावकों ने स्वीकार किया कि उनकी बालिका को अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है।
3. अधिकांश अभिभावकों के अनुसार महाविद्यालय में उनकी बालिकाओं के लिए एक पृथक 'विश्राम कक्ष' की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. 75 प्रतिशत अभिभावकों ने यह भी मांग रखी कि महाविद्यालय में एक ऐसा दिन निश्चित किया जाना चाहिए जब वे अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष रख सकें। यह दिन साप्ताहिक अथवा मासिक हो सकता है। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं की गई है।

4.3 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति का पृथक–पृथक विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार है–

4.3.1 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवार का स्वरुप

सारणी 4.7

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार का स्वरुप

परिवार का स्वरुप	प्रतिशत
संयुक्त	56.25
एकल	43.75
कुल योग	**100**

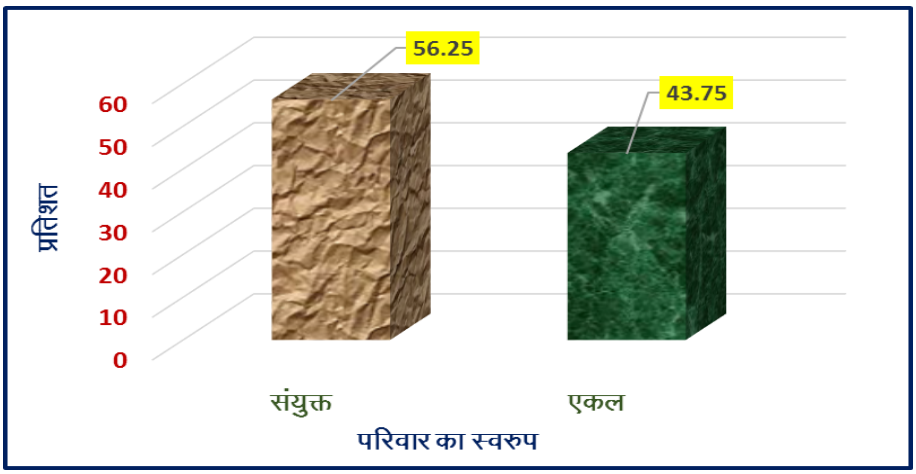

आरेख 4.7

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार का स्वरुप

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.7 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् 56.25 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ संयुक्त परिवारों में रहती हैं जबकि 43.75 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ एकल परिवारों में रहती हैं। इस

प्रकार दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार प्रथा बहुतायत में पाई जाती है।

सारणी 4.8

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार का स्वरुप

परिवार का प्रकार	प्रतिशत
संयुक्त	39.37
एकल	60.63
कुल योग	**100**

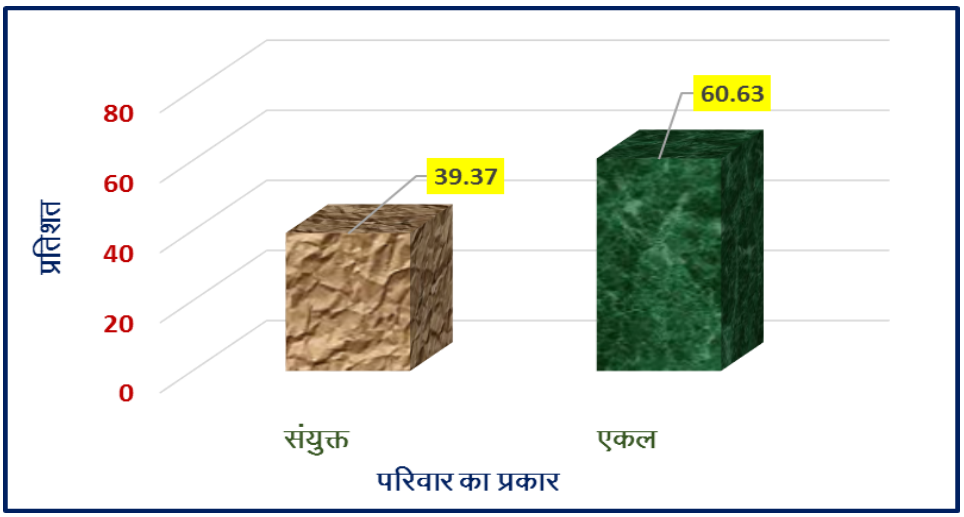

आरेख 4.8

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार का स्वरुप

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.8 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् 39.37 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ संयुक्त परिवारों में रहती हैं जबकि 60.63 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ एकल परिवारों में रहती हैं। इस प्रकार दक्षिणी राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रथा कम होती जा रही है।

4.3.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के माता–पिता का शैक्षिक स्तर

सारणी 4.9

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के माता–पिता का शैक्षिक स्तर

शिक्षा के स्तर	पिता की शिक्षा	माता की शिक्षा
	प्रतिशत	प्रतिशत
साक्षर	22.50	29.38
प्राथमिक	38.75	41.25
माध्यमिक	26.25	21.87
उच्च माध्यमिक	9.38	7.50
स्नातक	3.12	0.00
स्नातकोत्तर	0.00	0.00
कुल योग	**100**	**100**

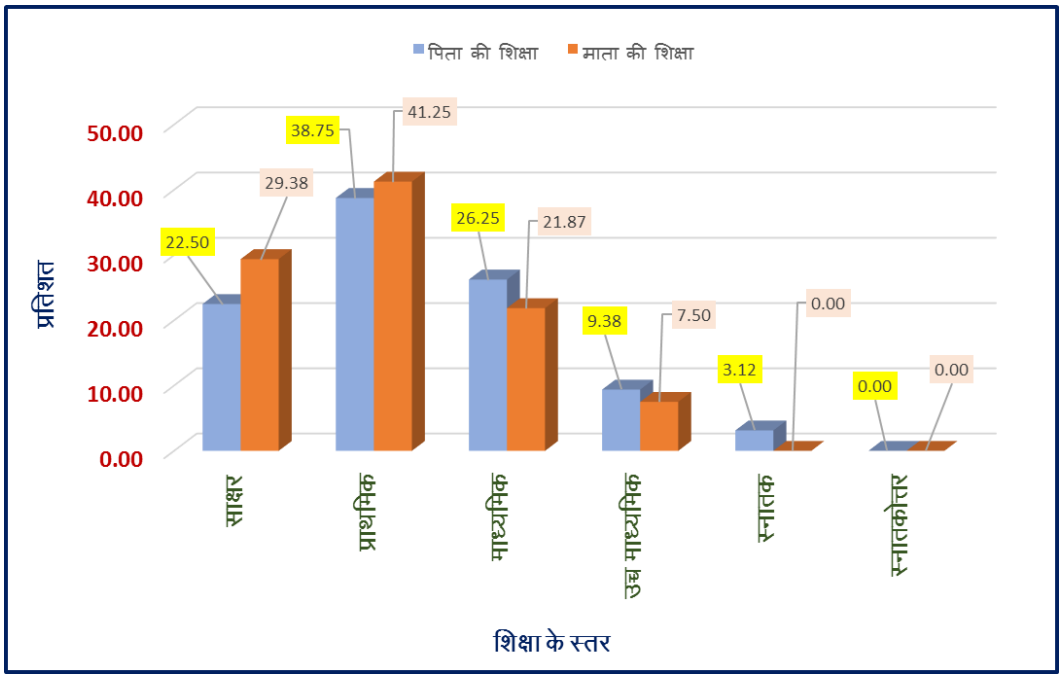

आरेख 4.9

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के माता–पिता का शैक्षिक स्तर

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.9 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् 38.75 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के पिता ने प्राथमिक स्तर

की, 26.25 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर की, 9.38 प्रतिशत ने उच्च माध्यमिक स्तर की तथा 3.12 प्रतिशत ने स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् किसी ग्रामीण जनजातीय बालिका के पिता ने ग्रहण नहीं की है वहीं 22.50 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के पिता सिर्फ साक्षर पाये गये हैं।

वहीं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् 41.25 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की माता ने प्राथमिक स्तर की, 21.84 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर की तथा 7.50 प्रतिशत ने उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् किसी ग्रामीण जनजातीय बालिका की माता ने ग्रहण नहीं की है वहीं 29.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की माता सिर्फ साक्षर पाई गई हैं।

सारणी 4.10

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के माता_पिता का शैक्षिक स्तर

शिक्षा के स्तर	पिता की शिक्षा	माता की शिक्षा
	प्रतिशत	प्रतिशत
साक्षर	13.13	23.12
प्राथमिक	32.50	36.88
माध्यमिक	30.00	25.00
उच्च माध्यमिक	13.13	9.38
स्नातक	7.50	3.75
स्नातकोत्तर	3.74	1.87
कुल योग	**100**	**100**

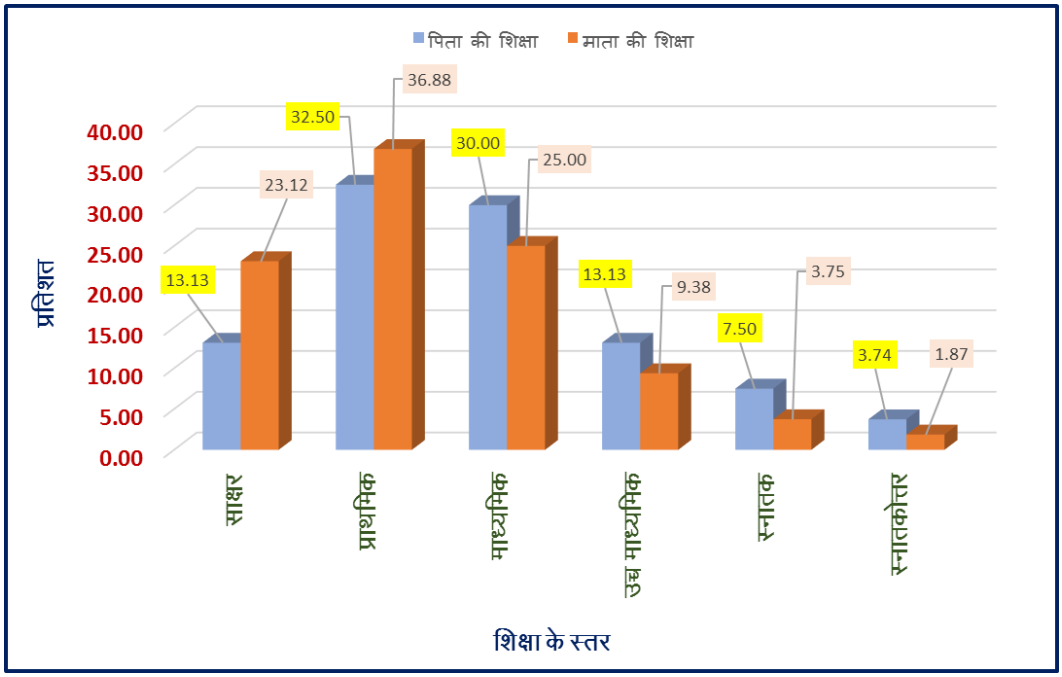

आरेख 4.10

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के माता–पिता का शैक्षिक स्तर

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.10 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् 32.50 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के पिता ने प्राथमिक स्तर की, 30.00 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर की, 13.13 प्रतिशत ने उच्च माध्यमिक स्तर की तथा 7.50 प्रतिशत ने स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् मात्र 3.74 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के पिता ने ग्रहण की है वहीं 13.13 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के पिता सिर्फ साक्षर पाये गये हैं।

वहीं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् 36.88 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं की माता ने प्राथमिक स्तर की, 25.00 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर की, 9.38 प्रतिशत ने उच्च माध्यमिक स्तर की तथा 3.75 प्रतिशत ने स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् मात्र 1.87 प्रतिशत शहरी

जनजातीय बालिकाओं की माता ने ग्रहण की है जबकि 23.12 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं की माता सिर्फ साक्षर पाई गई हैं।

4.4 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति का पृथक–पृथक विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार है–

4.4.1 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वैवाहिक स्थिति

सारणी 4.11

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत
विवाहित	68.13
अविवाहित	28.13
तलाकशुदा	3.75
कुल योग	**100**

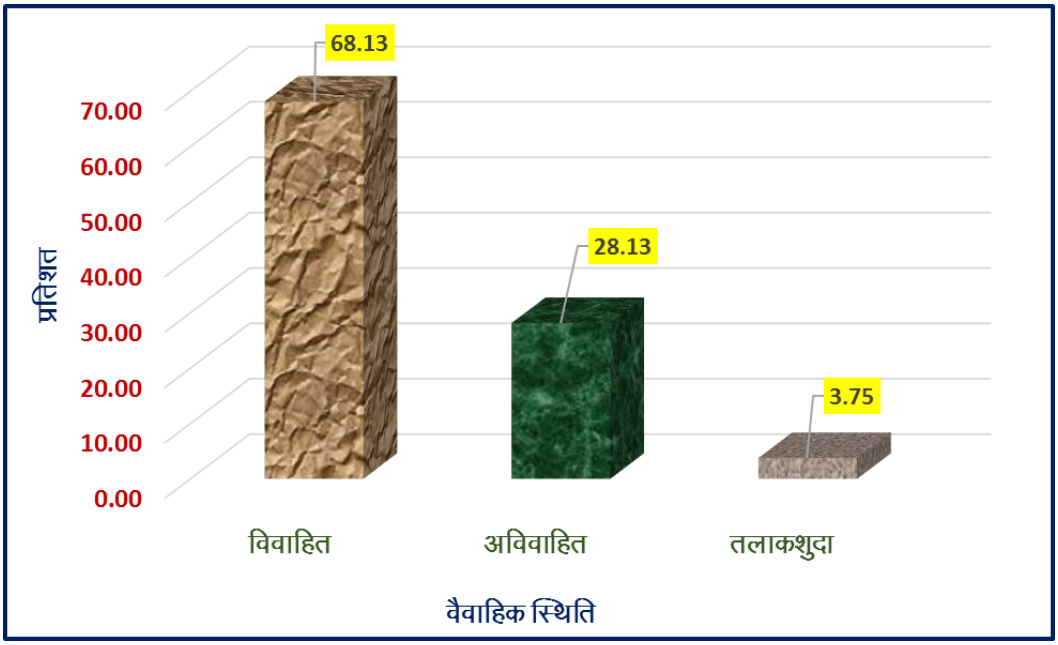

आरेख 4.11

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की वैवाहिक स्थिति

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.11 से स्पष्ट होता है कि 68.13 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ विवाहित हैं जबकि 18.13 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ विवाहित हैं। 3.75 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ ऐसी भी पाई गई जो विभिन्न कारणों से तलाकशुदा हैं।

सारणी 4.12

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत
विवाहित	59.38
अविवाहित	35.00
तलाकशुदा	5.63
कुल योग	**100**

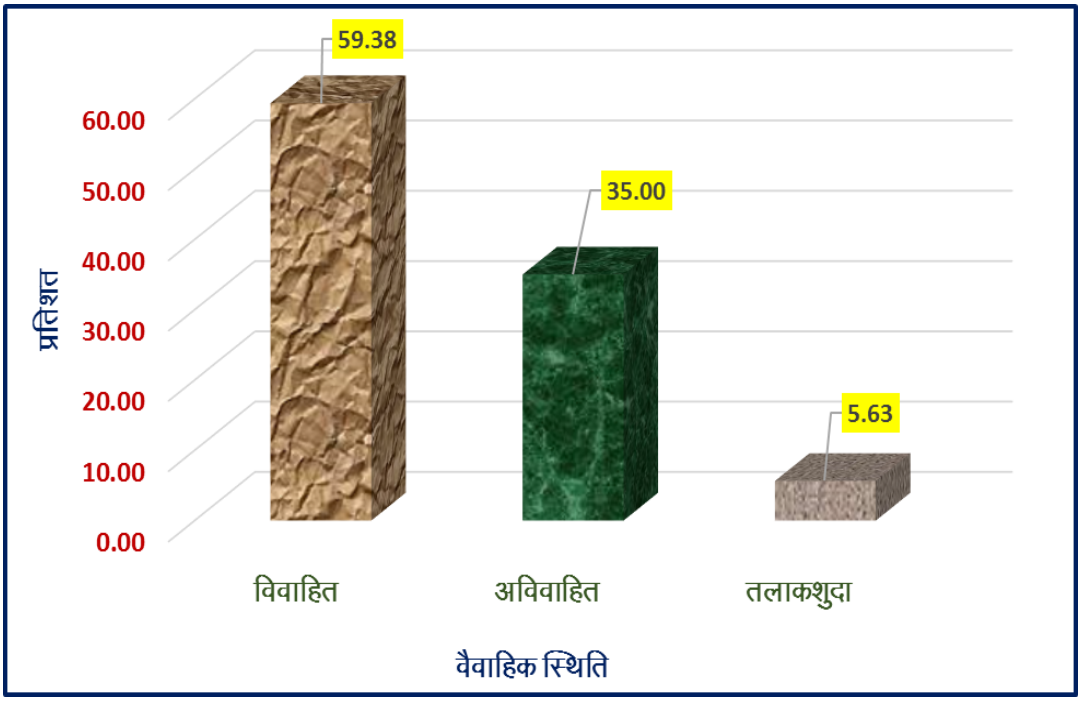

आरेख 4.12

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं की वैवाहिक स्थिति

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.12 से स्पष्ट होता है कि 59.38 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ विवाहित हैं जबकि 35.00 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ विवाहित हैं। 5.63 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ ऐसी भी पाई गई जो विभिन्न कारणों से तलाकशुदा हैं।

4.4.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवार की निवास सुविधा

सारणी 4.13

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की निवास सुविधा

निवास की सुविधा	प्रतिशत
निजी	16.24
किराये का	27.50
राजकीय आवास	36.88

कुल योग	**80.62**

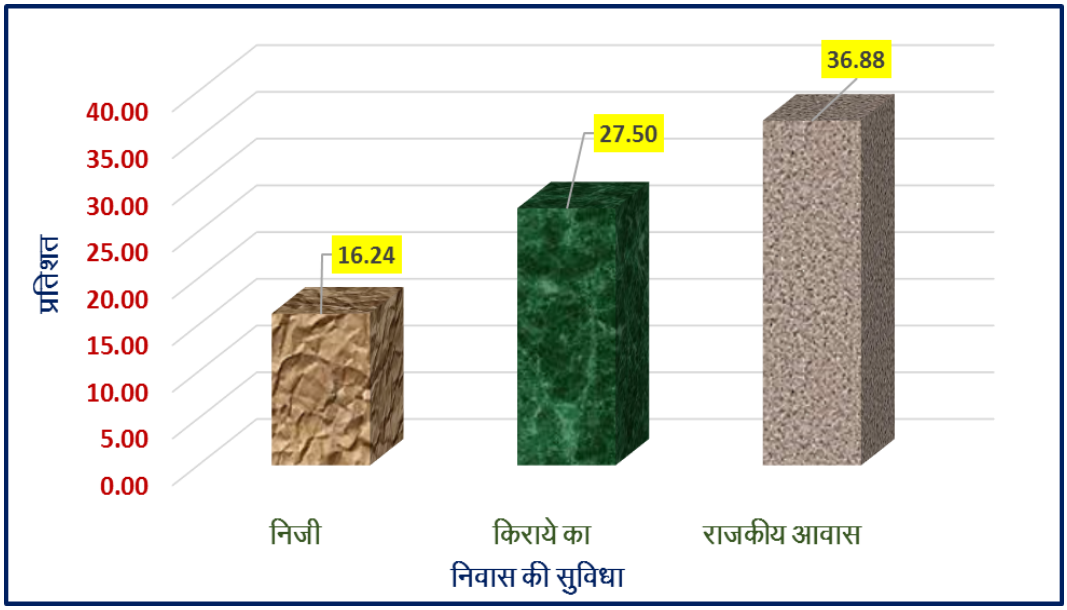

आरेख 4.13

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की निवास सुविधा

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.13 से स्पष्ट होता है कि 16.24 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं का परिवार अपने निजी आवास में रहता है जबकि 27.50 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार के पास स्वयं का मकान नहीं होने से वे किराये के मकान में रहते हैं। वहीं 36.88 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार राजकीय आवास में रहते हैं।

सारणी 4.14

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की निवास सुविधा

निवास की सुविधा	प्रतिशत
निजी	23.75
किराये का	71.25
राजकीय आवास	5.00

कुल योग	**100**

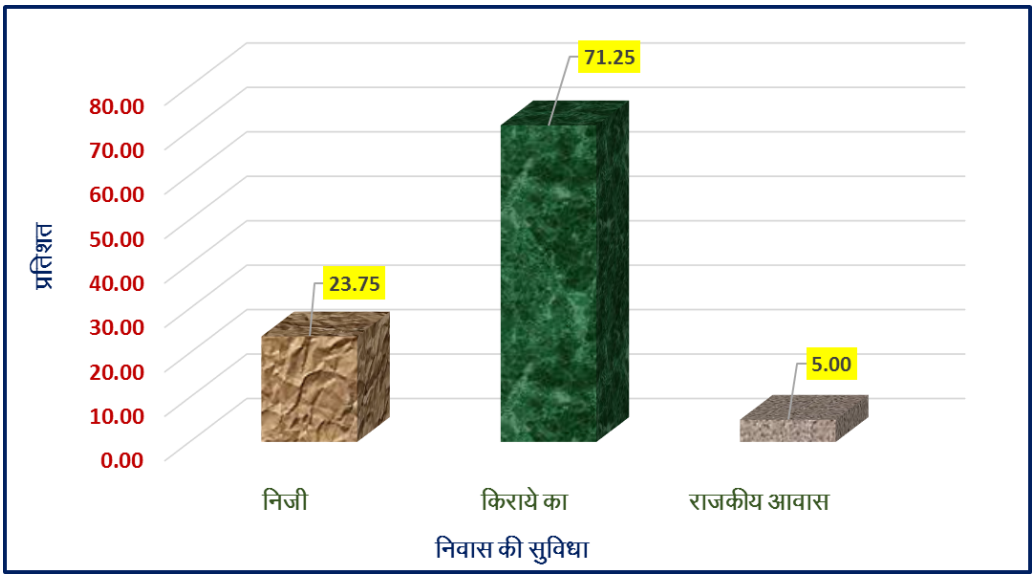

आरेख 4.14

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की निवास सुविधा

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.14 से स्पष्ट होता है कि 23.75 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं का परिवार अपने निजी आवास में रहता है जबकि 71.25 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार के पास स्वयं का मकान नहीं होने से वे किराये के मकान में रहते हैं। वहीं 5.00 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार राजकीय आवास में रहते हैं।

4.4.3 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के मकान का प्रकार

सारणी 4.15

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के मकान का प्रकार

मकान का प्रकार	प्रतिशत
कच्चा	64.37
पक्का	35.63

कुल योग	**100**

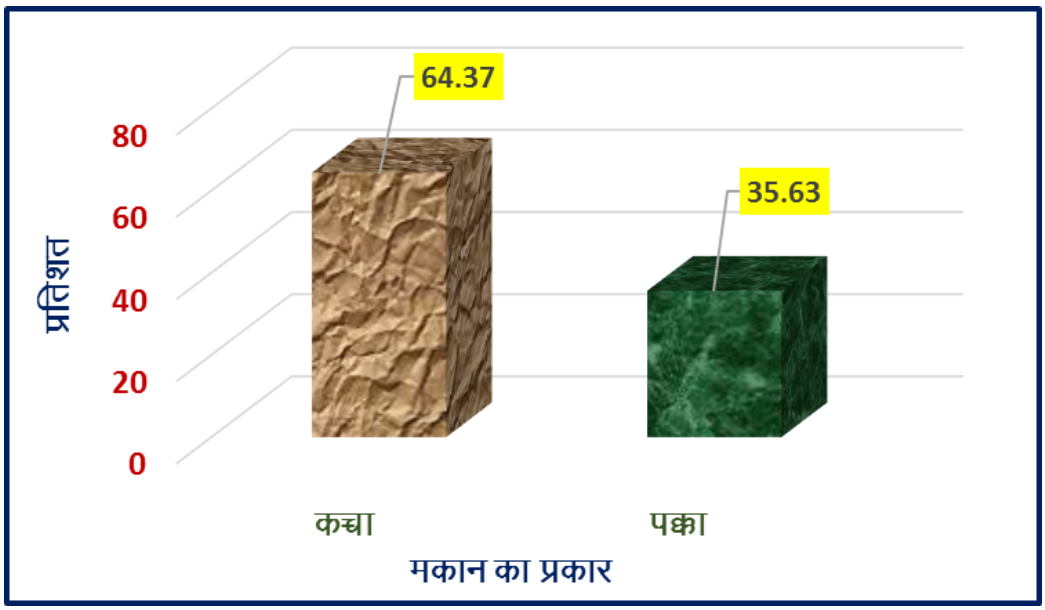

आरेख 4.15

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के मकान का प्रकार

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.15 से स्पष्ट होता है कि 64.37 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार कच्चे मकानों में जबकि 35.63 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार पक्के मकानों में रहते हैं।

सारणी 4.16

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के मकान का प्रकार

मकान का प्रकार	प्रतिशत
कच्चा	13.13
पक्का	86.87
कुल योग	**100**

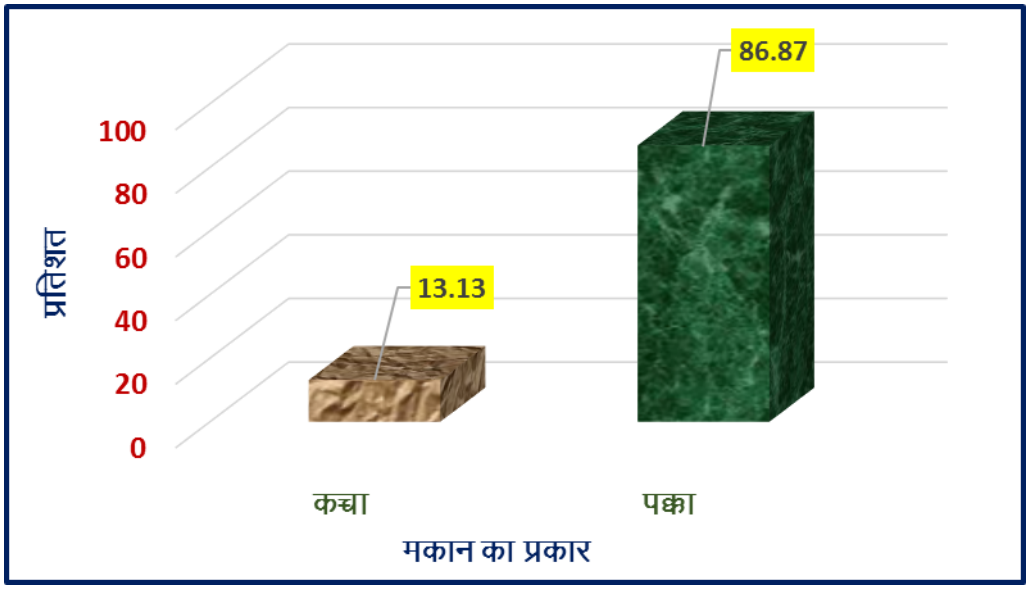

आरेख 4.16

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के मकान का प्रकार

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.16 से स्पष्ट होता है कि मात्र 13.13 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार ही कच्चे मकानों में जबकि 86.87 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार पक्के मकानों में रहते हैं।

4.4.4 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवारों को बिजली की उपलब्धता

सारणी 4.17

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों को बिजली की उपलब्धता

बिजली की उपलब्धता	प्रतिशत
हाँ	90.00
नहीं	10.00
कुल योग	**100**

आरेख 4.17

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों को बिजली की उपलब्धता

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.17 से स्पष्ट होता है कि 90 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है जबकि मात्र 10 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के घरों में ही बिजली की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

सारणी 4.18

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों को बिजली की उपलब्धता

बिजली की उपलब्धता	प्रतिशत
हाँ	100.00
नहीं	0.00
	100

कुल योग	

आरेख 4.18

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों को बिजली की उपलब्धता

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.18 से स्पष्ट होता है कि शत् प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। एक भी शहरी जनजातीय बालिका ऐसी नहीं है जिसे अपने घर पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

4.4.5 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवारों का पेयजल स्रोत

सारणी 4.19

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों का पेयजल स्रोत

पेयजल स्रोत	प्रतिशत
कुंआ	55.00
हेंडपंप	35.62
नल	9.38
कुल योग	**100**

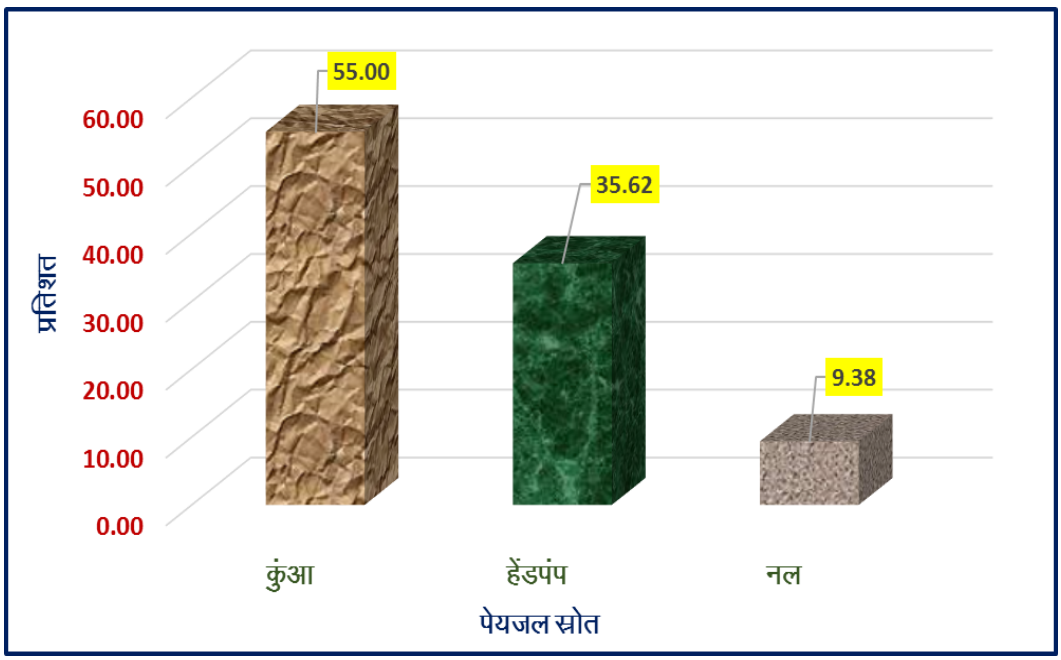

आरेख 4.19

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों का पेयजल स्रोत

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.19 से स्पष्ट होता है कि 55 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पेयजल का स्रोत कुंआ, 35.62 प्रतिशत परिवारों का हेंडपंप तथा 9.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय परिवारों के पेयजल का मुख्य स्रोत नल है।

सारणी 4.20

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों का पेयजल स्रोत

पेयजल स्रोत	प्रतिशत
कुंआ	7.50
हेंडपंप	34.37
नल	58.13
कुल योग	**100**

आरेख 4.20

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों का पेयजल स्रोत

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.20 से स्पष्ट होता है कि 7.50 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पेयजल का स्रोत कुंआ, 34.37 प्रतिशत परिवारों का हेंडपंप तथा 58.13 प्रतिशत शहरी जनजातीय परिवारों के पेयजल का मुख्य स्रोत नल है।

4.4.6 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन

सारणी 4.21

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन

संचार के साधन	प्रतिशत
टीवी	40.00
रेडियो	53.12
अख़बार	6.88
कुल योग	**100**

आरेख 4.21

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.21 से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन के रूप में टीवी, 53.12

प्रतिशत परिवारों में रेडियो जबकि 6.88 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन के रूप में अख़बार उपलब्ध है।

सारणी 4.22

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन

संचार के साधन	प्रतिशत
टीवी	24.38
रेडियो	60.00
अख़बार	15.62
कुल योग	**100**

आरेख 4.22

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.22 से स्पष्ट होता है कि 24.38 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन के रूप में टीवी, 60

प्रतिशत परिवारों में रेडियो जबकि 15.62 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों में संचार के साधन के रूप में अख़बार उपलब्ध है।

4.4.7 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के लिए महाविद्यालय जाने का साधन

सारणी 4.23

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के लिए महाविद्यालय जाने का साधन

महाविद्यालय जाने का साधन	प्रतिशत
पैदल	21.24
साईकिल	27.50
दुपहिया वाहन	4.38
अन्य	46.88
कुल योग	**100**

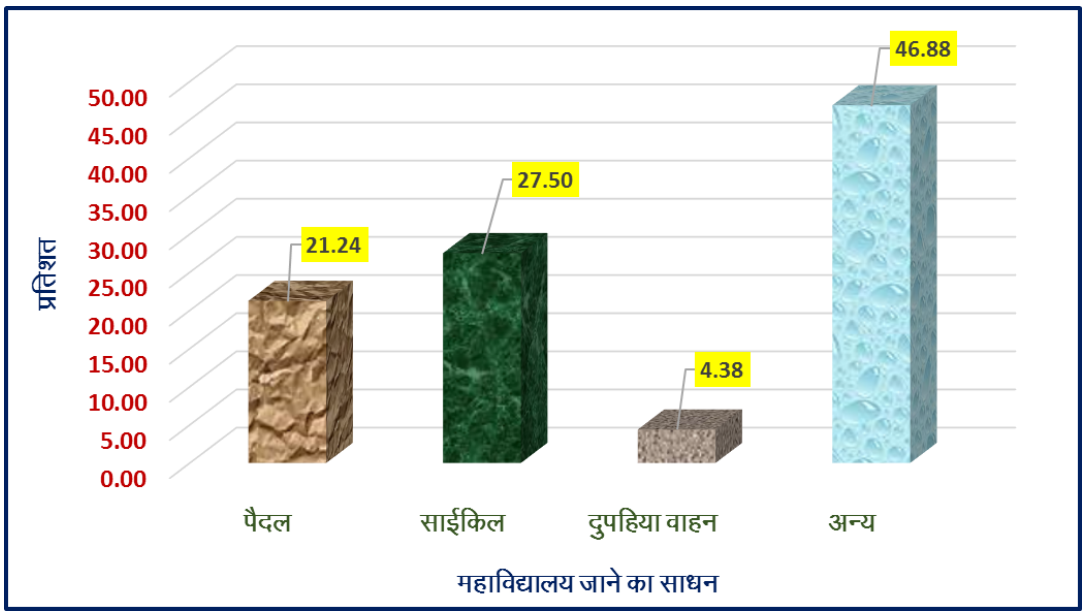

आरेख 4.23

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के लिए महाविद्यालय जाने का साधन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.23 से स्पष्ट होता है कि 27.50 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के पास महाविद्यालय जाने के लिए साईकिल तथा 4.38 प्रतिशत बालिकाओं को दुपहिया वाहन जैसे स्कूटी आदि की सुविधा उपलब्ध है जबकि 46.88 प्रतिशत बालिकाएँ किराया देकर आवागमन के विभिन्न साधनों से महाविद्यालय जाती हैं। वहीं 21.24 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ ऐसी भी हैं जो रोजाना पैदल ही महाविद्यालय जाती हैं।

सारणी 4.24

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के लिए महाविद्यालय जाने का साधन

महाविद्यालय जाने का साधन	प्रतिशत
पैदल	16.25
साईकिल	39.38
दुपहिया वाहन	20.00
अन्य	24.37
कुल योग	**100**

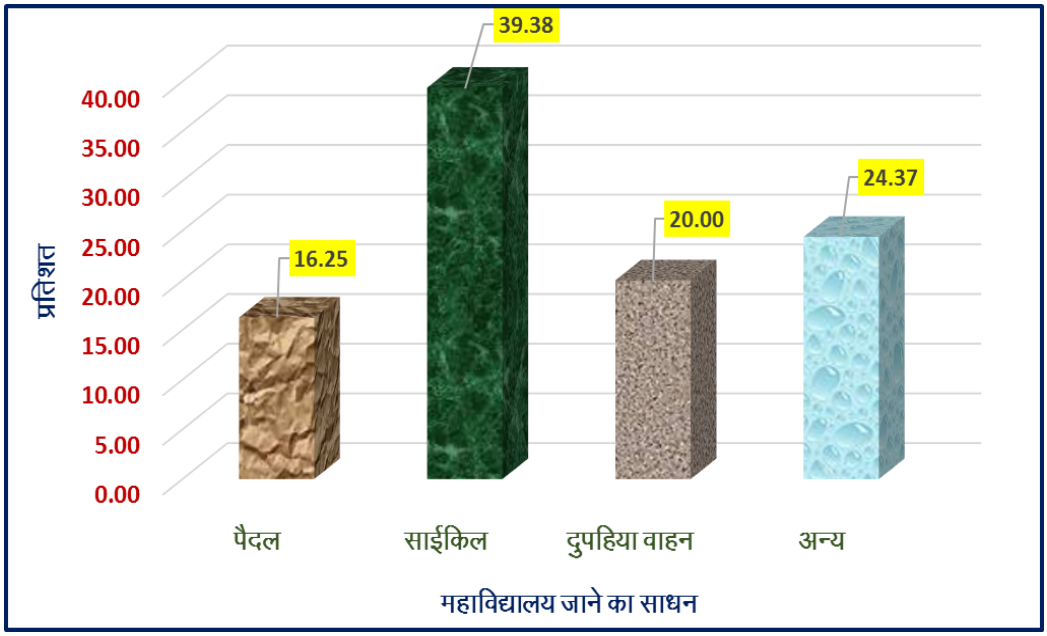

आरेख 4.24

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के लिए महाविद्यालय जाने का साधन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.24 से स्पष्ट होता है कि 39.38 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के पास महाविद्यालय जाने के लिए साईकिल तथा 20 प्रतिशत बालिकाओं को दुपहिया वाहन जैसे स्कूटी आदि की सुविधा उपलब्ध है जबकि 24.37 प्रतिशत बालिकाएँ किराया देकर आवागमन के विभिन्न साधनों से महाविद्यालय जाती हैं। वहीं 16.25 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ ऐसी भी हैं जो रोजाना पैदल ही महाविद्यालय जाती हैं।

4.5 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति का पृथक–पृथक विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार है–

4.5.1 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

सारणी 4.25

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

पिता का व्यवसाय	प्रतिशत
मजदूरी	58.12
कृषि	27.50
निजी सेवा	8.13
राजकीय सेवा	3.75
व्यापार	2.50
कुल योग	**100**

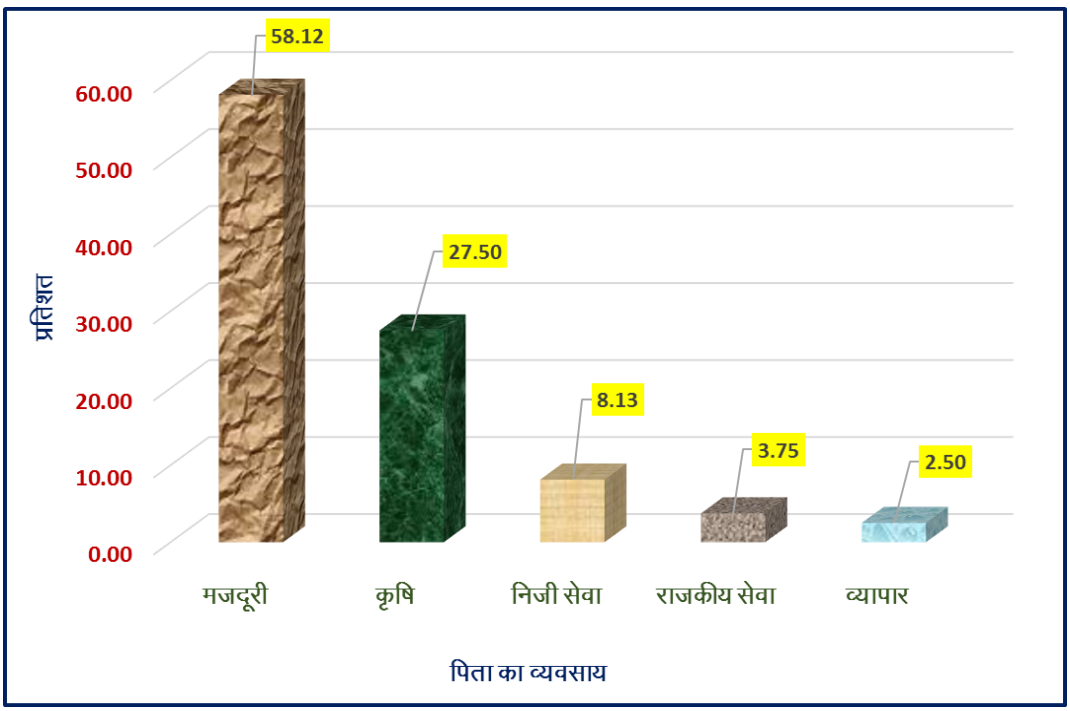

आरेख 4.25

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.25 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं में 58.12 प्रतिशत के पिता मजदूरी, 27.50 प्रतिशत के पिता कृषि, 8.13 प्रतिशत के पिता निजी सेवा, 3.75 प्रतिशत के पिता राजकीय सेवा तथा 2.50 प्रतिशत के पिता व्यापार इत्यादि व्यवसायों में संलग्न हैं।

सारणी 4.26

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

पिता का व्यवसाय	प्रतिशत
मजदूरी	65.00
कृषि	7.50
निजी सेवा	17.50
राजकीय सेवा	6.25
व्यापार	3.75
कुल योग	**100**

आरेख 4.26

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.26 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं में 65.00 प्रतिशत के पिता मजदूरी, 7.50 प्रतिशत के पिता कृषि, 17.50 प्रतिशत के पिता निजी सेवा, 6.25 प्रतिशत के पिता राजकीय सेवा तथा 3.75 प्रतिशत के पिता व्यापार इत्यादि व्यवसायों में संलग्न हैं।

4.5.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की माता का व्यवसाय

सारणी 4.27

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की माता का व्यवसाय

माता का व्यवसाय	प्रतिशत
गृहणी	12.50
मजदूरी	21.87
कृषि	28.13
निजी सेवा	37.50
राजकीय सेवा	0.00
व्यापार	0.00
कुल योग	**100.00**

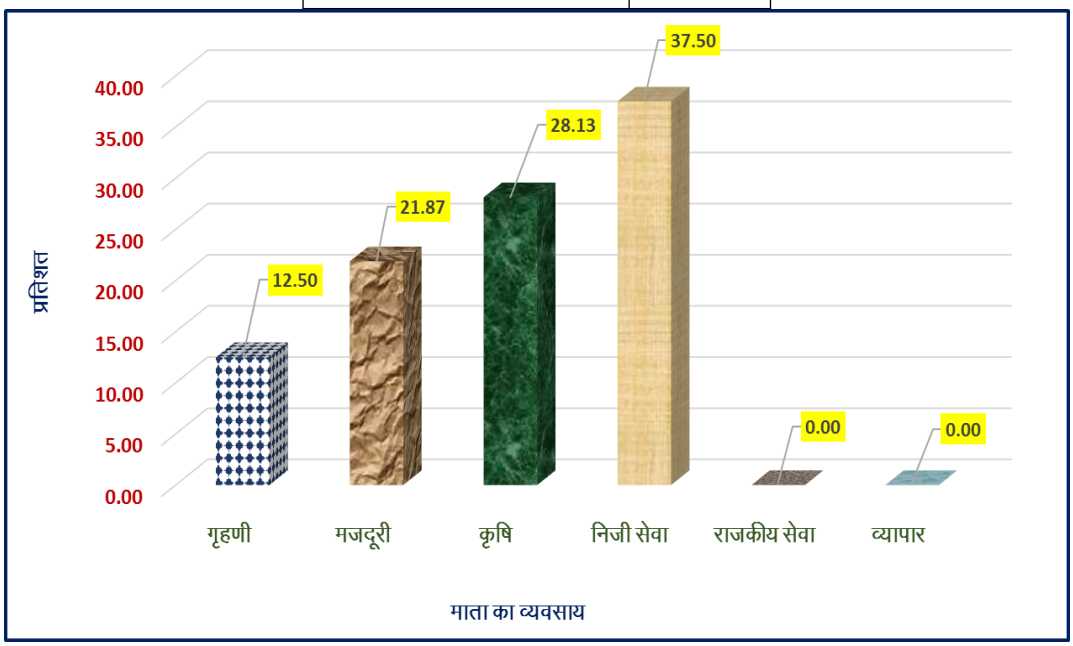

आरेख 4.27

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की माता का व्यवसाय

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.27 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं में 21.87 प्रतिशत की माता मजदूरी, 28.13 प्रतिशत की माता कृषि तथा 37.50 प्रतिशत की माता निजी सेवा में संलग्न हैं। वहीं 12.50 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की माता सिर्फ गृहणी हैं।

सारणी 4.28

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं की माता का व्यवसाय

माता का व्यवसाय	प्रतिशत
गृहणी	20.62
मजदूरी	30.63
कृषि	3.75
निजी सेवा	43.75
राजकीय सेवा	1.25
व्यापार	0.00
कुल योग	**100.00**

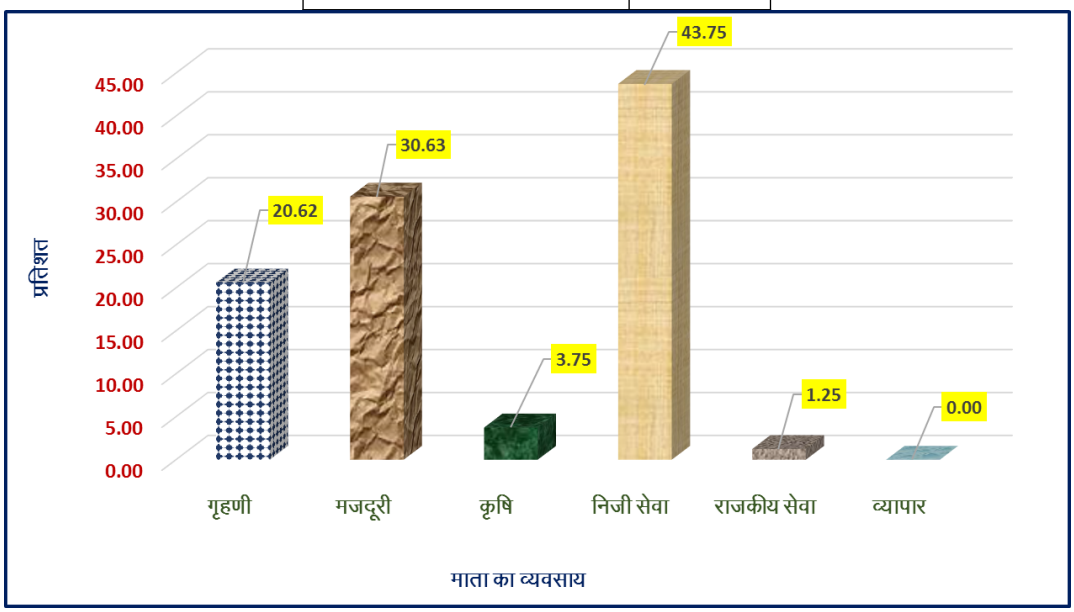

आरेख 4.28

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं की माता का व्यवसाय

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.28 से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं में 30.63 प्रतिशत की माता मजदूरी, 3.75 प्रतिशत की माता कृषि, 43.75 प्रतिशत की माता निजी सेवा तथा 1.25 प्रतिशत की माता राजकीय सेवा में संलग्न हैं। वहीं 20.62 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं की माता सिर्फ गृहणी हैं।

4.5.3 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय

सारणी 4.29

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय

परिवार की मासिक आय	प्रतिशत
2000 से 3000	16.24
3000 से 5000	27.50
5000 से 10000	36.88
10000 से ऊपर	19.38
कुल योग	**100**

आरेख 4.29

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.29 से स्पष्ट होता है कि 16.24 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय 2000 से 3000 हज़ार, 27.50 प्रतिशत की 3000 से 5000 हज़ार, 36.88 प्रतिशत की 5000 से 10000 हज़ार एवं 19.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय 10000 हज़ार से अधिक है।

सारणी 4.30

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय

परिवार की मासिक आय	प्रतिशत
2000 से 3000	0.00
3000 से 5000	19.37
5000 से 10000	26.25
10000 से ऊपर	54.38
कुल योग	**100**

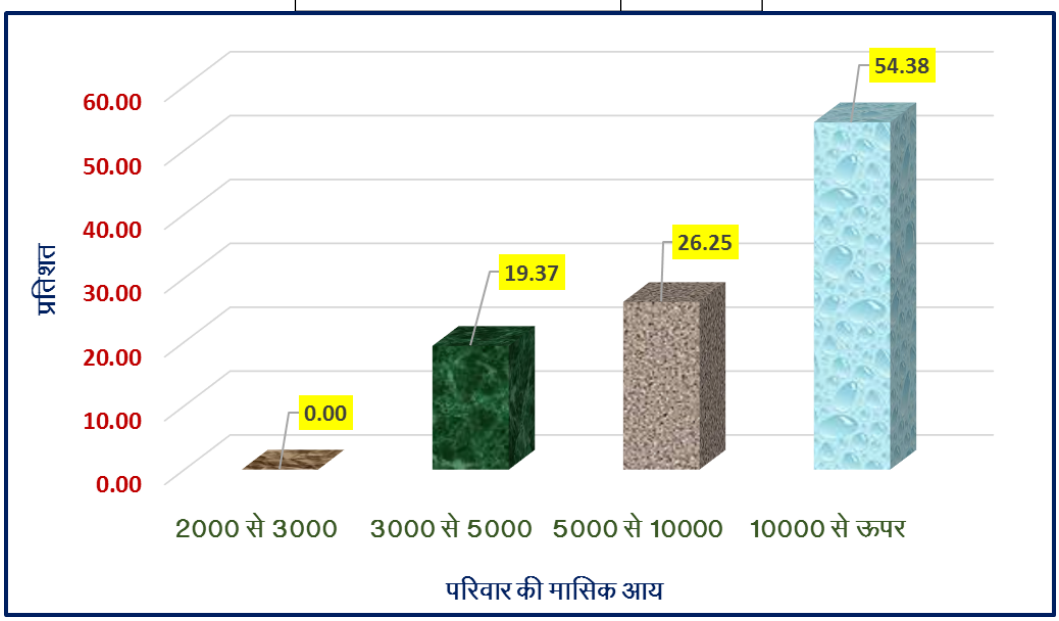

आरेख 4.30

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.30 से स्पष्ट होता है कि 19.37 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय 3000 से 5000 हज़ार, 26.25 प्रतिशत की 5000 से 10000 हज़ार एवं 54.38 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की मासिक आय 10000 हज़ार से अधिक है। किसी भी शहरी जनजातीय बालिका के परिवार की मासिक आय 2000 हज़ार से कम नहीं है।

4.5.4 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवार की श्रेणी

सारणी 4.31

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की श्रेणी

परिवार की श्रेणी	प्रति व्यक्ति मासिक आय (रु.)	प्रतिशत
एपीएल	338 से अधिक	24.38
बीपीएल	338 से कम	75.62
	कुल योग	**100**

आरेख 4.31

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार की श्रेणी

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.31 से स्पष्ट होता है कि 24.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार एपीएल यानि गरीबी की रेखा से उपर की श्रेणी में आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 338 रुपये से अधिक है। वहीं 75.62 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवार बीपीएल यानि गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 338 रुपये से कम है।

सारणी 4.32

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की श्रेणी

परिवार की श्रेणी	प्रति व्यक्ति मासिक आय (रु.)	प्रतिशत
एपीएल	558 से अधिक	36.88
बीपीएल	558 से कम	63.12
	कुल योग	**100**

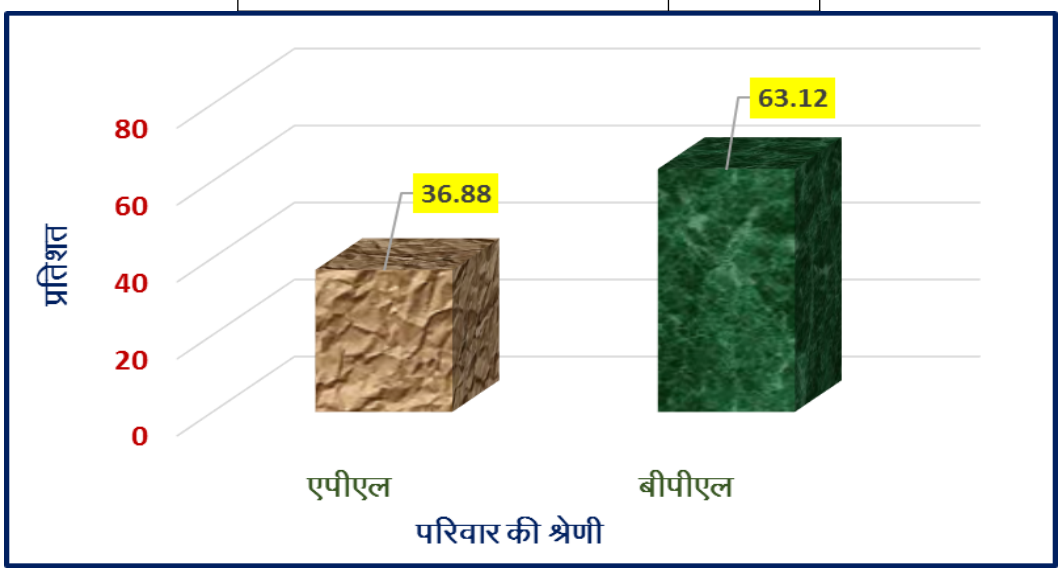

आरेख 4.32

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार की श्रेणी

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.32 से स्पष्ट होता है कि 36.68 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार एपीएल यानि गरीबी की रेखा से उपर की श्रेणी में आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 558 रुपये से अधिक है। वहीं 63.12 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवार बीपीएल यानि गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 558 रुपये से कम है।

4.5.5 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास खेती योग्य जमीन की उपलब्धता

सारणी 4.33

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास खेती योग्य जमीन

खेती योग्य जमीन	प्रतिशत
1 से 5 बीघा	22.50
6 से 10 बीघा	47.50
11 से 15 बीघा	30.00
बिलकुल नहीं	0.00
कुल योग	**100.00**

आरेख 4.33

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास खेती योग्य जमीन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.33 से स्पष्ट होता है कि 22.50 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास 1 से 5 बीघा, 47.50 प्रतिशत परिवारों के पास 6 से 10 बीघा तथा शेष 30 प्रतिशत परिवारों के पास 11 से 15 बीघा खेती योग्य जमीन उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी जनजातीय परिवार बिना खेती योग्य जमीन वाला नहीं है।

सारणी 4.34

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास खेती योग्य जमीन

खेती योग्य जमीन	प्रतिशत
1 से 5 बीघा	17.50
6 से 10 बीघा	35.63
11 से 15 बीघा	24.37
बिलकुल नहीं	22.50
कुल योग	**100.00**

आरेख 4.34

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास खेती योग्य जमीन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 4.34 से स्पष्ट होता है कि 17.50 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं के परिवारों के पास 1 से 5 बीघा, 35.63 प्रतिशत परिवारों के पास 6 से 10 बीघा तथा 24.37 प्रतिशत परिवारों के पास 11 से 15 बीघा खेती योग्य जमीन उपलब्ध है। वहीं 22.50 प्रतिशत शहरी जनजातीय परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास कोई खेती योग्य जमीन उपलब्ध नहीं है।

4.6 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का क्षेत्रवार एवं समग्र तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार है–

4.6.1 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का क्षेत्रवार तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 4.35

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का क्षेत्रवार तुलनात्मक विश्लेषण

वर्तमान स्थिति	बालिका समूह	N	मध्यमान	मध्यमान अन्तर	मानक विचलन	'टी' मान	परिणाम
शैक्षिक	ग्रामीण	160	1.80	**0.19**	0.56	**2.83**	सार्थक (.01)
	शहरी	160	1.99		0.66		
पारिवारिक	ग्रामीण	160	5.96	**0.64**	2.13	**2.78**	सार्थक (.01)
	शहरी	160	6.59		1.97		
सामाजिक	ग्रामीण	160	9.35	**2.28**	3.48	**5.01**	सार्थक (.01)
	शहरी	160	11.63		4.59		
आर्थिक	ग्रामीण	160	9.21	**0.63**	2.21	**2.59**	सार्थक (.01)
	शहरी	160	9.84		2.14		

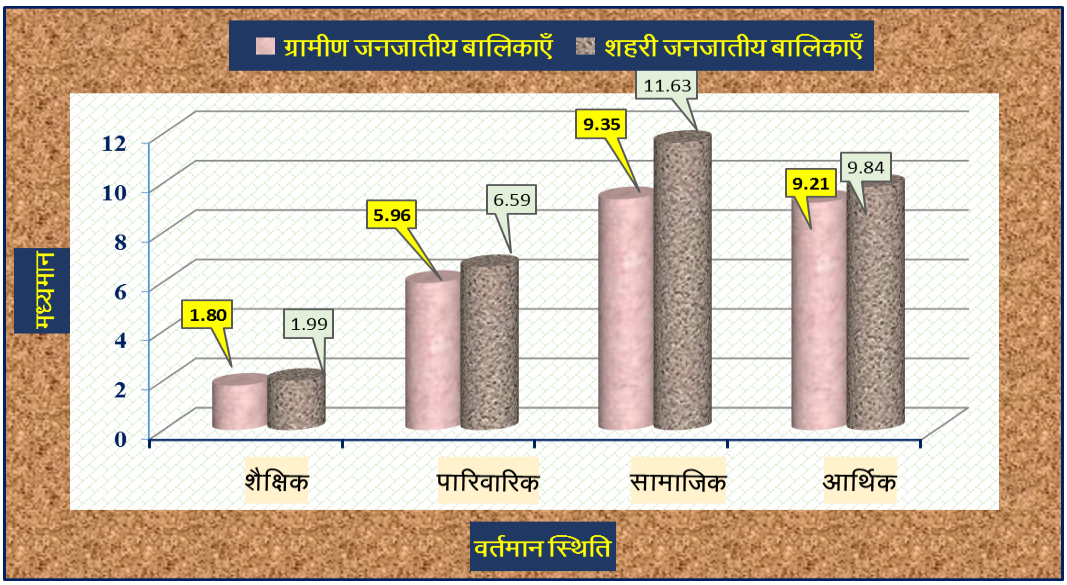

आरेख 4.35

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का क्षेत्रवार तुलनात्मक आरेखन

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख संख्या 4.35 के अवलोकन से स्पष्ट है कि–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के प्रथम क्षेत्र 'शैक्षिक स्थिति' के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 1.80 एवं 1.99 तथा मानक विंचलन क्रमशः 0.56 एव 0.66 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 2.83 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.19 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

   अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सार्थक अंतर विद्यमान है। सुदृढ़ शैक्षिक पृष्ठभूमि, नामांकन स्थिति, शिक्षण–अधिगम सुविधाओं के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति बेहतर है।

2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के द्वितीय क्षेत्र 'पारिवारिक स्थिति' के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 5.96 एवं 6.59 तथा मानक विंचलन क्रमशः 2.13 एव

1.97 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 2.78 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.64 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति में सार्थक अंतर विद्यमान है। शिक्षित अभिभावकों के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति बेहतर है।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के तृतीय क्षेत्र 'सामाजिक स्थिति' के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 9.35 एवं 11.63 तथा मानक विंचलन क्रमशः 3.48 एव 4.59 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 5.01 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति से सम्बंधित मध्यमानों में जो 2.28 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सार्थक अंतर विद्यमान है। परिवार में सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली समस्त साधन–सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर है।

4. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के चतुर्थ क्षेत्र 'आर्थिक स्थिति' के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 9.21 एवं 9.84 तथा मानक विंचलन क्रमशः 2.21 एव 2.14 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 2.59 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति से सम्बंधित मध्यमानों में जो 2.28 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर विद्यमान है। उन्नत व्यावसायिक स्थिति, उच्च पारिवारिक आय एवं उच्च प्रति व्यक्ति आय के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर है।

4.6.2 समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 4.36

समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण

बालिका समूह	N	मध्यमान	मध्यमान अन्तर	मानक विचलन	'टी' मान	परिणाम
ग्रामीण	160	26.32	**3.74**	6.27	**5.68**	सार्थक (.01)
शहरी	160	30.06		5.49		

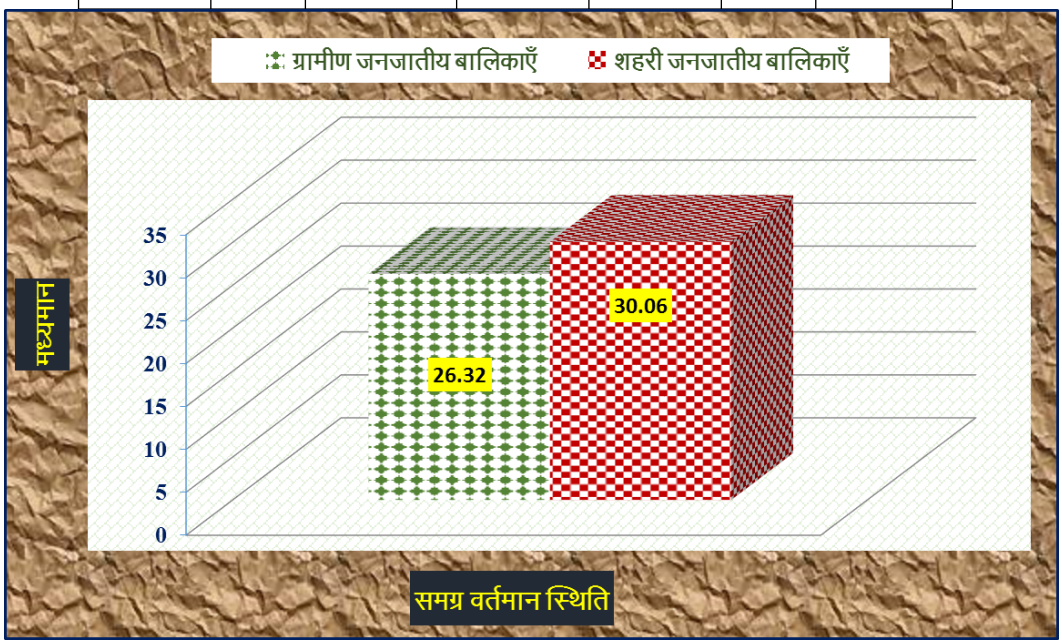

आरेख 4.36

समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक आरेखन

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख संख्या 4.36 के अवलोकन से स्पष्ट है कि–

समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 26.32 एवं 30.06 तथा मानक विंचलन क्रमशः 6.27 एव 5.49 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 5.68 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति से सम्बंधित मध्यमानों में जो 3.74 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति में सार्थक अंतर विद्यमान है। सुदृढ़ शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति समग्र रूप से बेहतर है।

4.7 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद में में दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं की शैक्षिक, पारिवारिक तथा सामाजिक–आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में पृथक–पृथक किया गया। इसके पश्चात् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति का पहले क्षेत्रवार तदुपरांत समग्र रूप से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

उक्त विश्लेषण में ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई। शहरी महाविद्यालयों में ग्रामीण महाविद्यालयों की तुलना में बेहतर शिक्षण–अधिगम सुविधाएँ पाई जाती हैं, साथ ही रोज़गार के अच्छे अवसरों तथा व्यावसायिक उन्नति के कारण भी शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बेहतर पाई जाती है। यही कारण है कि प्रस्तुत शोध में वर्तमान स्थिति के प्रत्येक पहलू यथा– शैक्षिक, पारिवारिक एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में शहरी जनजातीय बालिकाओं की स्थिति ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की तुलना में सुदृढ़ पाई गई।

पंचम परिच्छेद
उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याएँ

5.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत परिच्छेद में दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणी जिलों– डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में निवास करने वाली उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् इन जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं को जानने के लिए शोधार्थी द्वारा विभिन्न उपकरणों के माध्यम से दत्त संकलित किये गये जो कि गुणात्मक तथा गणनात्मक दोनों प्रकार के थे।

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं से संबंधित दत्त इन बालिकाओं से एक स्वनिर्मित 'व्यक्तिगत सूचना पत्रक' के माध्यम से तो एकत्रित किये ही गये साथ ही गए साथ ही समस्या से सम्बंधित अन्य व्यक्तियों यथा– प्राचार्य, व्याख्याता तथा अभिभावकों से भी साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से दत्त संकलन किया गया।

इस प्रकार विभिन्न अभिधारकों से प्राप्त दत्तों के विश्लेषण से जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का सांगोपांग अध्ययन संभव हो सका। इस विश्लेषण में भी शोधार्थी द्वारा दत्तों की प्रकृति के अनुरूप गुणात्मक एवं सांख्यिकीय, दोनों प्रकार से विश्लेषण किया गया। गुणात्मक विश्लेषण में जहाँ विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग

किया गया वहीं सांख्यिकीय विश्लेषण में विभिन्न प्रविधियों यथा– प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

बालिकाओं से प्राप्त दत्तों का विश्लेषण मुख्यतः दो आधारों पर किया गया है–

- **जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का क्षेत्रवार विश्लेषण**

इसके अन्तर्गत जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भ में विश्लेषण किया गया। संगणित मध्यमान की तुलना कट पॉइंट मध्यमान से कर क्षेत्र विशेष की समस्याओं का विश्लेषण किया गया। संगणित मध्यमान, कट पॉइंट मध्यमान से अधिक आने पर इन समस्याओं को मामूली तथा कम आने पर गंभीर माना गया।

- **जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण**

इसके अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं से सम्बंधित प्राप्तांकों का मध्यमान एवं मानक विचलन ज्ञात कर टी–परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के माध्यम से शोध परिकल्पनाओं की जाँच संभव हो पाई जिससे यह ज्ञात हो सका कि इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की समस्याओं में कोई सार्थक अंतर है अथवा नहीं। यह कार्य प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भ में अलग–अलग तथा समग्र दोनों रूपों में किया गया।

इस प्रकार उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं से सम्बंधित दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न क्रमानुसार की गई है–

1. ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का विश्लेषण एवं व्याख्या
2. शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का विश्लेषण एवं व्याख्या
3. जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या
4. जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं पर अन्य अभिधारकों का अभिमत

5.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 5.1

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की पारिवारिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	5	5 ×1 = 5	3.31

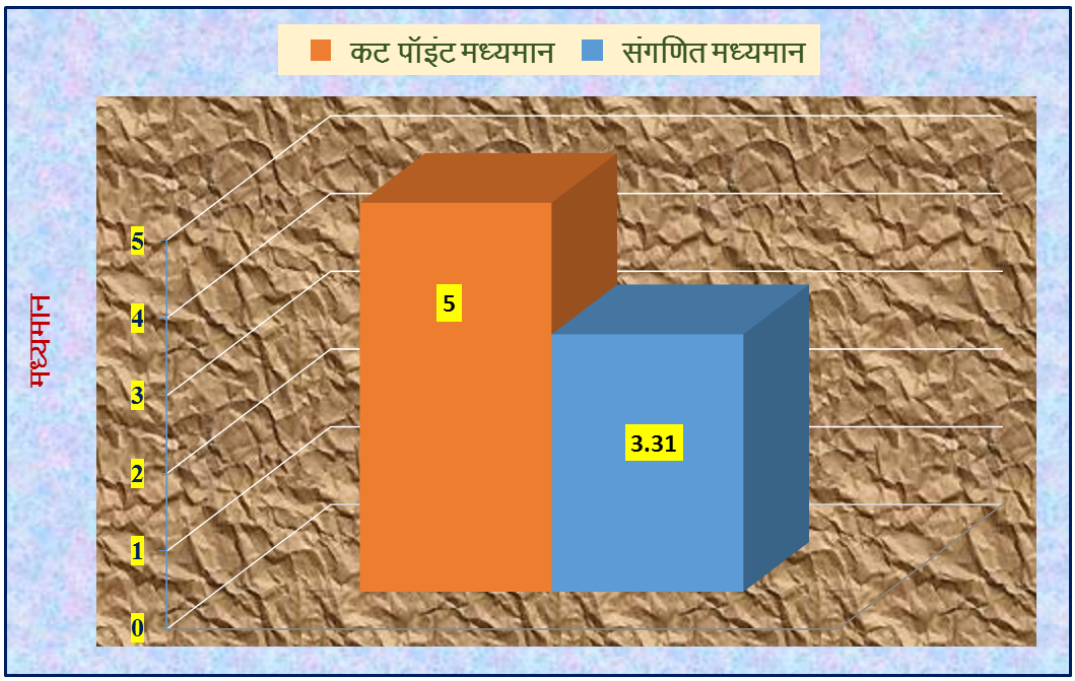

आरेख 5.1

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की पारिवारिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.1 से स्पष्ट है ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 3.31 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 5 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या यह है कि इन बालिकाओं के अभिभावक शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं हैं यही कारण है कि इन बालिकाओं से घर का कार्य करवाया जाता है और जिससे इन्हें अध्ययन के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है इसके अलावा माता–पिता इन बालिकाओं को अपने अत्यधिक नियंत्रण में भी रखते हैं जिससे ये बालिकाएँ अपने अध्ययन सम्बन्धी कार्य हेतु खुलकर आना–जाना नहीं कर सकती कुल मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक होने के कारण ये जनजातीय बालिकाएँ आशानुरूप शैक्षिक प्रदर्शन कर पाने में असमर्थ ही रहती हैं

सारणी 5.2

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	7	$7 \times 1 = 7$	6.38

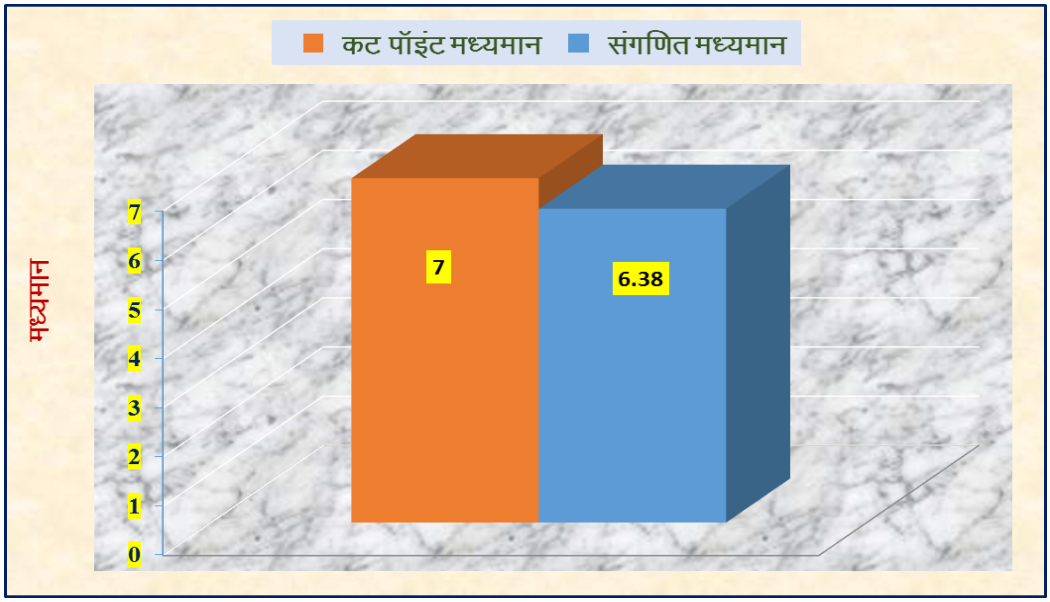

आरेख 5.2

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की शैक्षिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.2 से स्पष्ट है ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 6.38 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 7 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अधिकांश महाविद्यालाओं में छात्रावास की सुविधा नहीं है साथ ही पुस्तकालयों में भी आवश्यक पत्र–पत्रिकाओं का अभाव पाया जाता है सभी विषयों के विषयाध्यापक होने के बावजूद अधिकांश विषयों में समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता जिसका परिणाम कमतर शैक्षिक उपलब्धि के रूप में इन बालिकाओं को भुगतना पड़ता है इसके अलावा महाविद्यालयों में कैरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये बालिकाएँ भविष्य में अपने व्यवसाय को लेकर कोई उचित निर्णय नहीं ले पाती हैं जहाँ तक महाविद्यालयी गतिविधियों का प्रश्न है, ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की भागीदारी बहुत कम ही पाई जाती हैं

सारणी 5.3

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	4	$4 \times 1 = 4$	2.83

आरेख 5.3

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की आर्थिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.3 से स्पष्ट है ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 2.83 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 4 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सबसे बड़ी आर्थिक समस्या अपर्याप्त आमदनी के चलते इन बालिकाओं को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएँ नहीं मिल पाना है इन बालिकाओं को बहुत ही

कम जेबखर्च प्राप्त होता है जिससे ये अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी तथा पुस्तकें इत्यादि नहीं खरीद पाती हैं इसके अलावा घर पर भी इन बालिकाओं के लिए जीवन निर्वाह के आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं इन जनजातीय बालिकाओं को जो छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, वह भी इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त ही कही जाएगी

सारणी 5.4

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	4	$4 \times 1 = 4$	3.27

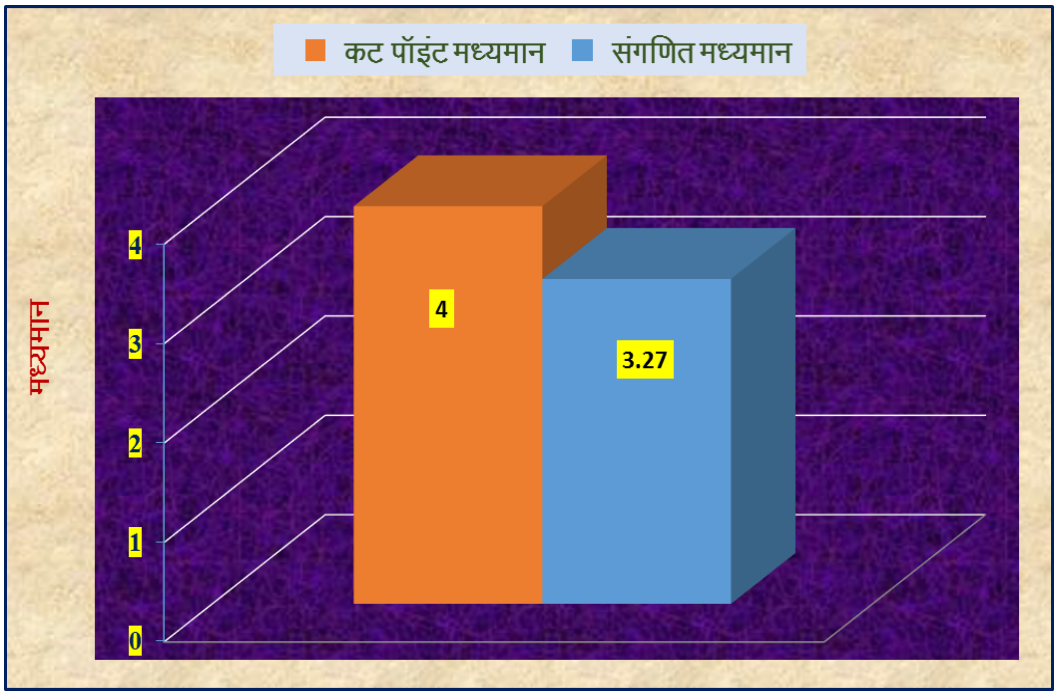

आरेख 5.4

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की सामाजिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.4 से स्पष्ट है ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 3.27 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 4 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सबसे बड़ी सामाजिक समस्या समुदाय के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाना है यही कारण है कि जनजातीय समाज के लोग बालिका शिक्षा को पर्याप्त सम्मान एवं प्रोत्साहन नहीं देते हैं यद्यपि स्थानीय लोगों की तरफ से शिक्षा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न नहीं की जाती तथापि कभी–कभार इन जनजातीय बालिकाओं को जातिगत अपमान का सामना करना पड़ता है

सारणी 5.5

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की व्यक्तिगत समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	4	4 ×1 = 4	2.99

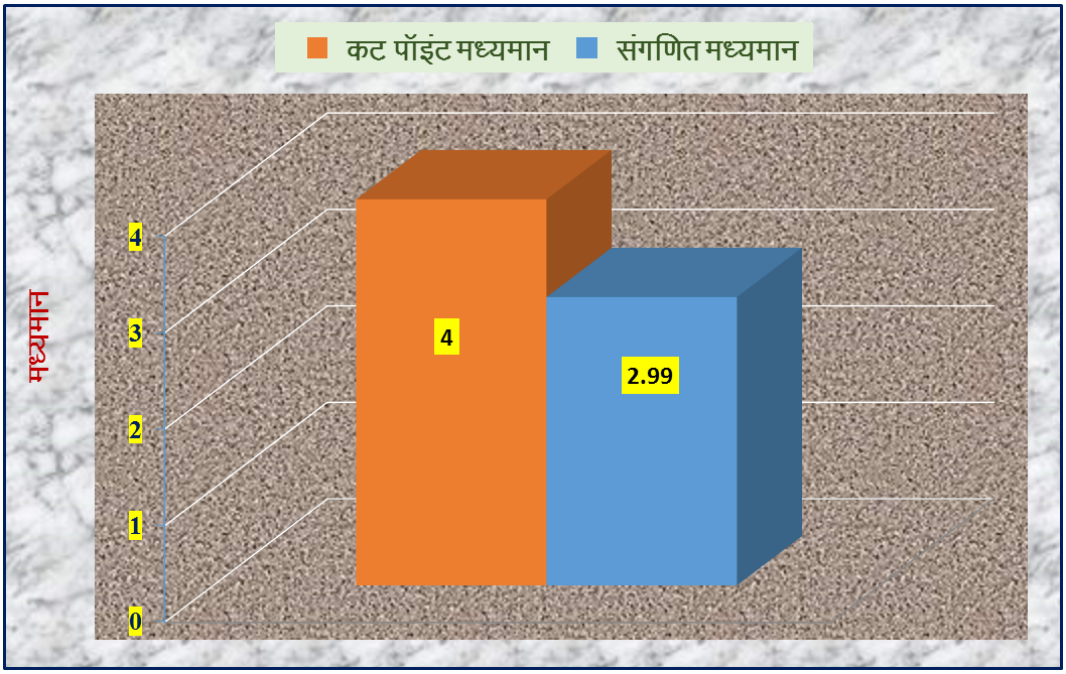

आरेख 5.5

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की व्यक्तिगत समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.5 से स्पष्ट है ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं का संगणित मध्यमान 2.99 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 4 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या यह है कि ये बालिकाएँ खुलकर अपने शिक्षकों को अपनी विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के बारे में नहीं बता पाती फलस्वरूप ये अध्ययन में अन्य बालिकाओं की तुलना में पिछड़ जाती हैं आर्थिक तंगी के कारण ये बालिकाएँ महाविद्यालयी शिक्षा के साथ–साथ अन्य छोटे–मोटे कार्य भी करती हैं जिससे इन्हें कुछ आमदनी तो होती है लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव इनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ता है इसके अलावा कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जनजातीय बालिकाओं को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता जिससे ये शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर पाई जाती हैं शारीरिक अस्वस्थता भी इन जनजातीय बालिकाओं की एक बड़ी समस्या है जो कि इनके शैक्षिक अवधान में व्यवधान उत्पन्न करती हैं

सारणी 5.6

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की समस्याओं का समग्र विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
समग्र	24	24 ×1 = 24	18.78

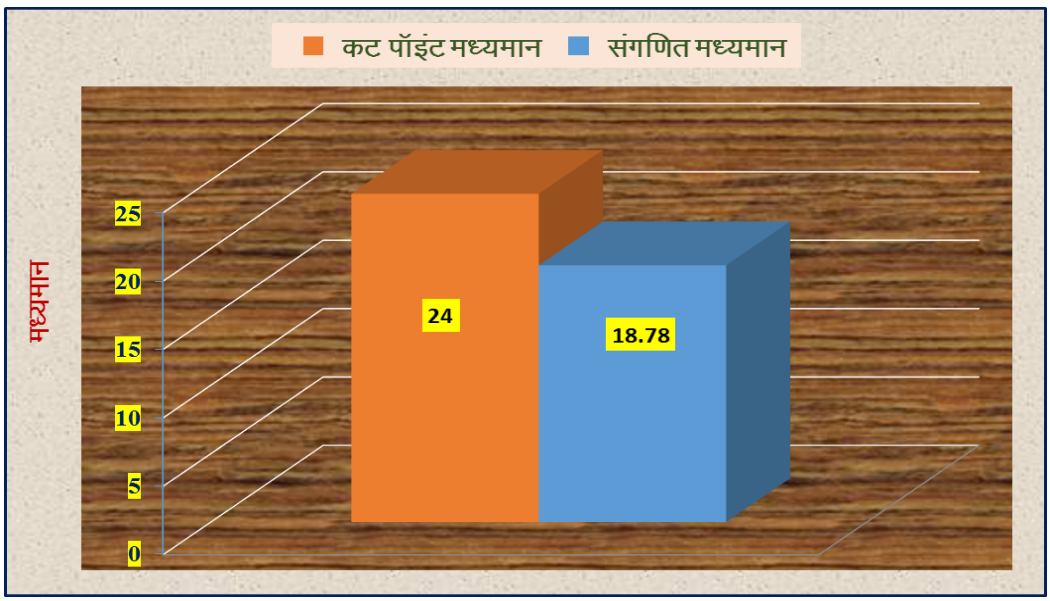

आरेख 5.6

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की समस्याओं का समग्र आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.6 से स्पष्ट है ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की समग्र समस्याओं का संगणित मध्यमान 18.78 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 24 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की सभी समस्याएँ यथा पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत गंभीर हैं जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कुप्रभाव डाल रही है

5.3 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 5.7

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की पारिवारिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	5	$5 \times 1 = 5$	3.97

आरेख 5.7

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की पारिवारिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.7 से स्पष्ट है शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 3.97 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 5 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या यह है कि इन बालिकाओं के

अभिभावक शिक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं हैं। इन बालिकाओं से घर का कार्य भी करवाया जाता है जिससे इन्हें अध्ययन के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। इसके अलावा माता–पिता इन बालिकाओं को अपने अत्यधिक नियंत्रण में भी रखते हैं जिससे ये बालिकाएँ अपने अध्ययन सम्बन्धी कार्य हेतु खुलकर आना–जाना नहीं कर सकती। कुल मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक होने के कारण ये जनजातीय बालिकाएँ आशानुरूप शैक्षिक प्रदर्शन कर पाने में असमर्थ ही रहती हैं।

सारणी 5.8

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	7	$7 \times 1 = 7$	6.90

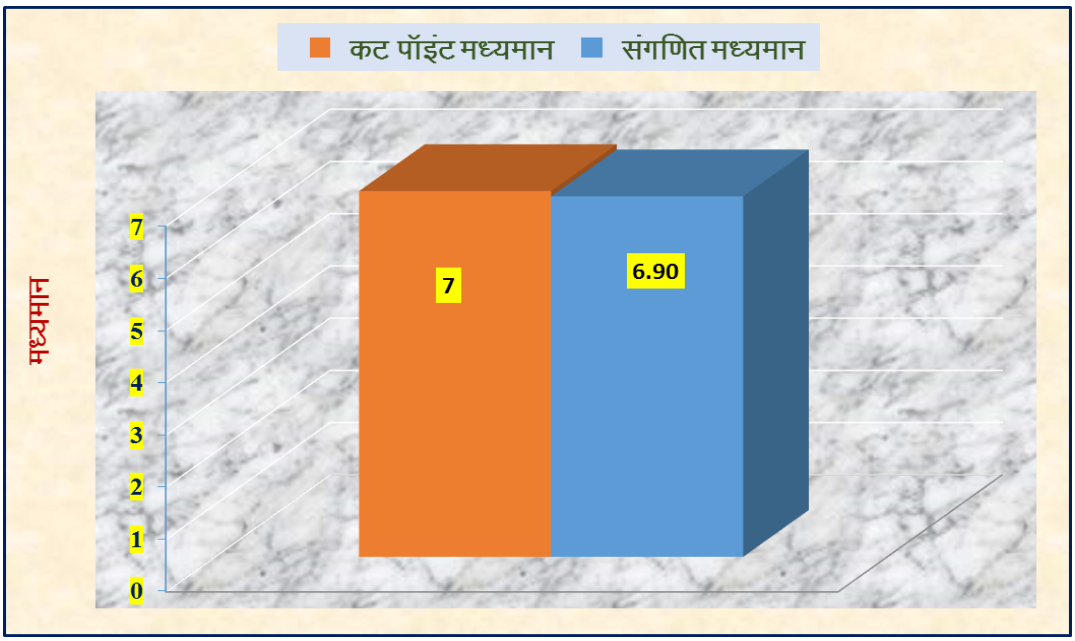

आरेख 5.8

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की शैक्षिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.8 से स्पष्ट है शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 6.90 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 7 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश महाविद्यालाओं में छात्रावास की सुविधा नहीं है साथ ही पुस्तकालयों में भी आवश्यक पत्र–पत्रिकाओं का अभाव पाया जाता है सभी विषयों के विषयाध्यापक होने के बावजूद अधिकांश विषयों में समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता जिसका परिणाम निम्न शैक्षिक उपलब्धि के रूप में इन बालिकाओं को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा महाविद्यालयों में कैरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये बालिकाएँ भविष्य में अपने व्यवसाय को लेकर कोई उचित निर्णय नहीं ले पाती हैं जहाँ तक महाविद्यालयी गतिविधियों का प्रश्न है, शहरी जनजातीय बालिकाओं की भागीदारी असंतोषजनक ही पाई जाती हैं।

सारणी 5.9

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	4	$4 \times 1 = 4$	3.14

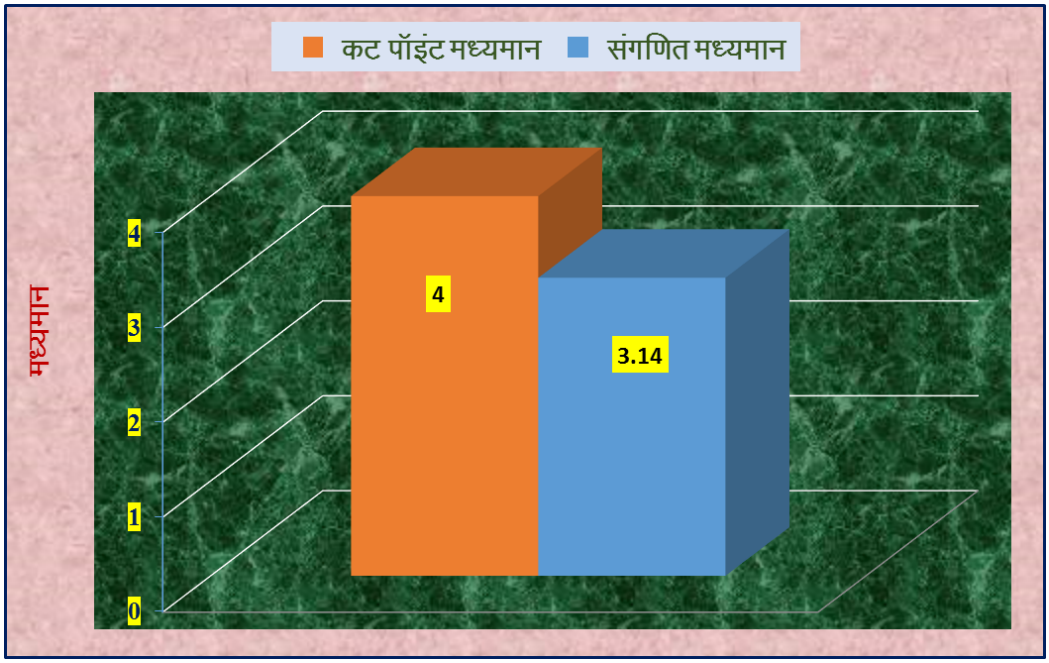

आरेख 5.9

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की आर्थिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.9 से स्पष्ट है शहरी जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 3.14 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 4 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी आर्थिक समस्या अपर्याप्त आमदनी के चलते इन बालिकाओं को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएँ नहीं मिल पाना है। इन बालिकाओं को बहुत ही कम जेबखर्च प्राप्त होता है जिससे ये अपनी आवश्यकता की स्टेशनरी तथा पुस्तकें इत्यादि नहीं खरीद पाती हैं। इसके अलावा घर पर भी इन बालिकाओं के लिए जीवन निर्वाह के आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इन जनजातीय बालिकाओं को जो छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, वह भी इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त ही कही जाएगी।

सारणी 5.10

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	4	$4 \times 1 = 4$	3.56

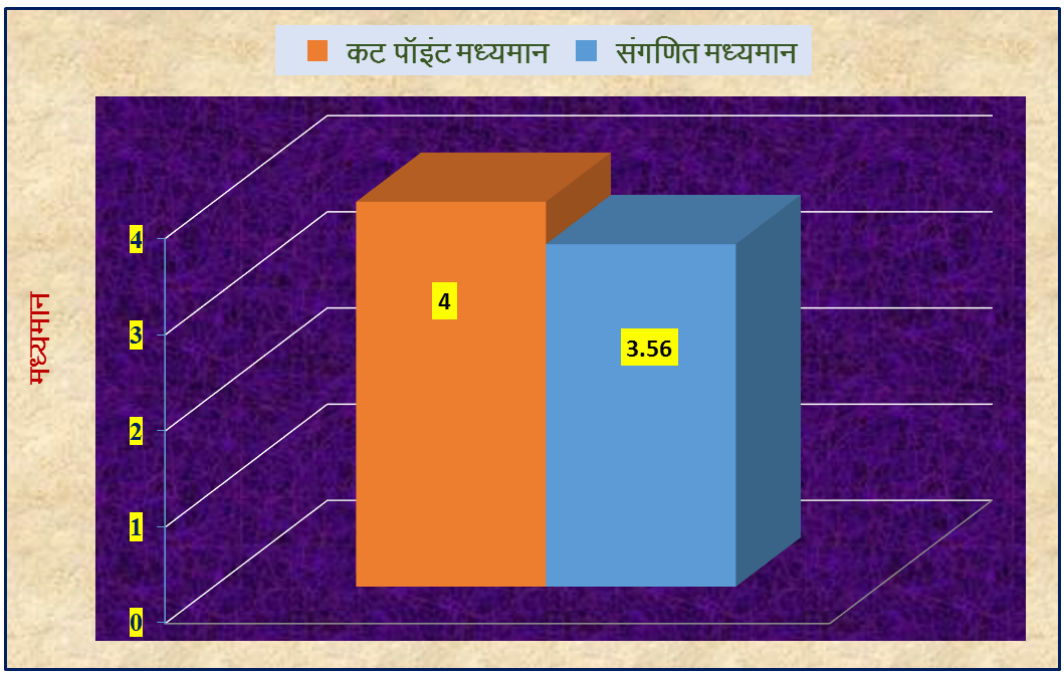

आरेख 5.10

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की सामाजिक समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.10 से स्पष्ट है शहरी जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक समस्याओं का संगणित मध्यमान 3.56 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 4 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी सामाजिक समस्या समुदाय के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाना है। यही कारण है कि जनजातीय समाज के लोग

बालिका शिक्षा को पर्याप्त सम्मान एवं प्रोत्साहन नहीं देते हैं। यद्यपि स्थानीय लोगों की तरफ से शिक्षा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न नहीं की जाती तथापि कभी–कभार इन जनजातीय बालिकाओं को जातिगत अपमान का सामना करना पड़ता है।

सारणी 5.11

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की व्यक्तिगत समस्याओं का विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
अधिगम	4	$4 \times 1 = 4$	3.19

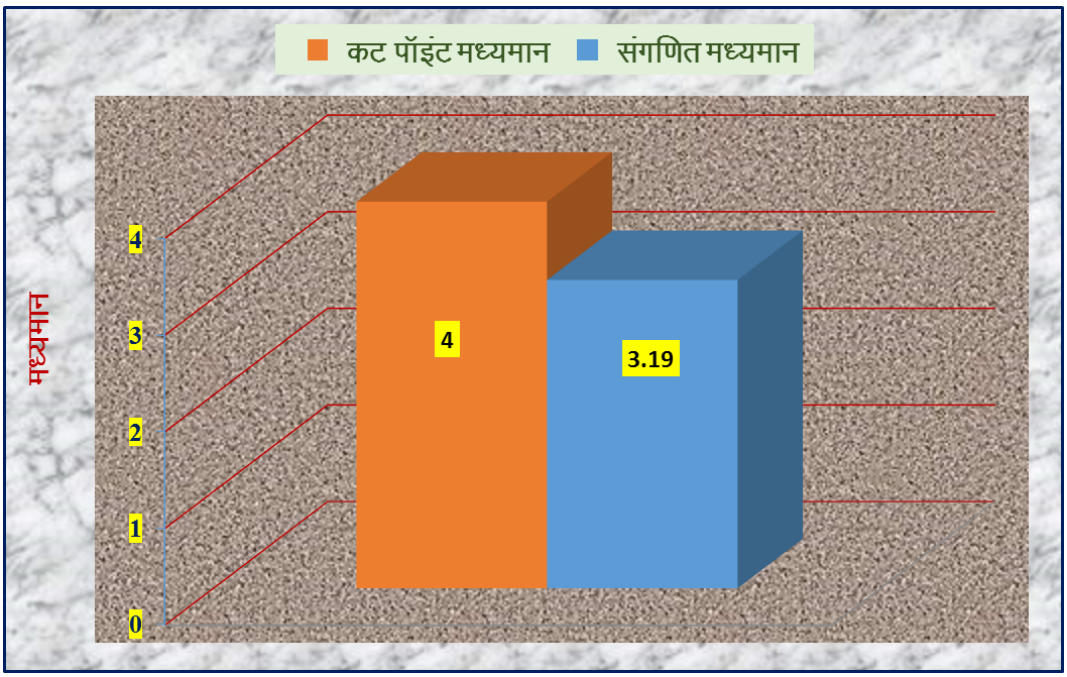

आरेख 5.11

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की व्यक्तिगत समस्याओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.11 से स्पष्ट है शहरी जनजातीय बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं का संगणित मध्यमान 3.19 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 4 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है

कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कई गंभीर व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी व्यक्तिगत समस्या यह है कि ये बालिकाएँ खुलकर अपने शिक्षकों को अपनी विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के बारे में नहीं बता पाती फलस्वरूप ये अध्ययन में अन्य बालिकाओं की तुलना में पिछड़ जाती हैं। आर्थिक तंगी के कारण ये बालिकाएँ महाविद्यालयी शिक्षा कजे साथ–साथ अन्य छोटे–मोटे कार्य भी करती हैं जिससे इन्हें कुछ आमदनी तो होती है लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव इनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ता है। इसके अलावा कमजोर आर्थिक स्थिति कारण जनजातीय बालिकाओं को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता जिससे ये शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर पाई जाती हैं। शारीरिक अस्वस्थता भी इन जनजातीय बालिकाओं की एक बड़ी समस्या है जो कि इनके शैक्षिक अवधान में व्यवधान उत्पन्न करती हैं।

सारणी 5.12

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ की समस्याओं का समग्र विश्लेषण

समस्या क्षेत्र	कथनों की संख्या	कट पॉइंट मध्यमान	संगणित मध्यमान
समग्र	24	$24 \times 1 = 24$	20.76

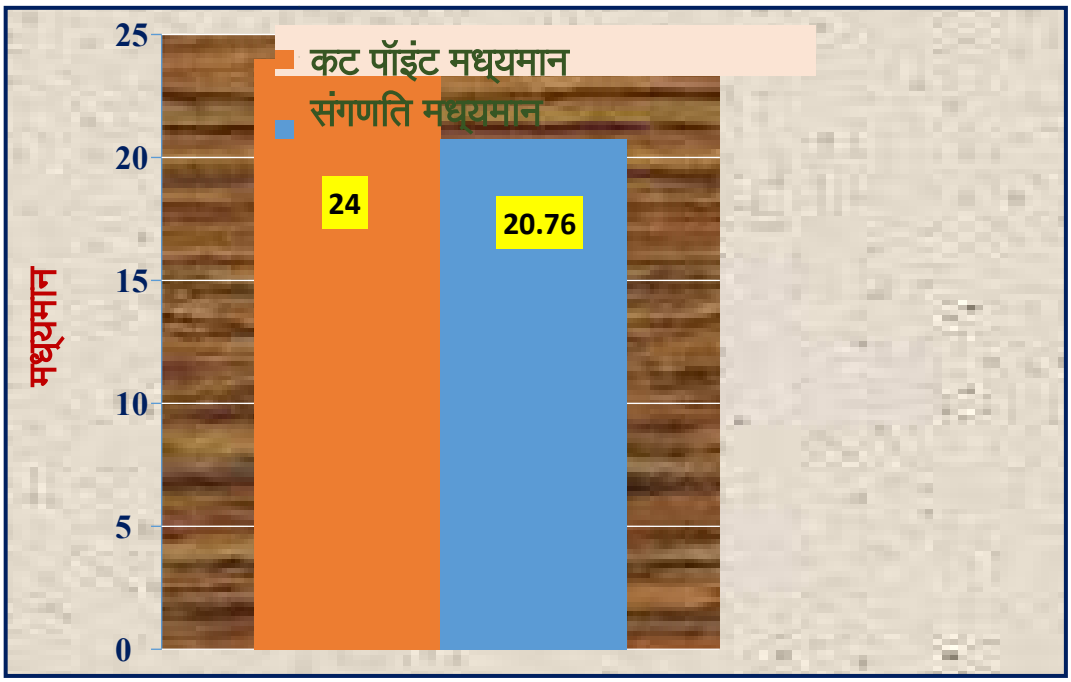

आरेख 5.12

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं (N = 160) की समस्याओं का समग्र आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 5.12 से स्पष्ट है शहरी जनजातीय बालिकाओं की समग्र समस्याओं का संगणित मध्यमान 20.76 प्राप्त हुआ जो कि इस क्षेत्र के कट पॉइंट मध्यमान 24 से कम है। इस न्यूनता के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की सभी समस्याएँ यथा पारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत गंभीर हैं जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि पर कुप्रभाव डाल रही है।

5.4 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 5.13

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का क्षेत्रवार तुलनात्मक विश्लेषण

वर्तमान स्थिति	बालिका समूह	N	मध्यमान	मध्यमान अन्तर	मानक विचलन	'टी' मान	परिणाम
पारिवारिक	ग्रामीण	160	3.31	**0.66**	0.97	**8.37**	सार्थक (.01)
	शहरी	160	3.97		0.25		
शैक्षिक	ग्रामीण	160	6.38	**0.52**	2.45	**2.25**	सार्थक (.05)
	शहरी	160	6.90		1.57		
आर्थिक	ग्रामीण	160	2.83	**0.31**	0.96	**3.68**	सार्थक (.01)
	शहरी	160	3.14		0.48		
सामाजिक	ग्रामीण	160	3.27	**0.29**	1.21	**2.29**	सार्थक (.05)
	शहरी	160	3.56		1.03		
व्यक्तिगत	ग्रामीण	160	2.99	**0.20**	1.69	**1.23**	असार्थक (.05)
	शहरी	160	3.19		2.97		

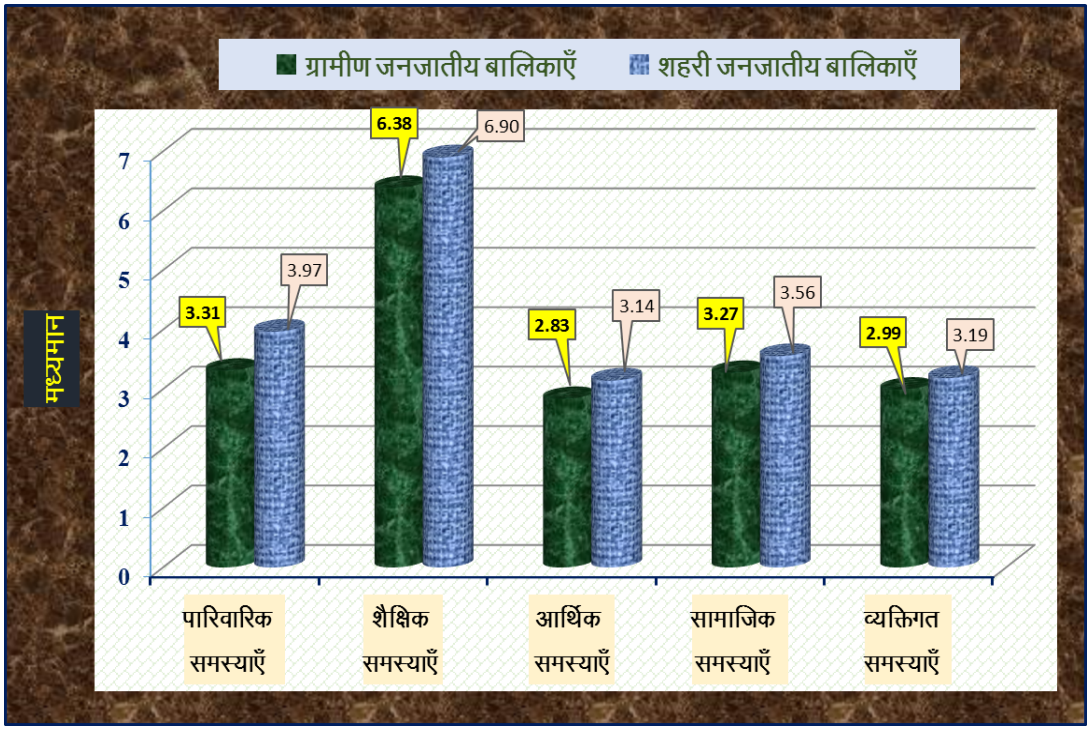

आरेख 5.13

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का क्षेत्रवार तुलनात्मक आरेखन

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख संख्या 5.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि–

1. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 3.31 एवं 3.97 तथा मानक विंचलन क्रमशः 0.97 एव 0.25 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 8.37 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक समस्याओं से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.66 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक समस्याओं में सार्थक अंतर विद्यमान है। अधिकांशतया छोटे एवं एकल परिवार होने के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं को परिवार में अपेक्षाकृत कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 6.38 एवं 6.90 तथा मानक विंचलन क्रमशः 2.45 एव 1.57 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 2.25 प्राप्त हुआ, जो कि .05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 1.96 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.52 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 95 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं में सार्थक अंतर विद्यमान है। अधिकतर कॉलेजों में आधारभूत शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं को अपेक्षाकृत कम शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

3. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 2.83 एवं 3.14 तथा मानक विंचलन क्रमशः 0.96 एव 0.48 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 3.68 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक समस्याओं से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.31 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक समस्याओं में सार्थक अंतर विद्यमान है। दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में रोज़गार के अवसर अधिक होने के कारण शहरी जनजातीय बालिकाओं को अपेक्षाकृत कम आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

4. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 3.27 एवं 3.56 तथा मानक विंचलन क्रमशः 1.21 एव 1.03 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 2.29 प्राप्त हुआ, जो कि .05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 1.96 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक समस्याओं से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.29 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 95 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक समस्याओं में सार्थक अंतर विद्यमान है। दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में समाज के आधुनिक होने से शहरी जनजातीय बालिकाओं को अपेक्षाकृत कम सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

5. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 2.99 एवं 3.19 तथा मानक विंचलन क्रमशः 1.69 एव 1.16 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 1.23 प्राप्त हुआ, जो कि .05 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 1.96 $(df = 318)$ से कम है। इस न्यूनता से यह प्रमाणित होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.20 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक नहीं है।

अतः 95 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की व्यक्तिगत समस्याओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है। दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों जनजातीय बालिकाओं को एक जैसी व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

5.5 समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 5.14

समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण

बालिका समूह	N	मध्यमान	मध्यमान अन्तर	मानक विचलन	'टी' मान	परिणाम
ग्रामीण	160	18.78	**1.98**	2.97	**6.39**	सार्थक (.01)
शहरी	160	20.76		2.56		

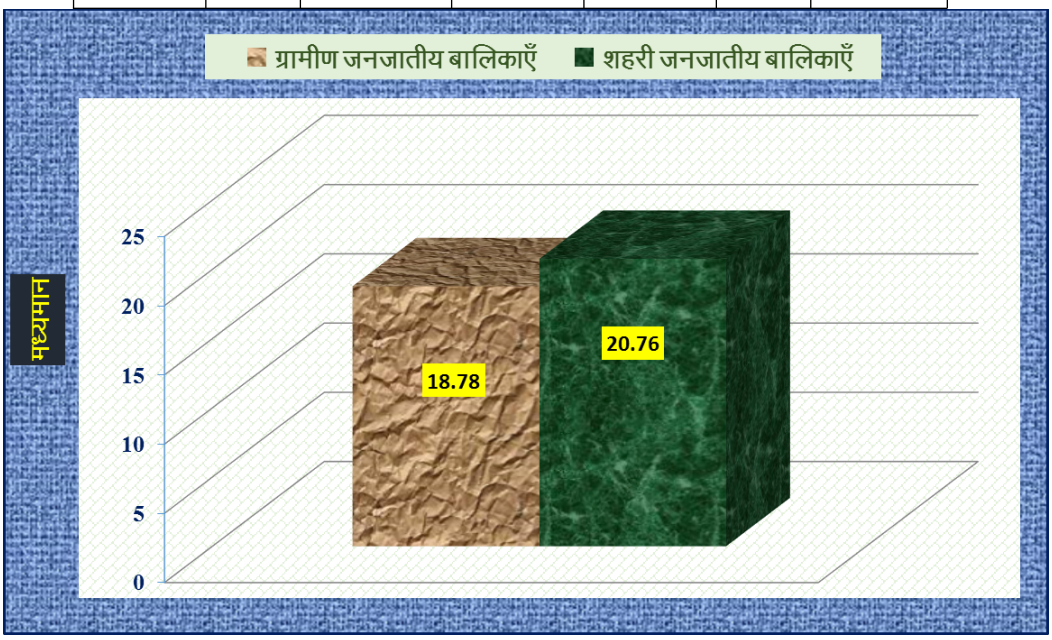

आरेख 5.14

समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का तुलनात्मक आरेखन

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख संख्या 5.14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि–

समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 18.78 एवं 20.76 तथा मानक विंचलन क्रमशः 2.97 एव 2.56 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 6.39 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं से सम्बंधित मध्यमानों में जो 1.98 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि समग्र रूप से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं में सार्थक अंतर विद्यमान है। इस प्रकार दक्षिणी राजस्थान के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की समस्याएँ अधिक गंभीर हैं।

5.6 जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं पर अन्य अभिधारकों का अभिमत

प्रस्तुत परिच्छेद में जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का विश्लेषण सीधे बालिकाओं से प्राप्त दत्तों के अलावा अन्य अभिधारकों यथा प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं अभिभावकों से प्राप्त दत्तों के आधार पर भी किया गया है। गुणात्मक रीति से किये गये इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं–

- **घरेलू समस्याएँ :–** जनजातीय बालिकाओं की सबसे बड़ी समस्या घर में शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का न होना है। अधिकांशतः इनके माता–पिता कम

पढ़े–लिखे अथवा अशिक्षित ही हैं जिसके कारण ये अपनी बालिकाओं को शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दे पाते। इसके अलावा घरेलू कार्यों में भी अपने अभिभावकों का हाथ बटाने के कारण ये बालिकाएँ अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाती एवं अन्य बालिकाओं की तुलना में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाती हैं।

- **सामाजिक समस्याएँ:–** जनजातीय समाज आज भी अपनी प्राचीन परम्पराओं को जीवित रखे हुए है। यही कारण है कि आधुनिक समय के साथ–साथ ये स्वयं को ज्यादा बदल नहीं पाये। आज भी जनजातीय समाज में अनेक कुरीतियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण समाज में शिक्षा को अभी पर्याप्त सम्मान नहीं मिल पाया है। कई बार जनजातीय परपराम्पराओं के नाम पर होने वाले सामाजिक समारोहों में इन बालिकाओं को आवश्यक रूप से भाग लेना होता है जिससे ये महाविद्यालय में काफी अनियमित रहती हैं।
- **आर्थिक समस्याएँ:–** जनजातीय बालिकाओं की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या पारिवारिक आय का अपर्याप्त होना ही है। इसकी वजह से अध्ययन के मूलभूत आवश्यक सामग्री भी ये बालिकाएँ नहीं खरीद पाती हैं। कई जनजातीय बालिकाओं को तो अपना जेब खर्च चलाने के लिए मजदूरी तक करनी पड़ती है जिसका कुप्रभाव इनकी महाविद्यालय में उपस्थिति पर पड़ता है। कृषि की बुवाई एवं कटाई के समय तो यह समस्या भयंकर रूप धारण कर लेती हैं।
- **शैक्षिक समस्याएँ:–** जनजातीय बालिकाओं की सबसे बड़ी शैक्षिक समस्या यह है कि संकोच एवं भय के कारण ये अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन को कभी बता ही नहीं पाती। ऐसे में न तो प्राचार्य इनकी सहायता कर पाते हैं और

न ही व्याख्याता। कक्षा–कक्ष शिक्षण के दौरान भी जनजातीय बालिकाएँ शिक्षकों से कम से कम अंतःक्रिया करती हैं फलस्वरूप उनमें विषय की अवधारणात्मक समझ कभी विकसित हो ही नहीं पाती। सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी जनजातीय बालिकाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम ही रहती है।

- **अन्य समस्याएँ:–** अन्य बालिकाओं द्वारा जनजातीय बालिकाओं को पर्याप्त सहयोग न करना, जनजातीय बालिकाओं का अन्य बालिकाओं के साथ समायोजन नहीं कर पाना तथा इनमें भय, संकोच एवं दुश्चिंता जैसे नकारात्मक संवेगों की अधिकता भी ऐसे प्रमुख कारण है जो जनजातीय बालिकाओं को कई प्रकार की समस्याओं की और धकेलते हैं।

5.7 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद में दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं की शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा व्यक्तिगत विभिन्न सन्दर्भों में पृथक–पृथक किया गया। इसके पश्चात् इनकी समस्याओं का पहले क्षेत्रवार तदुपरांत समग्र रूप से तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया।

उक्त विश्लेषण में शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की समस्याएँ अधिक गंभीर बेहतर पाई गई। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक वातावरण पाया जाता

है जिसके कारण शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ इतना विकराल रूप धारण नहीं कर पाती हैं।

षष्टम परिच्छेद
उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसर

6.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत परिच्छेद में दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का अध्ययन किया गया है। राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणी जिलों– डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में निवास करने वाली उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् इन जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों को जानने के लिए स्वनिर्मित 'व्यक्तिगत सूचना पत्रक' के माध्यम से तो एकत्रित किये ही गये साथ ही समस्या से सम्बंधित अन्य व्यक्तियों यथा– प्राचार्य, व्याख्याता तथा अभिभावकों से भी साक्षात्कार अनुसूचियों के माध्यम से दत्त संकलन किया गया।

इस प्रकार विभिन्न अभिधारकों से प्राप्त दत्तों के विश्लेषण से जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों की विस्तृत विवेचना संभव हो पाई। इस विवेचना में शोधार्थी द्वारा दत्तों का उनकी प्रकृति के अनुरूप गणनात्मक एवं गुणात्मक, दोनों प्रकार से विश्लेषण किया गया यथा–

- **गणनात्मक विश्लेषण :–** इसमें विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियों यथा– प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।
- **गुणात्मक विश्लेषण :–** इसमें विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया

इस प्रकार उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों से सम्बंधित दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न क्रमानुसार की गई है–

1. ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का विश्लेषण एवं व्याख्या
2. शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का विश्लेषण एवं व्याख्या
3. जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या
4. जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों पर अन्य अभिधारकों का अभिमत

6.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का विश्लेषण एवं व्याख्या

6.2.1 ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं हेतु रुचिकर क्षेत्र में कॅरियर सम्बन्धी अवसर

सारणी 6.1

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ के रुचिकर क्षेत्र का विश्लेषण

रुचिकर क्षेत्र	प्रतिशत
संगीत	44.38
खेल	11.88
बागवानी	3.13
नृत्य	16.88
गायन	13.13
लेखन	6.25
समाज सेवा	4.38

कुल योग	**100**

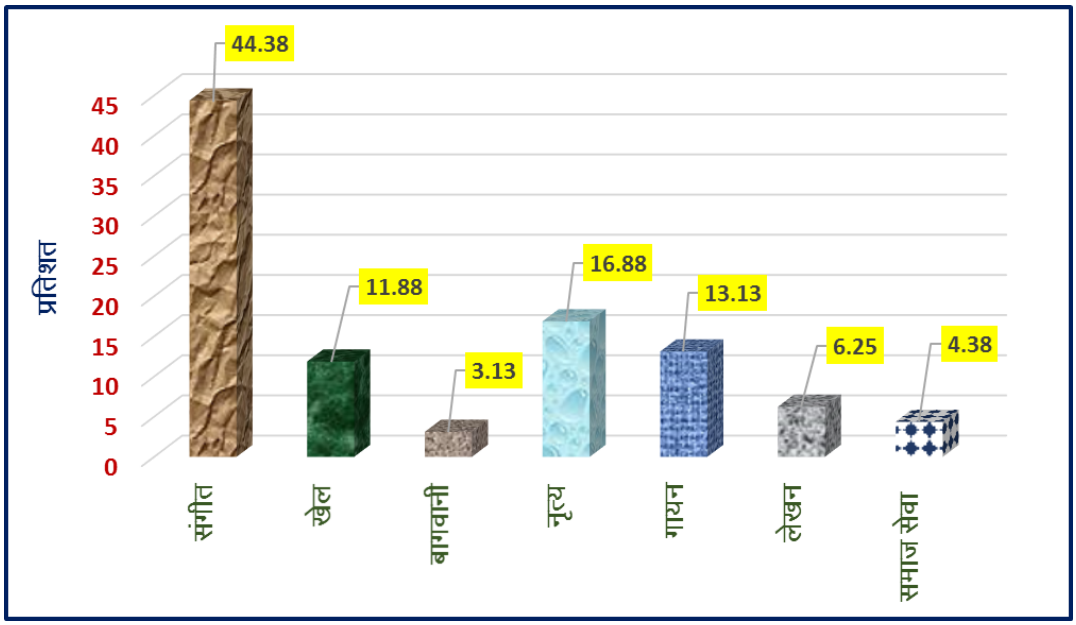

आरेख 6.1

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं (N = 160) के रुचिकर क्षेत्र का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि 44.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की रूचि संगीत में, 11.88 प्रतिशत की खेल में, 3.13 प्रतिशत की बागवानी में, 16.88 प्रतिशत की नृत्य में, 13.13 प्रतिशत की गायन में, 6.25 प्रतिशत की लेखन में तथा 4.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की रूचि समाज सेवा सम्बन्धी क्षेत्र में है

स्पष्ट है कि ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की रूचि ललित कलाओं में अधिक तथा अन्य समाजोपयोगी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है अतः ग्रामीण क्षेत्रों की ये जनजातीय बालिकाएँ स्नातक स्तरीय शिक्षा के पश्चात् लोककलाओं के विविध क्षेत्रों यथा– गायन, वादन अथवा नृत्य से सम्बंधित प्रशिक्षण देश–विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आजीविका अर्जित कर सकती हैं इसके अलावा आजकल विभिन्न स्कूल तथा कॉलेजों

में भी इस प्रकार के ललित कला प्रशिक्षकों की मांग रहती है इसलिए वहाँ पर भी ये बालिकाएँ एक प्रशिक्षक के रूप में अपना कॅरियर प्रारंभ कर सकती हैं

6.2.2 ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाएँ

सारणी 6.2

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाओं का विश्लेषण

व्यवस्थाएँ	हाँ	नहीं
काउंसलर की नियुक्ति	0%	100%
कॅरियर डे का आयोजन	43.75%	56.25%
संस्थागत भ्रमण	39.38%	60.63%
प्लेसमेंट की सुविधा	0%	0%
कैम्पस इन्टरव्यू	0%	0%

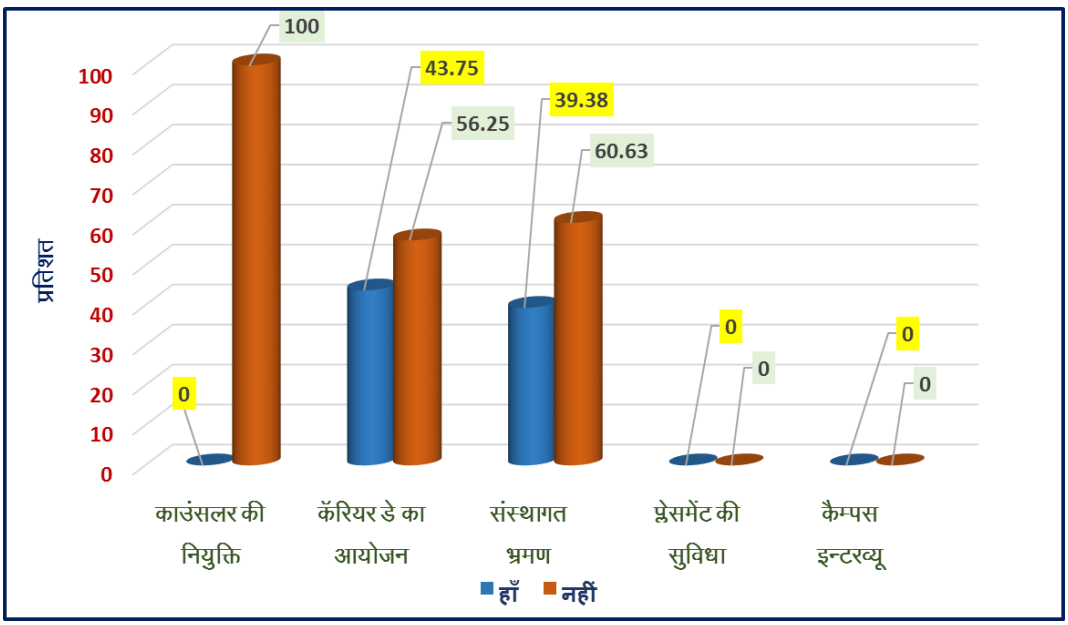

आरेख 6.2

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 6.2 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी जनजातीय बालिका के अभिमातानुसार महाविद्यालयों में काउंसलर की नियुक्ति नहीं की गई है जबकि कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन के लिए उच्च शिक्षा को समर्पित संस्थानों में इनकी नियुक्ति अनिवार्य मानी गई है यही कारण है कि इन जनजातीय बालिकाओं को भविष्य में अपना कॅरियर चुनने के सम्बन्ध में वांछित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कहीं न कहीं महाविद्यालयों में काउंसलर का अभाव जनजातीय बालिकाओं के भविष्य में अवसरों को मंद करने का कार्य करता है

एक कॅरियर काउंसलर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में प्लेसमेंट तथा कैम्पस इंटरव्यू जैसी सुविधाओं का भी पूर्णतया अभाव पाया जाता है सभी ग्रामीण बालिकाओं ने इस सम्बन्ध में नकारात्मक अभिमत प्रस्तुत किया है इस बीच मात्र कॅरियर डे ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के लिए कॅरियर के दृष्टिकोण से उपयोगी है इस सम्बन्ध में 43.75 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं ने अपने महाविद्यालय द्वारा कॅरियर डे आयोजित करने सम्बन्धी तथ्य को स्वीकारा तथा 56.25 प्रतिशत बालिकाओं ने इसे अस्वीकार किया

कॅरियर डे के अलावा संस्थागत भ्रमण भी एक ऐसा कार्यकम है जो जिसके आयोजन के सम्बन्ध में 39.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं ने सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की है हालाँकि 60.63 प्रतिशत बालिकाओं ने ऐसे किसी भी आयोजन से स्पष्टतः इनकार किया

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कॅरियर के सम्बन्ध में महाविद्यालय पर निर्भर न रहकर स्वयं जागरूक बनना चाहिए आजकल कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु कई स्वयंसेवी संस्थाएँ कार्य कर

रही हैं साथ ही इन्टरनेट के माध्यम से भी इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ उचित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं

6.2.3 ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की व्यावसायिक प्राथमिकताएँ

सारणी 6.3

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ के पसंदीदा व्यावसायिक क्षेत्र का विश्लेषण

व्यावसायिक क्षेत्र	प्रतिशत
शैक्षिक	64.38
प्रशासनिक	13.13
व्यापारिक	7.50
सामाजिक	10.63
अन्य	4.38
कुल योग	**100.00**

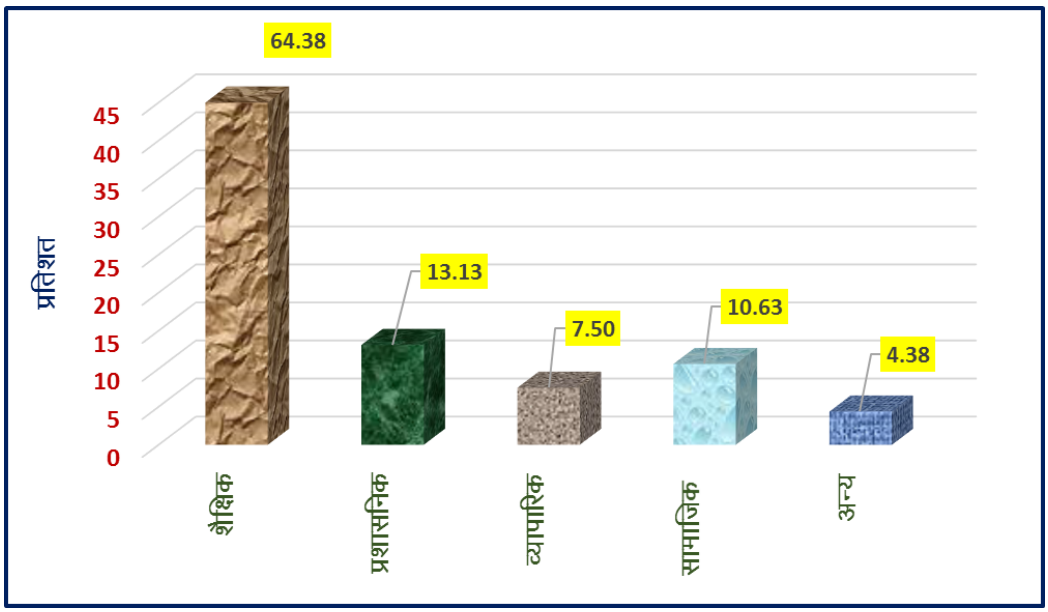

आरेख 6.3

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ के पसंदीदा व्यावसायिक क्षेत्र का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 6.3 से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद 64.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ शैक्षिक क्षेत्र में, 13.13 प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्र में, 7.50 प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्र में, 10.63 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में तथा शेष 4.38 प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ अन्य क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाना चाहती हैं

पसंदीदा व्यावसायिक क्षेत्र के अनुरूप ही प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ स्नातक स्तर के पश्चात् विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहती हैं अधिकांश बालिकाएँ शिक्षिका बनने के लिए स्नातक स्तरीय शिक्षा के बाद बीएड करना चाहती हैं वर्तमान में लगभग हर तहसील मुख्यालय पर बीएड कॉलेज उपलब्ध हैं इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य में असीम अवसर हैं

इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के हेतु भी आजकल हर जगह कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेकर अतः ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ इन संस्थानों में पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऊँचा मुकाम हासिल कर सकती हैं संविधान द्वारा प्रदत्त सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ भी इन ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं को अधिकाधिक उठाना चाहिए

विज्ञान वर्ग की ग्रामीण जनजातीय बालिकाएँ विभिन्न प्रकार के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर एक परिचर्या (नर्स) का व्यवसाय अपना सकती हैं आजकल लगभग हर छोटे–बड़े कस्बे एवं शहर में नर्सिंग कॉलेज खुले हुए हैं कुल मिलाकर स्नातक स्तरीय

शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र की जनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य में असीम अवसर हैं तथा इन अवसरों को आरक्षण तथा छात्रवृत्ति जैसी सरकार प्रदत्त सुविधाओं के माध्यम से अधिकाधिकक भुनाने की आवश्यकता है

6.3 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का विश्लेषण एवं व्याख्या

6.3.1 शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु रुचिकर क्षेत्र में कॅरियर सम्बन्धी अवसर

सारणी 6.4

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ के रुचिकर क्षेत्र का विश्लेषण

रुचिकर क्षेत्र	प्रतिशत
संगीत	42.50
खेल	14.38
बागवानी	4.38
नृत्य	15.00
गायन	12.50
लेखन	7.50
समाज सेवा	3.75
कुल योग	**100**

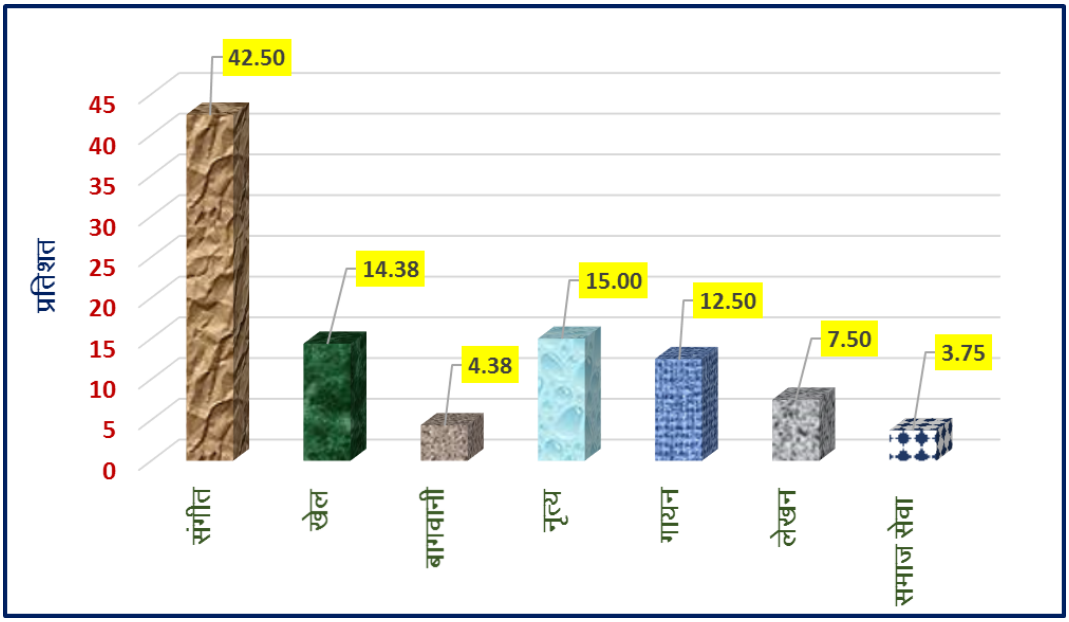

आरेख 6.4

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं (N = 160) के रुचिकर क्षेत्र का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 6.4 से स्पष्ट है कि 42.50 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं की रूचि संगीत में, 14.38 प्रतिशत की खेल में, 4.38 प्रतिशत की बागवानी में, 15.00 प्रतिशत की नृत्य में, 12.50 प्रतिशत की गायन में, 7.50 प्रतिशत की लेखन में तथा 3.75 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं की रूचि समाज सेवा सम्बन्धी क्षेत्र में है।

स्पष्ट है कि शहरी जनजातीय बालिकाओं की रूचि समाजोपयोगी क्षेत्रों में कम तथा ललित कलाओं में है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं के लिए स्नातक स्तरीय शिक्षा के पश्चात् लोककलाओं के विविध क्षेत्रों यथा– गायन, वादन अथवा नृत्य से सम्बंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर देश–विदेश में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन द्वारा आजीविका अर्जित करना श्रेष्ट रहेगा इसके अलावा आजकल विभिन्न स्कूल तथा कॉलेजों में भी इस प्रकार के ललित कला प्रशिक्षकों की मांग रहती है इसलिए वहाँ पर भी ये बालिकाएँ एक प्रशिक्षक के रूप में अपना कॅरियर प्रारंभ कर सकती हैं।

6.3.2 शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाएँ

सारणी 6.5

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाओं का विश्लेषण

व्यवस्थाएँ	हाँ	नहीं
काउंसलर की नियुक्ति	0%	100%
कॅरियर डे का आयोजन	60.00%	40.00%
संस्थागत भ्रमण	61.25%	38.75%
प्लेसमेंट की सुविधा	0%	0%
कैम्पस इन्टरव्यू	0%	0%

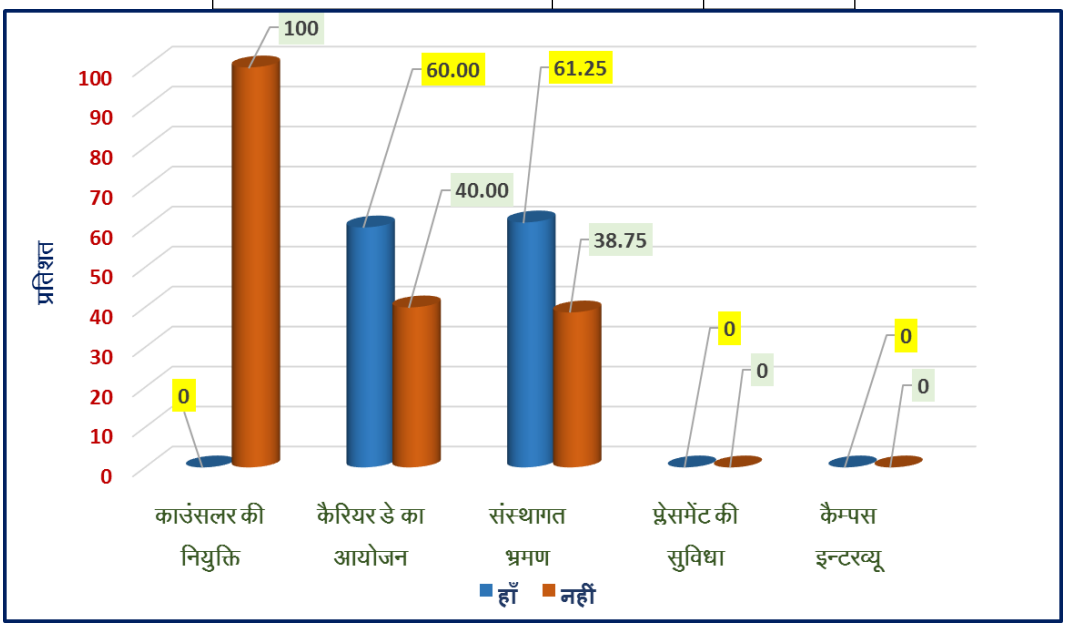

आरेख 6.5

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाओं का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 6.5 से स्पष्ट है कि कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन के लिए उच्च शिक्षा को समर्पित संस्थानों में काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य

मानी गई है लेकिन बालिकाओं के अभिमतानुसार शहरी महाविद्यालयों में इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है अतः इन शहरी जनजातीय बालिकाओं को भविष्य में अपना कॅरियर चुनने के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता कहीं न कहीं महाविद्यालयों में काउंसलर की यही कमी इन जनजातीय बालिकाओं के भविष्य में अवसरों को भी कम करने का कार्य करती है।

कॅरियर काउंसलर के अभाव के साथ ही शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयों में प्लेसमेंट तथा कैम्पस इंटरव्यू जैसी सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। इसीलिए सभी शहरी बालिकाओं का अभिमत इस सम्बन्ध में नकारात्मक पाया गया है। इस दृष्टि से केवल कॅरियर डे ही एकमात्र कार्यक्रम है जो इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के कॅरियर के सम्बन्ध में उपयोगी है इस सम्बन्ध में 60 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं ने अपने महाविद्यालय द्वारा कॅरियर डे आयोजित करने सम्बन्धी तथ्य को स्वीकारा तथा 40 प्रतिशत बालिकाओं ने इससे इनकार किया।

कॅरियर डे के अलावा संस्थागत भ्रमण नामक कार्यकम के आयोजन के प्रति भी 61.25 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाओं ने सकारात्मक अभिमत प्रस्तुत किया है जबकि 38.75 प्रतिशत शहरी बालिकाओं ने इस सम्बन्ध में नकारात्मक अभिमत भी प्रस्तुत किया है

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं को कॅरियर के सम्बन्ध में स्वयं जागरूक बनना चाहिए। महाविद्यालय पर निर्भरता उनके लिए उचित नहीं है आजकल शहरों में कई स्वयंसेवी संस्थाएँ कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु कार्य कर रही हैं साथ ही इन्टरनेट द्वारा भी शहरी जनजातीय बालिकाएँ कॅरियर सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

6.3.3 शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु कॅरियर सम्बन्धी व्यवस्थाएँ

सारणी 6.6

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ के पसंदीदा व्यावसायिक क्षेत्र का विश्लेषण

व्यावसायिक क्षेत्र	प्रतिशत
शैक्षिक	64.38
प्रशासनिक	13.13
व्यापारिक	7.50
सामाजिक	10.63
अन्य	4.38
कुल योग	**100.00**

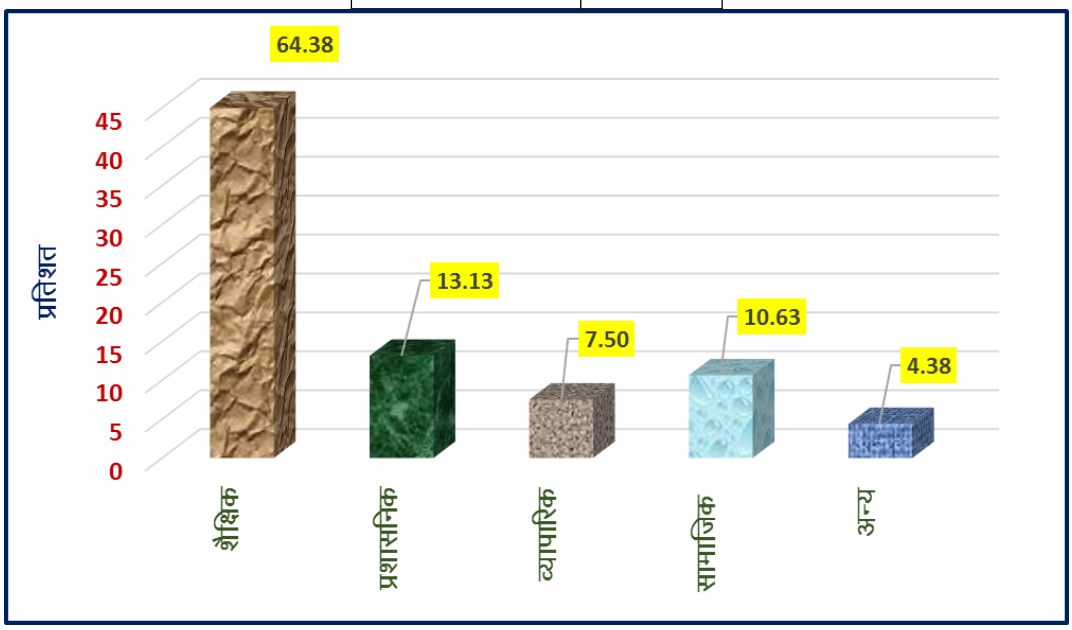

आरेख 6.6

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शहरी जनजातीय बालिकाओं $(N = 160)$ के पसंदीदा व्यावसायिक क्षेत्र का आरेखन

उपर्युक्त सारणी तथा आरेख संख्या 6.3 से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद 64.38 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ शैक्षिक क्षेत्र में, 13.13

प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्र में, 7.50 प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्र में, 10.63 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में तथा शेष 4.38 प्रतिशत शहरी जनजातीय बालिकाएँ अन्य क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाना चाहती हैं

शहरी जनजातीय बालिकाएँ अपने पसंदीदा व्यावसायिक क्षेत्र के अनुरूप ही स्नातक स्तर के पश्चात् विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की इच्छुक हैं इनमें से अधिकांश बालिकाएँ स्नातक स्तरीय शिक्षा के बाद बीएड कर शिक्षक बनना चाहती हैं आजकल लगभग हर तहसील मुख्यालय पर बीएड कॉलेज खुले हुए हैं अतएव कहा जा सकता है कि कॅरियर के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की जनजातीय बालिकाओं का भविष्य उज्ज्वल है

इसी प्रकार आजकल हर शहर में विविध प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोज्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं अतः शहरी जनजातीय बालिकाएँ इन संस्थानों में पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकती हैं सरकारी नौकरियों में संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का लाभ भी इन शहरी जनजातीय बालिकाओं के अवसरों को बढ़ाने का कार्य करता है

जो शहरी जनजातीय बालिकाएँ विज्ञान वर्ग से हैं, वे विभिन्न प्रकार के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर एक परिचर्या (नर्स) के रूप में अपना कॅरियर बना सकती हैं आजकल लगभग हर छोटे–बड़े कस्बे एवं शहर में नर्सिंग कॉलेज खुले हुए हैं कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र की जनजातीय बालिकाओं के लिए स्नातक स्तरीय शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भविष्य में अनेक अवसर हैं आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इन

अवसरों को आरक्षण तथा छात्रवृत्ति जैसी सरकार प्रदत्त सुविधाओं के माध्यम से अधिकाधिक भुनाया जाए

6.4 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 6.7

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक विश्लेषण

बालिका समूह	N	मध्यमान	मध्यमान अन्तर	मानक विचलन	'टी' मान	परिणाम
ग्रामीण	160	0.83	**0.38**	0.16	**15.32**	सार्थक (.01)
शहरी	160	1.21		0.27		

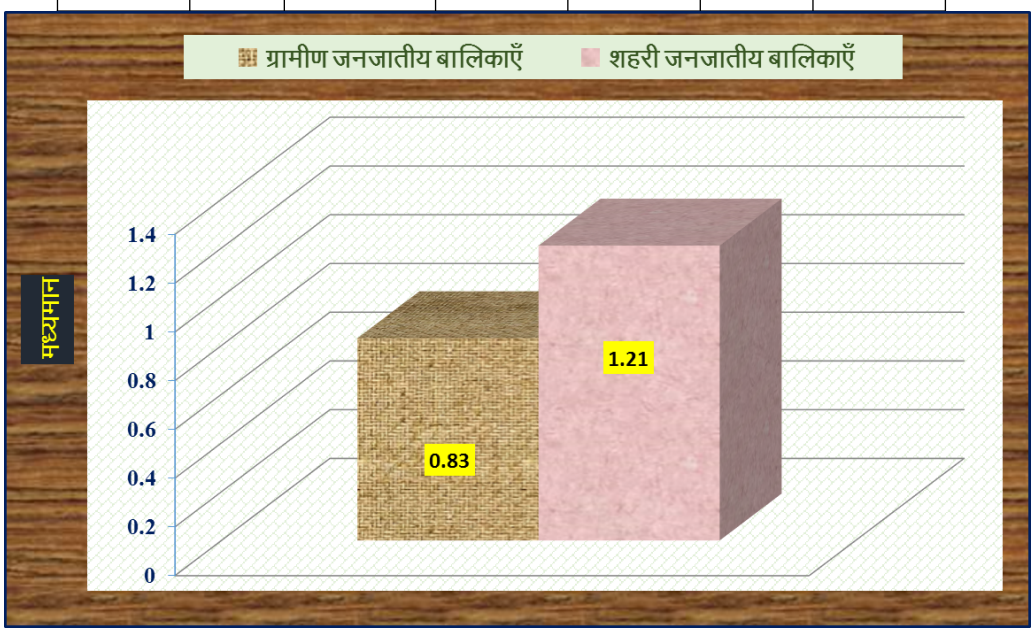

आरेख 6.7

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक आरेखन

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख संख्या 6.7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 0.83 एवं 1.21 तथा मानक विंचलन क्रमशः 0.16 एव 0.27 प्राप्त हुए। इन आँकड़ों के मध्य संगणित टी–मान 15.32 प्राप्त हुआ, जो कि .01 सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मान 2.58 $(df = 318)$ से अधिक है। इस आधिक्य से यह प्रमाणित होता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों से सम्बंधित मध्यमानों में जो 0.38 अंकों का अन्तर दिखाई दे रहा है, वह सार्थक है।

अतः 99 प्रतिशत विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों के सम्बन्ध में सार्थक अंतर विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जनजागरूकता अधिक होने के कारण जनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य में अवसरों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है।

6.5 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों पर अन्य अभिधारकों के अभिमत विश्लेषण एवं व्याख्या

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों के सम्बन्ध में अन्य अभिधारकों यथा– प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं अभिभावकों से भी साक्षात्कार अनुसूचियों द्वारा अभिमत जाना गया था जिसका विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार है–

6.5.1 प्राचार्यों के अनुसार जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसर

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों को लेकर महाविद्यालयों के प्राचार्य अत्यंत सकारात्मक सोच रखते हैं। यद्यपि अभी तक इनके द्वारा काउंसलर अथवा प्लेसमेंट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं तथापि संस्थागत भ्रमण एवं कॅरियर डे जैसी गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से जनजातीय बालिकाओं को भविष्य में अवसरों के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान किया जा रहा है। प्राचार्यों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर भी जनजातीय बालिकाओं को शिक्षा समाप्ति के समय भविष्य में अवसरों के सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है तथा यथासंभव सहायता भी की जाती है। इस प्रकार प्राचार्यों के अभिमातानुसार जनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य में आगे बढ़ने के असीम अवसर विद्यमान हैं।

6.5.2 व्याख्याताओं के अनुसार जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसर

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों को लेकर महाविद्यालयों के व्याख्याता भी सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं। यद्यपि कॅरियर के सम्बन्ध में उन्हें अभी तक काउंसलर अथवा प्लेसमेंट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं तथापि वे व्यक्तिगत स्तर पर जनजातीय बालिकाओं को आवश्यक मार्गदर्शन देकर इसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। यह मार्गदर्शन विभिन्न व्यवसायों ,पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देकर प्रदान किया जाता है।

6.5.3 अभिभावकों के अनुसार जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसर

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों के सम्बन्ध में जनजातीय बालिकाओं के अभिभावकों द्वारा मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक अपनी बालिकाओं के कॅरियर को लेकर जागरूक नहीं हैं वहीं

शहरों में कुछ पढ़े–लिखे अभिभावक इस सम्बन्ध में जागरूक हैं। जनजातीय बालिकाओं के अभिभावक अपनी बालिकाओं को भविष्य में किसी सम्मानित पद पर कार्य करते हुए देखना तो चाहते हैं लेकिन शिक्षा की कमी के कारण अपने स्तर पर कोई ठोस कदम उठाने हेतु सक्षम नहीं हैं।

6.6 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों का पृथक–पृथक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस सम्बन्ध में स्वयं बालिकाओं के साथ–साथ अन्य अभिधारकों यथा– प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं अभिभावकों से भी दत्त संकलित किये गये। दत्त विश्लेषण में गणनात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की रीतियों का उपयोग किया गया जिससे यह तथ्य सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य में अधिक अवसर विद्यमान हैं। इसके अलावा प्राचार्य, व्याख्याता एवं अभिभावक इत्यादि भी जनजातीय बालिकाओं के भविष्य को लेकर आशावान हैं।

सप्तम परिच्छेद
शोधसारांश, निष्कर्ष एवं भावी शोध हेतु सुझाव

7.1 प्रस्तावना

किसीभी शोध अध्ययन में अंतिम परिच्छेद का विशेष महत्त्व होता है क्योंकि इसमें जहाँ एक औरसम्पूर्ण शोध कार्य का सारांश समाहित होता है वहीं दूसरी और शोध परिणामों के आधार पर निष्कर्ष भी निरुपित किये जाते हैं।

निष्कर्ष अनुसंधान कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं, इनके अभाव में शोध कार्य अपूर्ण होता है। व्यावहारिक विज्ञान में अनुसंधानकर्ता को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए कि उसके निष्कर्ष पूर्णतः मौलिक हैं या नहीं क्योंकि परिणाम कुछ अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, ऐसे परिणामक भी पूरे नहीं होते हैं।

निष्कर्षों की पृष्ठभूमि पर हीशोध परिणामों के शैक्षिक निहितार्थ प्रतिपादित किये जाते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में शोध निहितार्थके अंतर्गत शोध परिणामों की उपयोगिता एवं प्रासंगिक सुझावों, दोनों का सम्मिश्रण किया गया है ताकि प्रस्तुत शोध कार्य की शैक्षिक उपयोगिता तथा प्रासंगिकता को सुनिश्चित किया जा सके।

शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ प्रतिपादित कर लेने के पश्चात् शोधार्थी द्वारा भावी शोध हेतु कुछ सुझाव भी दिये गये हैं ताकि उन छूटे हुए क्षेत्रों पर भी भविष्य में शोध कार्य किया जा सके जिन पर समयावाभाव के कारण शोधार्थी द्वारा कार्य नहीं किया जा सका। इस प्रकार भावी शोधार्थियों के लिए भी प्रस्तुत शोध में समस्या चयन हेतु सुदृढ़ आधार प्रस्तुतकिया गया है।

7.2 समस्या की पृष्ठभूमि

मानव के सर्वांगीणविकास के लिए उसका शैक्षिक विकास अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक विकास पर ही व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है।हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। अतःजनजातीय समुदायों का शैक्षिक विकास और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

राजस्थान के प्रायः हर क्षेत्र में जनजातीय समुदाय निवास करते हैं जो हर दृष्टि से मुख्य धारा के समाज से पीछे हैं। इन समुदायों में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न पाया जाता है, विशेषकर महिला शिक्षा की स्थिति तो अत्यंत चिंताजनक है। अतः संविधान में इन जनजातीय समुदायों के बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं साथ ही समय–समय पर गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने भी इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।

अनेक प्रकार के वैधानिक उपायों तथा प्रयासों के बावजूद आज भी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में आशानुरूप परिवर्तन नहीं आ पाया है। यही कारण है कि प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा दक्षिणी राजस्थान में उच्चशिक्षामेंअध्ययनरत्जनजातीय बालिकाओं कीवर्तमानस्थिति, समस्याओंएवंभविष्य में अवसरों काअध्ययन किया गया है।

7.3 अनुसन्धान का औचित्य

जनजाति बालिकाओं की शिक्षा वहाँ कि भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होती है। राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों को अधिकतर

पिछड़ेहुए क्षेत्रों में माना जाता है। फलस्वरूप जनजाति शिक्षा का विकास अन्य दूसरे वर्गों की अपेक्षा निम्न स्तर पर हुआ है। प्रस्तुतशोध कार्य के माध्यम से जनजाति बालिकाओं की शिक्षा की वर्तमान स्थिति, समस्या एवं भविष्य में अवसरों कोजाना जा सकता है तथा इसके अनुरूप आवश्यक सुधार की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाये जा सकते हैं।

7.4 समस्याकथन

"दक्षिणीराजस्थानमेंउच्चशिक्षामेंअध्ययनरतजनजातीयबालिकाओंकीवर्तमानस्थिति, समस्याओंएवंभविष्यमेंअवसरोंकाअध्ययन "

7.5 शोधउद्देश्य

1. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरतग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंकीवर्तमान स्थिति का पृथक–पृथक अध्ययन करना।
2. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरतग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंकीवर्तमान स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरतग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंकीसमस्याओं का पृथक–पृथकअध्ययन करना।
4. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरतग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंकीसमस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरतग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंके भविष्य में अवसरों का पृथक–पृथकअध्ययन करना।
6. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरतग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंके भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

7.6 परिकल्पनाएँ

1. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरत्ग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंकीवर्तमान स्थिति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरत्ग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंकीसमस्याओं में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्चशिक्षामेंअध्ययनरत्ग्रामीण तथा शहरीजनजातीयबालिकाओंके लिए भविष्य के अवसरों मेंकोई सार्थक अंतर नहीं है।

7.7 पारिभाषिक शब्दावली

- **उच्च शिक्षा :–**प्रस्तुत शोध में उच्च शिक्षा का अर्थ स्नातक स्तरकी शिक्षा से लिया गया है।
- **जनजातीयबालिकाएँ :–** जनजातीय बालिकाओं से तात्पर्य उन आदिवासी जाति की बालिकाओं से हैं जिन्हें संविधानके अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- **वर्तमानस्थिति :–** इसमें जनजातीयबालिकाओं की वर्तमानपारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिकतथापारिवारिक स्थिति को सम्मिलित किया गया है।
- **समस्याएँ :–** इसमें जनजातीयबालिकाओं की वर्तमानपारिवारिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिकतथा व्यक्तिगत समस्याओं को सम्मिलित किया गया है।
- **भविष्य में अवसर :–** भविष्य में अवसर से शोधार्थी का आशय सरकार द्वारा की गई उन शैक्षिक व्यवस्थाओं तथा इनके प्रति जनजातीय बालिकाओं की जागरूकता एवं दृष्टिकोण से हैं जो उच्चशिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् इन्हें उपयुक्त रोज़गार दिलवाने में सहायक सिद्धहोगा।

7.8 शोध अध्ययन का परिसीमन

1. प्रस्तुत अध्ययन में दक्षिणी राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र को ही लिया गया है क्योंकि यही राजस्थान का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला निवास क्षेत्र है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में दक्षिणी राजस्थान के चार जिलों– उदयपुर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ातथाप्रतापगढ़कोहीअध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

7.9 न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में शोधार्थीद्वारान्यादर्शकाचयननिम्नप्रकारसेकियागया है–

- **बालिकाओं का चयन :–** जनजातीय बालिकाओं का चयन स्तरीकृतयादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा निम्न प्रकार से किया गया–

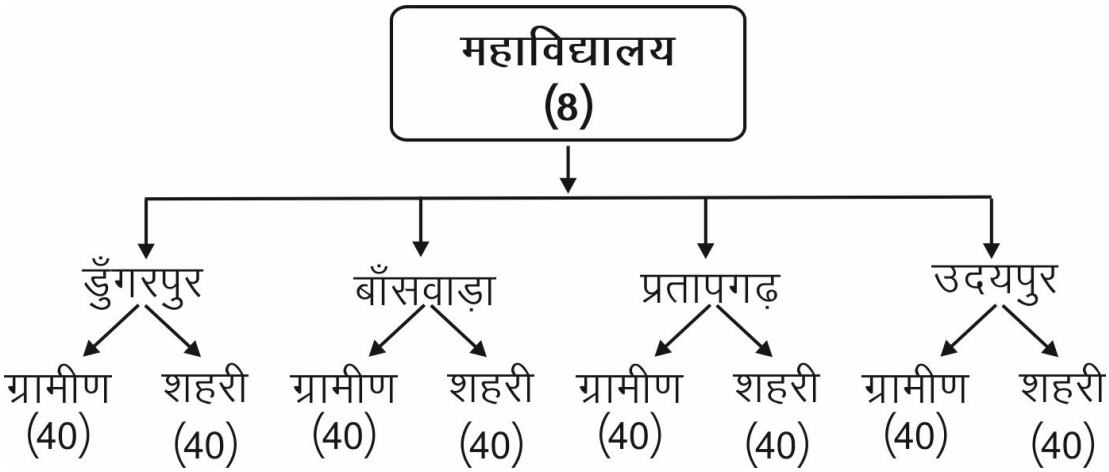

- **अन्य अभिधारकों का चयन :–** जनजातीय बालिकाओं के अलावा समस्या से जुड़े अन्य अभिधारकोंजैसे– प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं अभिभावकों का चयन सौदेश्य प्रतिचयनविधि द्वारा निम्न प्रकार से किया गया–

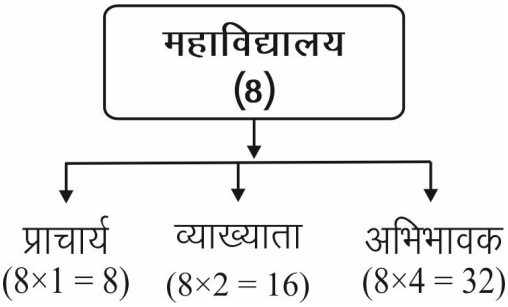

इसप्रकार कुल376 न्यादार्श का चयन दत्त संकलन हेतु किया गया।

7.10 विधि

शोधार्थीद्वाराअपनीसमस्याकीप्रकृतिएवंउद्देश्योंकोदृष्टिगतरखतेहुएसर्वेक्षणविधिकाचयनकियागया है।

7.11 दत्त संकलन

प्रस्तुतशोधकार्यमेंप्राथमिकएवंद्वितीयकदोनोंप्रकारकेदत्तअर्थात्आंकड़ेएकत्रितकियेगये हैं।द्वितीयकआंकड़ेजहाँसम्बन्धितसाहित्यकेअध्ययनहेतुसंग्रहितकियेगये हैं वहींप्राथमिकआंकड़ोंकासंग्रहणचयनितन्यादर्शसेउपकरणोंकेमाध्यमसेकियागया है।

7.12 उपकरण

प्रस्तुत शोधकार्यमेंप्राथमिकआंकड़ोंकेसंग्रहणहेतुस्वनिर्मितउपकरणोंकाप्रयोगकियागया है जिनकासंक्षिप्तउल्लेखनिम्नलिखितहै–

(i) **साक्षात्कार अनुसूची:–**प्राचार्यों के लिए।

(ii) **साक्षात्कार अनुसूची:–**व्याख्याताओं के लिए।

(iii) **साक्षात्कार अनुसूची:–**अभिभावकों के लिए।

(iv) व्यक्तिगतसूचना पत्रक :–बालिकाओं के लिए।

(v) अवलोकन अनुसूची :–शोधार्थी के लिए।

7.13 दत्त विश्लेषण

प्रस्तुतशोधमेंप्राथमिकदत्तोंकेगणनात्मकविश्लेषणमेंनिम्नसांख्यिकीयप्रविधियोंका प्रयोग किया गया है यथा–

(i)प्रतिशत

(ii)मध्यमान

(iii)मानक विचलन

(iv)टी–परीक्षण

7.14 निष्कर्ष

किसीभीशोध कार्य में'निष्कर्ष'बहुतहीमहत्वपूर्णसोपानहोताहै।निष्कर्षहीअध्ययनकामूलसारहै।प्रस्तुतअध्ययन से प्राप्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार से है–

7.14.1 जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति से सम्बंधित निष्कर्ष

- **शैक्षिकस्थिति**

1. वर्तमान में उच्च शिक्षा मेंअध्ययनरत्ग्रामीणतथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि औसत स्तर पाई गई है। अधिकांश जनजातीय बालिकाओं ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में औसतअंकों के प्राप्त कर ही कॉलेज शिक्षा में प्रवेश लिया है।

2. शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा मेंजनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थितिग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर पाई गई है साथ ही इसकी वृद्धि दर भी अधिक पाई गई। शहरी क्षेत्र के जनजातीय अभिभावकों में शैक्षिक जागरूकता इसका मुख्य कारण है।
3. त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरीक्षेत्रोंकी जनजातीय बालिकाओं का शैक्षिक प्रदर्शन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनोंदृष्टिकोण से बेहतर पाया गया है।शहरी महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत उन्नत भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता इसका मुख्य कारण है।
4. जनजातीयबालिकाओं की शैक्षिक स्थिति से प्राचार्य, व्याख्याता एवं अभिभावक सभी असंतुष्ट पाये गये तथापि इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तर पर आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।
5. दक्षिणी राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में आधारभूत भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं किन्तु इनकी गुणवत्ताशहरी महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत ज्यादा पाईगई।
6. कुल मिलाकर सुदृढ़ शैक्षिक पृष्ठभूमि, नामांकन स्थिति, शिक्षण–अधिगम सुविधाओं के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति बेहतर पाई गई है।

- **पारिवारिक स्थिति**

7. दक्षिणी राजस्थानमें शहरीक्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रथा बहुतायत में पाई गई।ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि का अभाव इसका मुख्य कारण है।

8. उच्च शिक्षा मेंअध्ययनरत्ग्रामीणतथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं के माता–पिता कीशिक्षा का स्तर निम्न पाया गया। हालाँकि शहरी क्षेत्रों में यहस्थिति थोड़ी बेहतर पाई गईक्योंकिशहरी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यवसाय में कार्यरत कार्मिकों को एक न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करनी ही होती है।

- **सामाजिकस्थिति**

9. दक्षिणी राजस्थानकेग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत अधिकांश बालिकाएँ विवाहित हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में अवविवाहित बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। शहरों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के प्रति जागरूकता का पाया जाना इसका मुख्य कारण है।

10. दक्षिणी राजस्थानकेशहरीक्षेत्रों में परिवारोंकासामाजिकजीवन स्तर उच्च होने तथा घर में सभी प्रकार की साधन–सुविधाओं कीउपलब्धता होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की सामाजिक स्थिति बेहतरपाई गईहै।

- **आर्थिक स्थिति**

11. दक्षिणी राजस्थानकेशहरीक्षेत्रों मेंजनजातीय बालिकाओं के माता–पिता कृषि तथा मजदूरीसम्बन्धी कार्यों में अधिक संलग्न पाये गये जबकि शहरी क्षेत्रों में अभिभावक सेवा तथा व्यवसायसम्बन्धी कार्यों में अधिक संलग्न पाये गये हैं।

12. कुल मिलाकरउन्नत पारिवारिक व्यवसाय एवंमासिक आमदनी के कारण दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की आर्थिक स्थिति बेहतरपाई गईहै।शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिकता इसका मुख्य कारण है।

समग्र वर्तमान स्थिति

समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई। शहरी महाविद्यालयों में ग्रामीण महाविद्यालयों की तुलना में बेहतर शिक्षण–अधिगम सुविधाएँ पाई जाती हैं, साथ ही रोज़गार के अच्छे अवसरों तथा व्यावसायिक उन्नति के कारण भी शहरी जनजातीय बालिकाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बेहतर पाई जाती है। यही कारण है कि प्रस्तुत शोध में वर्तमान स्थिति के प्रत्येक पहलू यथा– शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक एवंआर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में शहरी जनजातीय बालिकाओं की स्थिति ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की तुलना में सुदृढ़ पाई गई।

7.14.2 जनजातीय बालिकाओं की समस्याओंसे सम्बंधित निष्कर्ष

- **पारिवारिक समस्याएँ :–**दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओंको परिवार में अपेक्षाकृत कम पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं के अभिभावक शिक्षा को लेकर जागरूकनहीं हैं साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक होने के कारण येजनजातीय बालिकाएँ आशानुरूप शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पातीहैं।शहरों में तुलनात्मकदृष्टि से छोटे एवं एकल परिवार होने के कारणजनजातीय बालिकाओं पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती फिर भी अधिकांशतःमाता–पितादोनों के काम पर जाने से उन्हें भी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है।
- **शैक्षिक समस्याएँ :–**ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांशमहाविद्यालयोंमें छात्रावास, समृद्धपुस्तकालय, कैरियर सम्बन्धी मार्गदर्शनपाठ्यक्रम पूर्णता तथा महाविद्यालयी गतिविधियोंमें जनजातीय बालिकाओं की संतोषजनक भागीदारी

अभाव पाया गयाहै।वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों के अधिकतर कॉलेजों में आधारभूत शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण जनजातीय बालिकाओंको ग्रामीण क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओंकीअपेक्षा कम शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- **आर्थिक समस्याएँ :–**सबसेबड़ी आर्थिक समस्या अपर्याप्त आमदनी के चलते इन बालिकाओं को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएँ एवं छात्रवृत्ति नहीं मिल पाना है। इसके अलावा घर पर भी इन बालिकाओं के लिए जीवन निर्वाह के आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।तुलनात्मकदृष्टि सेदक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में रोज़गार के अवसर अधिक होने के कारण शहरी जनजातीय बालिकाओंको अपेक्षाकृत कम आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में इब बालिकाओं को समय परछात्रवृत्ति तो प्राप्त होती ही है साथ ही परिवार की उन्नत व्यावसायिक स्थिति के कारण भी उनके अध्ययन सम्बन्धी व्यय में कोई कमी नहीं आती जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति हेतु आवश्यक साधन–सुविधाओं की सुनिश्चितता को कम कर देती है।
- **सामाजिकसमस्याएँ :–**जनजातीय समुदाय के लोगोंमेंशिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव पाया गया है। यही कारण है कि इस समाज के लोग बालिका शिक्षाको पर्याप्त सम्मान एवं प्रोत्साहन नहीं देते हैं।तुलनात्मकदृष्टि सेदक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों मेंसमाजके आधुनिक होने सेशहरी जनजातीय बालिकाओंको अपेक्षाकृत कम सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहरीक्षेत्रों में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति

ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम पाई जाती हैं। दूसरी और शहरी क्षेत्रों में तलाक जैसी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती हैं।

- **व्यक्तिगत समस्याएँ :–**जनजातीय बालिकाएँ खुलकर अपने शिक्षकों को अपनी विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के बारे मेंनहीं बता पाती फलस्वरूप ये अध्ययन में अन्य बालिकाओं की तुलना में पिछड़ जाती हैं। इसके अलावा शारीरिक अस्वस्थता भी इन जनजातीय बालिकाओं की एक बड़ी समस्या है जो कि इनके शैक्षिक अवधान में व्यवधान उत्पन्न करती हैं।तुलनात्मकदृष्टि सेदक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों मेंजनजातीय बालिकाओंकोएकजैसी व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

7.14.3 जनजातीय बालिकाओं हेतु भविष्य में अवसरों से सम्बंधित निष्कर्ष

1. प्रस्तुत शोध मेंग्रामीणतथा शहरी दोनों प्रकार कीजनजातीय बालिकाओं की रूचि ललित कलाओं में अधिक तथाअन्य समाजोपयोगी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पाई गई है। अतःइसनिष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि जनजातीय बालिकाएँललित कलाप्रशिक्षक एवं प्रदर्शनकर्ताके रूप में आजीविका अर्जित करनेमें सफल हो सकेंगी।
2. आजकल कॅरियर सम्बन्धी मार्गदर्शन हेतु कई स्वयंसेवी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।इसकेअलावाइन्टरनेट के माध्यम से भी इस सम्बन्ध आवश्यक एवंउचित जानकारी प्राप्तकी सकती है। इस प्रकार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाएँ कॅरियर के सम्बन्ध में महाविद्यालय पर निर्भर न रहकर स्वयं जागरूक रहकर अपनाकॅरियर बना सकेंगी।

3. बीएड करने के बाद ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की जनजातीय बालिकाओं के पास भविष्य में शिक्षण व्यवसाय में आने के असीम अवसर विद्यमानहैं। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ भीइनजनजातीय बालिकाओं को प्राप्त होगा। इसके अलावा विज्ञान वर्ग की जनजातीय बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर नर्सिंग व्यवसाय अपनाने का मार्ग भी खुला हुआ है।
4. तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जनजागरूकता अधिक होने के कारणजनजातीय बालिकाओं के लिए भविष्य में अधिक अवसर विद्यमान हैं।

7.15 शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध से जो निष्कर्ष सामने आये हैं वे कई प्रकार की शैक्षिकसमस्याओंका समाधान करनेमें सक्षम है।इस प्रकार प्रस्तुत शोध के शैक्षिक निहितार्थों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है–

- प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट हुआ है किदक्षिणी राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति बेहतर पाई गई है।अतःप्रस्तुत शोध ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु ठोस कदम उठाने जाने की अनुशंसा करता है। ये कदम कक्षा बारहवीं से ही उठाये जाने चाहिए ताकि उच्च शिक्षा में आने से पूर्व जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ बनाया जा सके।
- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं की नामांकन स्थिति तथा परीक्षा परिणाम भी अत्यंत निम्न पायागया है। अतएवग्रामीण क्षेत्रों में

बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सामाजिक स्तर पर प्रयास करने होंगे।अभिभावकों से संपर्क को बढ़ाना होगा।साथ ही बालिकाओं के शैक्षिक प्रदर्शन को गुणात्मक दृष्टिकोण से भी बेहतर बनाने हेतु विषयगत एवं संस्थागत प्रयासों में तेजी लानी होगी। बालिकाओं को नकद सहायताराशि, निःशुल्क शिक्षण सामग्री इत्यादि अपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी।

- महाविद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की गुणवत्ता बेहद कम पाई गई है। अतः महाविद्यालयप्रबंधन को चाहिए कि वह इन संसाधनों की मात्रात्मक उपलब्धता के साथ–साथ इनकी उच्च कोटि की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करे।बालिका महाविद्यालयों को अतिरिक्त सुविधायें एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- प्रस्तुत शोध से यह बिलकुल स्पष्ट हो चुका है कि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि ग्रामीण जनजातीयबालिकाओं के शैक्षिक स्तर कोकमजोर करती है। अतः सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह रोजगार के अवसर उत्पन्न करे साथ ही शिक्षा के स्वरुप एवं कार्यप्रणाली को भी रोजगारपरक बनाये। गाँवोंमें बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि बालिकाओं को पढ़ने में सुविधा हो।
- प्रस्तुत शोध जनजातीय बालिकाओं की अपेक्षाकृत कमजोर शैक्षिक स्थिति के लिए उनकी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को भी उत्तरदायी मानता है। अतः शोधार्थी इन बालिकाओं के अभिभावकों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपनी बालिकाओं को घर पर पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मुहैया करवाएंगे साथ ही उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त रखेंगे विशेषकर परीक्षा के दिनों में।
- पारिवारिक परिस्थितियों के साथ ही सामाजिक परिस्थितियाँभी जनजातीय बालिकाओं के अपेक्षाकृत निम्न शैक्षिक प्रदर्शन का मुख्य कारण है।जनजातीय

समाज में बालिका शिक्षा के प्रतिजागरूकता उत्पन्न करने की प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुशंसा करता है।

- प्रस्तुत शोध से यह भी स्पष्टहुआ है कि जनजातीय बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का एकबड़ा कारण शिक्षकोंके साथ खुलकर संवाद नहीं कर पाना भी है। अतःजनजातीय बालिकाओं को बिना किसी भय एवं हिचकिचाहट के अपनी समस्याएँ शिक्षकों को बतानी चाहिए ताकि वे उनका समुचित निराकरण कर सकें।
- प्रस्तुत शोध में इस तथ्य की तरफभी इंगित किया गया है कि महाविद्यालयों में जनजातीय बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक साधन–सुविधाओं का प्रबंधन नहीं किया गया है।अतः इस दिशा में विचार करते हुए महाविद्यालय प्रबंधन को संसाधनों का पुनर्गठन करना चाहिए।
- प्रस्तुत शोध महाविद्यालय के प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं से भी यह आशा करता है कि वे अपने यहाँ अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं के लिए विशिष्टकार्ययोजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य करें तभी वे मुख्य धारा की बालिकाओं के समकक्ष आ पाएंगी।
- प्रस्तुत शोध से यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि अधिकांश बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के बाद शिक्षा तथा नर्सिंग सिर्फ दोक्षेत्र ही ऐसे विद्यमान हैं जहाँ उनके लिए भविष्य में अच्छे अवसर हैं। अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न हो सके इसके लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। अतः महाविद्यालय स्तर पर एक कॅरियरकाउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

कुल मिलाकर प्रस्तुत शोध जनजातियों की शैक्षिक उन्नति करके उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व विकास, स्वयं निर्णय क्षमता विकसित करने सम्बन्धी प्रयासों में

तेजी लाने की घोर अनुशंसा करता है। जनजातीय लोगों का समाज के उच्च स्तर के लोगों के साथ मिलकर जीवन यापन करने में सक्षम बनाना,उसके लिए उचित आमयोजना सरकार द्वारा होनी चाहिए। जनजातीय लोगों की बस्ती में प्राथमिक स्कूल प्रारम्भ करने की प्राथमिकता दी जाए, उनके द्वारा अभ्यास क्रम में उचित परिवर्तन लाए, आरम्भ की कक्षाओं में उनकी बोली भाषा अध्ययन सामग्री निर्मित की जाए, युवकों को प्रोत्साहित कर के उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, उनके लिए आश्रमशाला, आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए। उनके परिवेश में आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा तंत्र शिक्षा नयाव्यवसाय उपलब्ध कराई जाए, उनके शैक्षिक कठिनाई दूर करने की दृष्टि से उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था कराई जाए तथा सृजनशील तथा संस्कृति संवर्धन को बढावा देने वाले अभ्यास क्रम तैयार कराए जाएँ। जनजातीय विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा अथवा बोली में शिक्षा दे कर उन्हें प्रमुख प्रवाह में लाना चाहिए।

7.16 भावी शोध हेतु सुझाव

कोई भी शोध समस्या के सभी पहलुओं का पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सकता। समय एवं धन की सीमाओं को देखते हुए उसमें कुछ कमियाँ रह जाना स्वाभाविक ही है। प्रस्तुत शोध में दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों का अध्ययन किया गया हैफिर भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर शोध किया जाना अभी शेष है। ये शोध रिक्तताएं आगामी शोधार्थियों के अपने शोध का भवन खड़ा करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। अतःभावी शोधार्थियों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

1. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत्जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति तथासमस्याओं पर भी शोध अध्ययन किया जा सकता है।

2. पूर्वी राजस्थान में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों पर भी शोध अध्ययन किया जा सकता है।
3. दक्षिणी एवं पूर्वी राजस्थान की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन भी शोध काविषय हो सकता है।
4. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों पर पारिवारिक, सामाजिक एवंआर्थिककारकों के प्रभाव का अध्ययन भी शोध रूप में किया जा सकता है।
5. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिकाओं की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरों का तुलनात्मक अध्ययन भी शोध का विषय हो सकता है।
6. सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति, समस्याओं एवं भविष्य में अवसरोंके तुलनात्मक अध्ययन भी शोध रूप में किया जा सकता है।
7. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् जनजातीय बालिकाओं कीवर्तमान स्थिति एवंसमस्याओंका उनके भविष्य में अवसरोंके साथ सहसम्बंधात्मकशोध अध्ययन किया जा सकता है।

7.17 उपसंहार

प्रस्तुत परिच्छेद शोध में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसमें सम्पूर्ण शोध का सारांश, निष्कर्ष, निहितार्थ एवं भावी शोध हेतु सुझाव सम्मिलित किये गए हैं।इस

परिच्छेद में अध्ययनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शैक्षिक निहितार्थ प्रतिपादित किये गये हैं जिनके अंतर्गत जनजातीय बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के उन्नयन तथा भविष्य में अवसरों में वृद्धि हेतु उपयोगी अनुशंसाएँ भी सम्मिलित की गई हैं साथ ही इनकी शैक्षिक उपादेयता का भी यथासंभव उल्लेख किया गया है।अंत में भावी शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

℘ Books (English)

1. Best, John. W; Kahn, James. V. (2010). *Research in Education*. New Delhi: 10th Edition Prentice Hall of India.
2. Bhatnagar, R.P. (2002*). Reading in Methodology of Research in Education*. Meerut: R. Lall Book Depot.
3. Bite, Andre (1977). *The Definition of Tribal Confuting in Ramesh, Thapar*: Tribal Cast and Religion. New Delhi: Macmillan Company, Page-57
4. Borg. W.K. (1963). *Education Research an Introduction*. New Delhi: A Longmans green and co Ltd.
5. Majeaandar, D.N. (1958). *Races and Culture.* Mumbai: Asia Publishing, Page- 356.
6. Dube, S.C. (1977). *Tribal Heritage of India.* Page-24
7. Gilin & Gilin (1987). *Cultural Psychology*. Newyork: The Macmillan, Com, Page-282.
8. Good, C.V. (1959). *Introduction of Educational Research. Second Edition*. New York: Appleton Century Crafts Ins.
9. Guilford, J. P. & Fruchter, Benjamin (1978). *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. McGraw Hill, International.
10. James, C. Coleman (1970). Abnormal Psychology and Modern Life, Russi, J., Taraporevala for D. B, Taraporevala Sons and Company Private Ltd.

11. Kaul, Lokesh (1997). *Methodology of Educational Research*. New Delhi: Vikash Publishing, House Private Ltd.

12. Khan, J.A. (2009). *Research Methodology*. New Delhi: APH Publishing Corporation.

13. Mahatma Gandhi (2008). *Mere Sapanon ka Bharat*, Kashmiri Gate, Delhi: Rajpal and Sons, Page-255.

14. Sharma, N.K., Sarita (1996). *Research Methodology*. Jaipur: RBSA Publishers.

15. Sharma, R.A. (1993). *Fundamentals of Educational Research*. Meerut: International Publishing House.

16. Sinha, Surjeet (1980). *Tribal and Indian Civilization*. A Perspective Man in Indian, 60 : 1.2

Books (Hindi)

17. आहुजा, डी. आर., 'राजस्थान लोक संस्कृति और साहित्य', नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, पृ. 9

18. अटल, योगेश एवं यतीन्द्र सिंह सिसोदिया (2011). *आदिवासी भारत*, नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशंस, पृ. 2

19. भारत का संविधान (1994). इलाहाबाद : सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, पृ. 1441

20. भटनागर, सुरेश (2005). *शिक्षा मनोविज्ञान*, मेरठ : इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस

21. रॉय, बी.के. बर्मन (1971). *डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ दी ट्राइबल्स*, पृ. 26–29

22. ढौडियाल, सच्चिदानंद; फाटक, अरविंद (2003). *शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र*, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी

23. दुबे, एस.सी. (1977). *ट्राईबल हेरिटेज ऑफ़ इण्डिया*, नई दिल्ली : विकास पब्लिकेशन्स हाउस

24. चौबे, सरयू प्रसाद (2006). *मनोविज्ञान प्रयोग गाइड और मुख्य सांख्यिकी सूत्र*, नई दिल्ली : कन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस

25. धुरये, जी.एस. (1943). *द एबओरिजन्स सो काल्ड एण्ड दियर फ्यूचर*, पूना, पृ. 36

26. गया, पांडे (2007). *भारतीय जनजातीय संस्कृति*, नई दिल्ली : कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी

27. गैरेट, हेनरी ई. (1989). *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग*, नई दिल्ली: कल्याणी पब्लिशर्स

28. हट्टन, जे.एच. (1938). *सेन्सस रिपोर्ट ऑफ़ इण्डिया 193*, वॉल्यूम–1, नई दिल्ली: प्रिंट

29. सांकलिया, एच.डी. 'बिगेनिंग ऑफ़ सिविलाईजेशन इन राजस्थान', पृ. 13–16

30. कपिल, एच.के. (2005). *सांख्यिकी के मूल तत्व*, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

31. कर्नल जेम्स टॉड (1880). *एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ़ राजस्थान,* पृ. 304

32. माथुर, एस.एस. (1986). *शिक्षा मनोविज्ञान,* आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

33. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1999). *भारत के आदिवासी*, उदयपुर : शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ. 56

34. नायक, टी.बी. (1968). *वाट इज द ट्राइब*, कोनपिलटीग डेफिनिशन्स इन एल.पी. विद्यार्थी, एम्प्ल्याईड एन्थ्रोपोलोजी, इलाहाबाद : किताब महल

35. पाठक, पी.डी. (1986). *शिक्षा मनोविज्ञान,* आगरा–2 : विनोद पुस्तक मंदिर

36. साक्त्यायन, राहुल (2008). *मानव समाज*, पृ. 1

37. सेन्सस ऑफ़ इण्डिया, 1961, वॉल्यूम-1, पार्ट वी.बी. (11), पृ. 2–3

38. शर्मा, कमल (2008). *जनजातीय विकास के नवीन आयाम* , नई दिल्ली: ए.पी. एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, पृ. 2

39. शर्मा, आर.ए. (2004). *शिक्षा अनुसन्धान,* मेरठ : आर. लाल. बुक डिपो

40. श्रीवास्तव, डी. एन.; प्रीति, वर्मा (2001). *मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी,* आगरा–2: विनोद पुस्तक मंदिर

41. तिवारी, सी.पी. (2003). *जनजातीय पर्यावरण*, आशा पब्लिशिंग कंपनी, पृ. 189

42. शर्मा, सुभाष (2009). *भारत में मानवाधिकार*, नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया

43. ट्राइब (2001). माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था, 33(1–4), पृ. 1, अप्रेल 2001

44. त्रिवेदी, आर. एन.; शुक्ला, डी.पी. (2008). *सामाजिक अनुसन्धान एवं सामाजिक शोध,* जयपुर: कॉलेज बुक डिपो

45. उत्प्रेति, हरिश्चंद्र (1970). *इण्डियन ट्राइब्स*, राजस्थान विश्वविद्यालय : सामाजिक विज्ञान हिंदी रचना केंद, पृ. 1

46. वर्मा, प्रीति एवं श्रीवास्तव, डी.डी.एन (1990). *आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान*, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, पृष्ठ–217

47. विद्यार्थी, एल.पी. एण्ड मिश्रा एन. (1977). *हरिजन टुडे*, नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिकेशन्स

℘ Unpublished Researches

48. आहूजा, मालविन्दर (2004). *"आकांक्षा एवं माता–पिता की सहभागिता के संबंध में किशोर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि"*, पीएच.डी., चंडीगढ़ विश्वविद्यालय

49. चतुर्वेदी, सुयश (1990). "झाड़ोल पंचायत समिति के जनजाति व गैर जनजाति निवासियों की प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

50. चित्तौड़ा, शशि (1993). "आदिवासी एवं गैर आदिवासी किशोर विद्यार्थियों की हीन भावना, अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

51. गुरनानी, मंजु (2003). "वल्लभनगर तहसील की अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा से पलायन की स्थिति एवं कारण", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

52. जैन, प्रमिला (1996). "जनजाति विद्यार्थियों के मूल्यों पर शिक्षा का प्रभाव", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

53. चौहान, यशपाल सिंह (1992). "अनुसूचित जनजाति में निरक्षरता एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता का कारण: एक सर्वेक्षण", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

54. माली, दिनेश चन्द्र (2000). "विद्यार्थियों की शिक्षा की समस्याएं एवं अभिभावकों की अभिवृति" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

55. मीणा, अशोक कुमार (2008). "सहरिया जनजाति की शिक्षा के प्रति अभिवृति एवं कठिनाइयाँ" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

56. पटेल, टी. (1984). "जनजाति महिलाओं में शिक्षा का विकास" समाजशास्त्र विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय

57. श्रेबेको, डी. लाह (1977). "उदयपुर शहर के उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में भील बालिकाओं की शिक्षा" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

58. पोखरना, राजमती (1992). "विशिष्ट छात्रवृति प्राप्त एवं सामान्य जनजाति छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकांक्षा व स्वयं धारणा का अध्ययन" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

59. सिंह, धर्मपाल (1992). "कोटड़ा और झाड़ोल परिक्षेत्र में जनजाति विद्यार्थियों की शिक्षा में पर्यावरणीय अवरोध" लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

60. श्रीवास्तव, आर.एन (1997). "अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं का अध्ययन", लघुशोध प्रबन्ध, मो.ला.सु.वि.वि., उदयपुर

℘ Journals (English)

61. Aslam, M. (2007). Rates of return to education by gender in Pakistan, *RECOUP* working paper number 01. Retrieved May 23, 2016.

62. Ayub Buzdar, M. & Ali, A. (2011). Uks 'Parents' Attitude toward Daughters' Education in Tribal Area of Dera Ghazi Khan (Pakistan), *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry,* 2 (1), Jan 2016.

63. Bharti (1991): *International Journal of Scientific and Research Publications,* 4(1), January 2014.

64. Carter, C. & Whitfield, G. (2012). The Role of Aspirations, Attitudes and Behaviour in Closing the Educational Attainment Gap. [Online]. *JRF*. Retrieved from https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/education-achievement-poverty-summary.pdf [Accessed: Nov. 03, 2017]

65. Durie, M. (2005). Indigenous Higher Education: Māori Experience in New Zealand. [Online]. *Australian Indigenous Higher Education Advisory Council,* November 1, 2005. Retrieved from http://www.massey.ac.nz/massey/fms/Te%20Mata%20O%20Te%20Tau/Publications%20%20Mason/Indigenous%20Higher%20Education%20M&_257ori%20Experience%20in%20New%20Zealand.pdf [Accessed: October 22, 2017]

66. Macfarlane, A., Glynn, T., Bateman, S. (2007). Creating Culturally-Safe Schools for Ma-Ori Students. [Online]. *The Australian Journal of Indigenous Education,* 36. Retrieved from http://www.educationalleaders.govt.nz/content/download/597/5

122/creatingculturally-safe-schools.pdf [Accessed: November 18, 2017]

67. Price, M., Kallam, M., Love, J. (2007). The Learning Styles of Native American Students and Implications for Classroom Practice [Online]. *Southeastern Oklahoma State University*. Retrieved from http://www.se.edu/nas/files/2013/03/NAS-2009-Proceedings-M-Price.pdf [Accessed: August 19, 2017]

68. Singh and Ohri (1993). Status of Tribal Women in India, *Social Change*, 23(4), 21-26, December 1993.

69. Sorkness, H.L. & Gibson, L.K. (2006). "Effective Teaching Strategies for Engaging Native American Students." Presented at National Association of Native American Studies Conference Baton Rouge, Louisiana, February 2006. Retrieved from http://www2.ed.gov/rschstat/research/pubs/oieresearch/conference/sorkness_200602.pdf [Accessed: September 12, 2017]

Journals (Hindi)

70. अहारी, रमेश चन्द्र (2014). जनजातीय महिला स्वास्थ्य के सांस्कृतिक आयाम *सामजिक शोध प्रत्रिका* , 10(1-2), जनवरी–अप्रैल 2014

71. भारद्वाज, गीतिका (2011). आदिवासी बालिकाओं में स्वास्थ्य विषयक जागरूकता का अध्ययन, *नई शिक्षा* , वर्ष 60, अंक–6, जनवरी 2011

72. भारद्वाज, मधुकुमार (2014). सहरिया जनजाति तथा विस्थापित बांग्लादेशी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन, *नई शिक्षा* , वर्ष–13, अंक–12, जुलाई 2014

73. बानोथु, डॉ. बोंद्यालु (2015). आदिवासी समाज और आधुनिक शिक्षा: हिड़िम्ब के सन्दर्भ में, *वन्यजाति क्रावटरलि जनरल* , वर्ष 63, Vol.-L.XIII, अंक–2

74. चौहान, कुमार राकेश (2008). *भीलाला जनजाति की सामाजिक–आर्थिक संरचना –एक वैयक्तिक अध्ययन*, वन्यजाति क्रावटरलि जनरल, वर्ष 58, 16(2)

75. धाभाई, सीमा (2014). आदिवासी आवासीय विद्यालयों के शिक्षा के स्तर का विवेचन, *International journal of social research,* 10(2), (January & April 2014)

76. जैन, अनिल कुमार; सिंह, रजनी रंजन (2014). सीमान्त वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भूमिका का मूल्यांकन, *परिप्रेक्ष्य* , अंक–2, अगस्त 2014

77. पालीवाल, एल.एल. (2003). ट्राइब-35, *माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान*, अंक 3-4, उदयपुर, पृ. 1

78. लखेड़ा, एस.के.; चौहान, वी.एस. (2007). भोटिया जनजाति की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षाएं, *वन्यजाति क्रावटरलि जनरल*, वर्ष 55, 14(2), अप्रैल 2007

79. मंगल, डॉ. रमेश चन्द्र (2005). *आदिवासी कल्याण तथा उभरता मध्यम वर्ग*, Journal of social research , 1(1), January 2005

80. मीणा, मनीराम (2014). राजस्थान के जनजातीय समाज में ऋणग्रस्ता के कारण, *International journal of social research* , 10(2), (January & April 2014

81. नैयर, सोभ्या (2010). छत्तीसगढ़ के भुजियां एवं कमार जनजाति समुदाय के बालक बालिकाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन, *परिप्रेक्ष्य*, अंक–1, अप्रैल 2010

82. निराला, कुमार संजय; भगत, कु.अंजनी (2010). छत्तीसगढ़ की भैना जनजाति में शैक्षणिक स्थिति, *Vanyajati Quarterly Journal in English and Hindi*, Oct 2010

83. पारगी, लोकेश(2013). जनजातीय विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका, *Vanyajati Quarterly Journal in English and Hindi*, 9(2) April, 2013

84. प्रगति, कोल; साईश्वरी (2011). अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के शैक्षणिक विकास पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मेट्रिकोत्तर छात्रवासों का प्रभाव, *Vanyajati Quarterly Journal In English And Hindi*, 14(3), July 2011

85. राजपूत, उदयसिंह(2013). मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास: प्रयास, बाधाएँ एवं सुझाव, *Vanyajati Quarterly Journal in English and Hindi,* अंक–2

86. श्रीवास्तव, कौशल के.; नौरियाल, डी.के.; श्रीवास्तव, तनुजा (1998). आदिवासियों का व्यावसायिक ढांचा और उनकी शैक्षिक स्थिति. प्रवर्तीय उत्तरप्रदेश भोटिया आदिवासियों का केस अध्ययन. *परिपेक्ष्य*, अंक 1–2, अप्रैल–अगस्त 1998

87. व्यास, डॉ. आशुतोष (2010). राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शिक्षा की स्थिति, *वन्यजाति क्रावटरलि जनरल* , वर्ष 58, 8(3), जुलाई 2010

88. यादव, शरद कुमार (2013). भारत में जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा और विकास की नीतियां, *परिप्रेक्ष्य* , वर्ष 20, अंक–2, अगस्त 2013

89. यदुलाल, कुसुम (2010). अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्कूली छात्राओं की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याएं, *परिप्रेक्ष्य* , अंक–2, अगस्त 2010

℘ Surveys & Reports

90. Vinoba Gautam (2003): *"Education of tribal children in India and the issue of Medium of Instruction: A Janshala experience Coordinator",* UN/Government Janshala Programme, New Delhi.

91. आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर (2001): "उदयपुर टी.एस.पी. क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की जागरूकता स्तर का अध्ययन", टी.आर.आई, उदयपुर

92. आर्थिक सर्वे 2009–10, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 271

93. नायर, उषा (1992): "पढ़ाई छोड़ने वाली व अनामंकित ग्रामीण हरियाणा राज्य की बालिकाओं का अध्ययन." राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली–16

94. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (2008–09), जनजाति क्षेत्रीय विभाग, राजस्थान सरकार।

℘ Speeches & Conversation

95. प. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 1952 में हुए 'अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित क्षेत्र सम्मेलन' में दिया गया भाषण, आदिवासी लोग, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार (1959)

96. शोध के दौरान श्री एस.एल. परमार, अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी महासभा, उदयपुर के बताये अनुसार।

℘ Dictionaries (शब्दकोष)

97. Good, C.V. (1959), Dictionary in Education, New York, McGrand Hill Bool Co.

98. Verma, S.K. and Sahai, R.N. (2004), Oxford English-Hindi Dictionary, Oxford, Oxford University Press.

99. अग्रवाल, नरेन्द्र एवं अग्रवाल, पद्मा: *मानविकी पारिभाषिक कोष (मनोविज्ञान खण्ड)*, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली–110036

100. बहरी, हरदेव (1969): *वृहत्त अंग्रेजी–हिन्दी शब्दकोष : भाग–2, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, (उ.प्र.)*

101. मोहन, बी. एवं कपूर, बी. (1986): *मीनाक्षी हिन्दी– अंग्रेजी शब्दकोष, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, (उ.प्र.)*

102. वर्मा, धीरेन्द्र एवं अन्य (1963): *हिन्दी विश्वकोष, खण्ड–3, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, (उ.प्र.)*

℘ Encylopedia

103. Deliten, Leak (Ad.); The Encyclopedia of Education, (Vol. X), McMillan and Co. and Free Press.

104. **Heris, C.W. (Ad.) (1966);** Encyclopedia of Educational Research, (Vol. III), McMillan and Co. And Free Press.

105. **Hyusain, T. (Ad.) (1985);** International Encyclopedia of Education, (Vol. III), Oxford Press.

106. **Munro, Valtrs (Ad.) (1982);** Encyclopedia of Educational Research, Millan and Co. and Free Press.

℘ WIBLIOGRAPHY

- http://www.dissertation.com
- http://www.google.co.in
- http://www.jstor.org/
- http://www.shodhganga.in
- http://www.thesisabstracts.com
- http://www.wikipedia.com
- http://www.wikipedia.com